राजभाषा भारती

वर्ष : 26 [illegible]

[illegible]

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित 14 सितंबर, 2003 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए माननीय उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। साथ में है माननीय गृह राज्य मंत्री श्री ईश्वर दयाल स्वामी जी तथा सचिव, राजभाषा विभाग श्री गोविंद रा. पटवर्धन जी।

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित 14 सितंबर, 2003 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी समारोह को सम्बोधित करते हुए माननीय उप प्रधान मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे

—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 26

संयुक्तांक : 102-103

जुलाई-दिसम्बर, 2003

❑ संपादक

ओम प्रकाश सेठी

संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)

दूरभाष : 24617807

❑ उपसंपादक

डॉ. राजेन्द्र प्रताप सिंह

दूरभाष : 24698054

❑ संपादन सहायक

शांति कुमार स्याल

फोन : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन (द्वितीय तल), खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

349 HA/2004—1A

विषय-सूची — पृष्ठ

> संपादकीय		(iii)
> संदेश-मंत्रीमंडल सचिव		(iv)
> चिंतन		
1. जेहि विधि चाहे विलोकिए वेनी	मदन लाल गुप्ता	1
2. वैज्ञानिक व तकनीकी हिंदी लेखन का विकास और सम्भावनाएं	डॉ. पुरुषोत्तम छंगाणी	3
3. वैश्वीकरण और हिंदी का बदलता स्वरूप	श्रीमती धृति नेमा	6
4. हिंदी विज्ञान लेखन: पठन, प्रकाशन तथा परिचालन	डॉ. दिनेश चमोला 'शैलेश'	10
5. सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा	डॉ. मधुबाला	15
6. भविष्य की हिंदी और हिंदी का भविष्य	ईश्वर चन्द्र मिश्र	19
>साहित्यिकी		
7. शिवानी के उपन्यासों में समाज-दर्शन	डॉ. गुड्डी	22
>पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य		
8. भारतीय दर्शन के व्याख्याता: डॉ. राधाकृष्णन्	नोतन लाल	26
> संस्कृति		
9. धर्म और ध्वनि प्रदूषण	डॉ. बसंती लाल बाबेल	28
10. घटता वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बढ़ता अंधविश्वास	डॉ. दिनेश मणि	30
> स्वास्थ्य		
11. मोतियाबिंद का आधुनिक इलाज	डॉ. शरद लखोटिया	33
12. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर पर्यावरण का प्रभाव	ए. आर. पाटील	34
13. परमाणु औषधि से कैंसर की आधुनिक चिकित्सा	डॉ. शुभंकर बनर्जी	37

विषय-सूची		पृष्ठ

> विज्ञान

14. सूचना प्रौद्योगिकी का देश के विकास में योगदान — रमेश चंद्र गुप्त — 39

> विविधा

15. अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल — डॉ. वीरेन्द्र कुमार सिंह — 42

16. गुणता-नीति निर्माण में साझेदार ग्राहक — संजीव कुमार चौधरी — 45

> राजभाषा संबंधी गतिविधियां — 49

(क) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

(ग) कार्यशालाएं

(घ) हिंदी दिवस

>संगोष्ठी/सम्मेलन — 55

>पुरस्कार/प्रतियोगिताएं — 60

>प्रशिक्षण/निरीक्षण — 64

>आदेश-अनुदेश — 65

>पाठकों के पत्र

संपादकीय

राजभाषा भारती का संयुक्तांक (102—103) जुलाई-दिसंबर, 2003 आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस संयुक्तांक में विभिन्न विधाओं के लेखों को संकलित करने का प्रयास किया गया है। 'चिंतन' स्तंभ के अंतर्गत लेखों में हिंदी को त्रिवेणी के संगम के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और विज्ञान, तकनीकी, वैश्वीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी आदि विषयों पर हिंदी में लेखन, पठन, प्रकाशन, विकास, परिचालन, संभावनाओं आदि पर प्रकाश डाला गया है। 'साहित्यिकी' स्तंभ में लेखिका द्वारा सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शिवानी के अवदान से अवगत कराया गया है। 'पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य' में डॉ. राधा कृष्णन द्वारा भारतीय दर्शन की विशद व्याख्या पर चर्चा की गई है। 'संस्कृति' के अंतर्गत धार्मिक कार्यक्रम जनित ध्वनि प्रदूषण तथा बढ़ते अंध विश्वास को ज्वलंत समस्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस बार 'स्वास्थ्य' के अंतर्गत मोतियाबिंद, पर्यावरण तथा परमाणु औषधि से कैंसर की चिकित्सा पर लेख दिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का देश के विकास में योगदान लेख 'विज्ञान' स्तंभ में दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल तथा गुणता नीति के निर्माण में ग्राहक की साझेदारी पर भी ज्ञानवर्धक तथा रोचक आलेख शामिल किए गए हैं।

मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि द्वारा आयोजित राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों को हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा प्रोत्साहन की दृष्टि से इस अंक में स्थाई स्तंभ के तहत प्रकाशित किया जा रहा है।

राजभाषा भारती का यह अंक विलंब से प्रकाशित हो पा रहा है, इसका हमें खेद है। राजभाषा भारती के अगले अंकों को समय पर प्रकाशित करने का प्रयास रहेगा।

संपादक

सत्यमेव जयते
KAMAL PANDE

मंत्रीमंडल सचिव
CABINET SECRETARY
NEW DELHI
8 सितम्बर, 2003

संदेश

भारतीय संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। तभी से 14 सितम्बर हर वर्ष 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

2. भारत में अनेक भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं। जनसंपर्क की भाषा के तौर पर इस विशाल देश को एक सूत्र में बांधने में हिंदी की, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ-साथ, एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों का पालन करने और सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें हिंदी में काम करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए हमें पूर्ण प्रयास करने चाहिए।

4. हिंदी में काम करना अत्यंत सरल है एवं सभी प्रकार के शासकीय कार्यों में इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसलिए हमारा यह दायित्व है कि संविधान में निहित राजभाषा की संकल्पना को साकार करने के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें सभी कर्मचारी स्वेच्छा से शासकीय कार्य में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने लगें।

(कमल पांडे)

जेही विधि चाहे विलोकिए वेनी

—मदन लाल गुप्ता*

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन अर्थात् राजभाषा हिंदी से जुड़े साधकों, सिद्धों, संतों और जिज्ञासुओं का मिलन। दूसरे शब्दों में इन सभी का वैचारिक आदान-प्रदान और संयोजन—जैसे कणों के संयोजन से द्रव्यों का निर्माण होता है। इससे सबलीकरण की प्रक्रिया भी पूर्ण होती है।

मनोबल का बड़ा महत्व है। हम अगर यही सोचते रहें कि हमारा कोई महत्व ही नहीं, दूसरों का ही ज्यादा महत्व है, तो यह बात सही नहीं है। हो भी नहीं सकती। स्थानिक आवश्यकतायें अवश्य ही महत्व की स्थापना करती हैं। हिंदी पर भी यह बात उसी प्रकार लागू होती है जैसे कि अन्य देशों के संदर्भ में उनकी भाषा पर। आवश्यकता है आत्मविश्वास की। उसी से आत्मबल प्राप्त होता है। हम सभी साहित्य के विद्यार्थी भी हैं। महाभारत हमारे लिए एक महाकाव्य है, धर्म ग्रंथ नहीं। उसी महाभारत में हम एक ही व्यक्ति को दो भिन्न प्रसंगों में मनोबल से ओतप्रोत और रिक्त पाते हैं। मैं अर्जुन के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। विराट के युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को हरा दिया। उस समय भी उसके सभी नाते-रिश्ते वाले विरोधी पक्ष में खड़े थे—भीष्म पितामह थे, गुरुदेव द्रोण थे, आचार्य कृप थे, दानवीर कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और अन्य सभी। इस अवसर पर अर्जुन का सारथी श्रीकृष्ण भी नहीं था। यहां न तो अर्जुन के बाहु शिथिल हुए, न उसके शरीर में निर्बलता का प्रवेश हुआ और न ही उसके वीरत्व को जगाने के लिए कोई गीता का उपदेश। फिर कैसे उसने निश्चय भी कर लिया और बाण भी चला दिया पितामह, गुरु, आचार्य, भाई-बंधुओं पर? कैसे सब को हराकर अर्जुन ने नपुंसकता के शाप से घिरे होने पर भी विजय प्राप्त की। वही अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना पुरुषत्व पुन: प्राप्त करने के बाद पहुंचता है, किन्तु हथियार डाल देता हैं। कितना समझाना पड़ता है श्रीकृष्ण को उसे। बौद्धिकता, तर्क, दृष्टांत की विश्व में संभवत: इससे बड़ी दूसरी मिसाल है ही नहीं—श्रीमद्भागवतगीता या गीता उपदेश के नाम से यह न केवल सर्वविदित ही है बल्कि सर्वप्रचलित भी है। गीता पर न जाने कितनी टीकाएं, टिप्पणियां कितने भाष्य, कितने विद्वानों ने कितनी भाषाओं में लिखे हैं। इसके बावजूद विराट स्वरूप के दर्शन कराने पड़े। यहां तक कि अपनी प्रतिज्ञा भंग कर श्रीकृष्ण अस्त्र धारण करने के लिए दौड़ पड़े। मनोबल टूट गया था अर्जुन का कुरूक्षेत्र में। परिणामत: शरीर शिथिल हो गया। नैराश्यजन्य विरक्ति ने आ घेरा। मन उचट गया। सब कुछ निस्सार लगने लगा, निरर्थक लगने लगा। किंतु अगर ऐसा सचमुच होता तो क्या कुरुक्षेत्र का कोई निर्णय निकल सकता था?

हिंदी को लेकर कुछ ऐसा ही भाव अक्सर देखने-सुनने को मिल जाता है और जब इससे जुड़े व्यक्तियों को भी ऐसा कहते सुनता हूं तो नैराश्य के बादल मुझे भी घेरने लगते हैं। किन्तु कुछ ही क्षणों में यह अंधकार अपने आप छंटने लगता है। चक्कर आने पर जैसे आंखों के सामने कुछ क्षणों के लिए अंधेरा छाने लगता है, कुछ उसी प्रकार की अवस्था होती है परन्तु उसी प्रकार चेतना लौटने पर अपने आप दूर भी हो जाती है। मन आश्वस्त होकर फिर कह उठता है : लगे रहो अपनी साधना में, सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी।

हिंदी का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहिले था और आगे भी उतना ही रहेगा जितना आज है। देश को हिंदी की उतनी ही आवश्यकता आज भी है जितनी कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय थी और आगे भी उतनी ही आवश्यकता रहेगी जितनी पहिले थी या आज है। हिंदी मां सरस्वती की वाणी उसी प्रकार है जिस प्रकार संसार की दूसरी भाषाएं। बल्कि मनुष्यों की भाषा ही नहीं जीव-जगत के समस्त प्राणियों, वनस्पतियों और जड़-पदार्थो की भाषा के समान। अनहद नाद से उद्घोषित यह संसार आहतनाद के सहारे उसका आनन्द लेने में जुटा है। समाज का सारा कार्यकलाप भाषा के माध्यम से सहज रूप से संपन्न होता है। चूंकि पूरे विश्व की एक भाषा नहीं है इसलिए भाषाओं का आपसी आदान-प्रदान आवश्यक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक भाषा से मनुष्य

*संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

का काम नहीं चल सकता है। जीवन के कार्य व्यापार में हमें एक से ज्यादा भाषांओं को काम में लाना पड़ता है। हिंदी भाषियों से ज्यादा इस अटल सत्य को कौन जानता है कि वाणी तो कोस-कोस पर बदलती है। किसी भी व्यक्ति का जीवन एक कोस भर के दायरे में कदापि सिमट कर नहीं रह सकता है। आवश्यकतानुसार उसका जीवन व्यापार कई कोस के दायरे में होना लाजिमी है। इसीलिए उसे एक से अनेक भाषाओं को बोलने-समझने और उनका उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जो जितनी अधिक भाषायें जानेगा, वह उतने ही अधिक फायदे में रहेगा। राजभाषा हिंदी को सशक्त करने के लिए इसी प्रकार की ग्रहण शक्ति का परिचय देना आवश्यक है। जिसे आज अंग्रेजी भाषा कहा जाता है वह एक लिपि में लिखी विश्व की प्रमुख भाषाओं का एक अनूठा संगम है।

संगम के किनारे हमारा यह सम्मेलन भी कुछ प्रतीकों की ओर इशारा कर रहा है। इस नगर के पास त्रिवेणी बहती है। जब अलग कर देखना चाहें तो गंगा, जमुना, सरस्वती और जब भेद दृष्टि मिटाकर देखना चाहें तो संगम या त्रिवेणी। राजभाषा की भी एक ऐसी त्रिवेणी बनाई जानी चाहिए। आज के परिवेश में अंग्रेजी से दूरी रखना एक बिना विश्लेषण किए लिया गया निर्णय होगा। अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के सबलीकरण के लिए बखूबी किया जा सकता है। हिंदी को संस्कृत की सम्पदा विरासत में मिली है। एक अन्य भारतीय भाषा के आमेलन से हमें राजभाषा का प्रयागराज स्थापित करना चाहिए। त्रिभाषा सिद्धांत भी इसी ओर इशारा करता है। हिंदी को रोटी-रोजी से जोड़ने की बात जब आती है तो भाषा के ज्ञान का महत्व और उसकी अर्थोपार्जक शक्ति का आभास होता है। वसुधैव कुटुम्बकम् को चरितार्थ होते देखकर यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि जो भाषा की त्रिवेणी में स्नान कर लेगा उसके सारे आर्थिक कष्ट दूर हो जाएंगे। गरीबी का मैल और विपन्नता का क्लेश मिट जायेगा। तीन भाषाओं का ज्ञाता समाज में उपयोगी, कुशल ओर रोजगार लायक पाया जायेगा। तीन भाषाओं का ज्ञान व्यक्ति को उतना ही दक्ष और कुशल बना देगा जितना कोई भी प्रोफेशनल पाठयक्रम बना सकता है। हां, कंप्यूटर के इस युग में व्यक्ति को भाषा के साथ-साथ कंप्यूटर संचालन का कौशल अनिवार्यत: प्राप्त करना होगा। फिर कोई ऐसा देश या काल नहीं होगा जहां ऐसे शब्दों के कुशल लुहार या सुनार या जौहरी या कारीगर या चितेरे या संगीतकार या वादक या विशेषज्ञ की वक़्त न हो। भाषा की इस त्रिवेणी में स्नान करके तो उसका जन्म सफल हो जायेगा। ■

हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है

—माखन लाल चतुर्वेदी

वैज्ञानिक व तकनीकी हिंदी लेखन का विकास और सम्भावनाएं

—डॉ. पुरुषोत्तम छंगाणी*

हिंदी जन-जन की वाणी है। यह हमारी अस्मिता की उज्जवल पहचान और संस्कृति की अविरत संवाहिका है। हमारे संविधान द्वारा राजभाषा के गरिमामय पद से अलंकृत हिंदी निश्चय ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश के कोने-कोने में सर्वाधिक बोली व समझी जाती है,परन्तु विडम्बना यह है कि यह अपनी समग्रता व पूर्णता के साथ सही मायने में राष्ट्रभाषा के रूप में महिमा मंडित नहीं हो पायी है। अनेकता में एकता की सुदृढ़ कड़ी के रूप में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन करने के लिए हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सामयिक निर्णय लिया गया था कि हिंदी को हर स्तर की शिक्षा का सशक्त माध्यम बनाया जाए। परन्तु, यह सर्वविदित है कि विज्ञान एवं तकनालॉजी की विभिन्न विधाओं व विषयों की स्तरीय पुस्तकों को हिंदी में मूल रूप से लिखने या अनुवाद करने की गति इतनी धीमी रही है कि वांछित सफलता अभी बड़ी दूर दृष्टिगत होती है। इसके फलस्वरूप वैज्ञानिक संस्कृति भी पल्लवित नहीं हो पा रही है।

तकनीकी हिंदी लेखन के दो रूप

वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन में हिंदी का एक और भी पहलू है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नवीन उपलब्धियों व उन्नत तकनीकों का जन-जन को 'वैज्ञानिक ज्ञान' कराने के लिए भी हिंदी को उपयुक्त माध्यम माना गया है। इस प्रयोजन के लिए भी हिंदी में लेखन आवश्यक है। इस प्रकार 'वैज्ञानिक संस्कृति' और 'वैज्ञानिक ज्ञान' दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं और इसलिए दोनों के लेखन में भाषा-शैली का स्वरूप भी भिन्न-भिन्न होगा। विज्ञान व तकनालॉजी के क्षेत्र में शास्त्रीय लेखन के लिए जहां चिंतन पद्धति के अनुरूप ढली हुई भाषा के प्रयोग की जो अनिवार्यता बताई जाती है वह उचित है, परन्तु 'वैज्ञानिक ज्ञान' का लेखन सामान्य शब्दों में, सरलता व सुबोधता का ध्यान रखते हुए करने का आग्रह भी नितांत सही है। इस प्रकार विज्ञान सम्बन्धी लेखन में हिंदी को दो स्तरों पर दो भिन्न-भिन्न रूपों में प्रवृत्त करने की आवश्यकता होगी। लोकप्रिय विज्ञान-ज्ञान के साहित्य लेखन के लिए हिंदी का सामान्य रूप ही श्रेयस्कर रहेगा, परन्तु शोध व प्रयोग आधारित स्तरीय विज्ञान-शास्त्र के लेखन में हिंदी के ऐसे स्वरूप के प्रयोग की अनिवार्यता होगी, जिसमें सरलता तो हो, पर शैथिल्य न हो। जिसमें बोधगम्यता तो हो, पर स्तरहीनता न हो। जिसमें शब्दों की पारिभाषिक विलक्षणता तो हो, पर अर्थ न्यूनता न हो। पारिभाषिक शब्द, विशिष्ट विज्ञान या शास्त्र आदि में विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और उनकी संदर्भगत सुनिश्चित परिभाषा भी दी जा सकती है। किसी भी भाषा के सामान्य शब्द, अपने सामान्य अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन हिंदी में करने के लिए पारिभाषिक शब्दावलियों को होना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि इसके अभाव में विशिष्ट विषयों के सार्थक प्रतिपादन की सूक्ष्म अभिव्यक्ति कर पाना लगभग असंभव है। हिंदी भाषा के मूर्धन्य विद्वान स्व. डॉ. श्यामसुन्दर दास ने आज से कई वर्ष पूर्व 'हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली' की भूमिका में लिखा था कि जब भी किसी विद्वान से हिंदी में वैज्ञानिक लेखन के लिए कहा जाता है तो वह तुरन्त हिंदी शब्दावली उपलब्ध कराने की शर्त रखता है। हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने का कार्य उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था और इसमें न्यूनाधिक रूप से लेखन कार्य संपंन होने लगा था।

पारिभाषिक कोश परम्परा

प्रख्यात कोशकार डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी में कोश परम्परा के जनक अमीर खुसरो को माना जा सकता है। उन्होंने 'खालिक-बारी' नामक कोश-कृति की रचना की थी। परंतु, सर्वप्रथम हिंदी पारिभाषिक कोश बनाने का श्रेय मि. रोबक को जाता है जिसने वर्ष 1809 ई. में

*पशु चिकित्सालय परिसर, चेतक सर्कल, उदयपुर-313004

इंग्लैण्ड में स्थापित 'ट्रांसलेशन सोसायटी' के अन्तर्गत नौ-विज्ञान (नेवल साइंस) के पारिभाषिक शब्दों का 'अंग्रेजी हिंदी कोश' वर्ष 1811 ई. में प्रकाशित किया था। वर्ष 1843 ई. में रसायन शास्त्र के एक ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने के लिए डॉ. वेलनटाइन ने हिंदी शब्दावली का निर्माण किया था। वर्ष 1847 ई. में आगरा की 'स्कूल बुक सोसायटी' ने 'रसायन प्रकाश प्रश्नोत्तर' प्रकाशित किया था। 'सांइटिफिक सोसायटी' ने 'भाप इंजन' तथा भूगर्भशास्त्र, रसायन व बीजगणित आदि पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित करायी थी।

पारिभाषिक शब्दों के निर्माण एवं तकनीकी हिंदी लेखन का सुव्यवस्थित कार्य 'नागरी प्रचारिणी सभा' नामक संस्था ने किया था। इसकी शब्दावलियों में पूर्व प्रचलित शब्दों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध उपयुक्त शब्दों को भी सम्मिलित किया गया था। सभा ने कुल सात शब्दावलियों का निर्माण किया था। गुरुकुल कांगड़ी ने वर्ष 1900 ई. में सर्वप्रथम सभी विषयों की शिक्षा हिंदी माध्यम से देने का निर्णय लिया था। इसने विज्ञान संबंधी कई पाठ्य-पुस्तकें हिंदी में लिखवायी थी, जिनमें कुछ नये पारिभाषिक शब्दों का भी निर्माण कर उनको प्रयोग में लिया गया था। वर्ष 1925 ई. में बनारस के केशव प्रसाद माथुर, वर्ष 1930 ई. में प्रयाग विश्वविद्यालय तथा वर्ष 1940 ई. में सुखसंपत राय ने पारिभाषिक कोश तैयार किये और उनका प्रयोग कर विज्ञान एवं तकनीकी लेखन करवाया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यक्तिगत महत्वपूर्ण कार्य डॉ. रघुवीर का रहा। उनके कोश की कई विशेषताएं चर्चित रही हैं। उल्लेखनीय है कि उनके कोश में एक शब्द केवल एक ही मूल अर्थ को व्यक्त करता है। उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित शब्दावली कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने लगभग 25 विषयों की शब्दावलियों की रचना करवायी थी, परन्तु सभी प्रकाशित नहीं की जा सकी। इनकी विशेषता यह थी कि इनमें अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को ज्यों का त्यों ले लिया गया था।

सरकारी स्तर पर राजभाषा आयोग की स्थापना के साथ पारिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण के लिए सुनियोजित कार्यक्रम बनाया गया। इसकी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि शब्दावली स्पष्ट, सरल तथा यथातथ्य हो। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को अपेक्षित परिवर्तनों के साथ (यदि आवश्यकता हो तो) इसमें सम्मिलित किया जाए। एकरूपता की ओर विशेष ध्यान रखा जाए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, विधि मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने वृहद स्तर पर विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण करा उनको प्रकाशित किया। इनमें हिंदी प्रतिशब्दों के अतिरिक्त उनकी परिभाषाएं एवं व्याख्याएं भी दी गई हैं। इनके लिए विषयवार विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया था। इन पंक्तियों का लेखक भी 'खनन एवं भूविज्ञान शब्दावली' की विशेषज्ञ समिति का सदस्य रहा है।

शब्दावली निर्माण हेतु कतिपय सिद्धांत निरूपित किये गये थे। हिंदी में वैज्ञानिक व तकनीकी लेखन के लिए यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाया जाए और हिंदी की प्रकृति के अनुसार उनका लिप्यंतरण किया जाए। ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए हैं उन्हें वैसा ही रखा जाए, उदाहरण के लिए मार्क्सवाद, ब्रेल, गिलोटिन आदि। ऐसे शब्द जिनके रूप सारे विश्व में प्राय: इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें वैसे ही अपनाया जा सकता है, जैसे लाइसेंस, परमिट आदि। हिंदी पर्याय का चुनाव करते वक्त सरलता, अर्थ की परिशुद्धता तथा सुबोधता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के जो शब्द हिंदी में रच-पच गए हैं उन्हें यथारूप लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, जैसे— सिगनल, टिकट, पुलिस, ब्यूरो आदि।

समस्याएं, समाधान और संभावनाएं

तकनीकी हिंदी लेखन की गम्भीर समस्या यह है कि लेखक एकरूपता का ध्यान नहीं रखते हैं। अनेकरूपता के कारण कई कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। लेखक पूर्व प्रकाशित शब्दावलियों या पुस्तकों से पारिभाषिक शब्द ग्रहण कर उनका अपने लेखन में प्रयोग करते हैं, जबकि अधुनातन शब्दावलियों में उन शब्दों के लिये कोई दूसरे ही पर्याय दिये हुए होते हैं। नाइट्रोजन के लिए लेखन में दो रूप मिलते हैं— नाइट्रोजन व नत्रजन। ऐसे अन्यान्य उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत: तकनीकी हिंदी लेखकों से उन मानक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अपेक्षित है जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित व प्रकाशित पारिभाषिक शब्दावलियों में अंकित हैं।

परन्तु आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न शब्दावलियों में कहीं-कहीं अनेकरूपता के दर्शन हो जाते हैं।

हिंदी में वैज्ञानिक व तकनीकी लेखन के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय स्तरों पर पर्याप्त कार्य हुआ है,

परन्तु आपसी तालमेल व एकरूपता की कमी, इनकी उपादेयता पर प्रश्नचिह्न लगा देती है।

अब तक प्रकाशित कतिपय ग्रंथों का उल्लेख कर वैज्ञानिक व तकनीकी लेखन में हिंदी के प्रयोग के संबंध में यह चिंता व्यक्त की जाती है कि इसमें भाषा-शैली का गांभीर्य एवं कसाव नहीं है, अत: यह लेखन स्तरहीनता के आरोप में निम्न श्रेणी में रखा जाता है। कुछ हद तक यह चिंता सही है। हर भाषा की अपनी अलग प्रकृति होती है और उसके अनुरूप ही उपयुक्त शैली में संकल्पनाओं की सार्थक अभिव्यक्ति की जाती है। यदि अंग्रेजी के अनुसार वाक्य विन्यास आदि रचे जाएंगे तो वे पराये से-अप्रभावी सिद्ध होंगे ही। अत: लेखकों को हिंदी की प्रकृति को ध्यान में रख कर ही लेखन करना चाहिए। इसके लिए हिंदी कार्यशालाओं का समय-समय पर आयोजन किया जाना जरूरी है। लेखन-शिवरों से भी आशातीत सफलता हासिल की जा सकती है। निरंतर अध्ययन व अभ्यास से समस्या-मुक्ति अवश्य मिल सकेगी।

हिंदी में लेखन हेतु लेखकों को अंग्रेजी शब्द के सही पर्याय का चुनाव करना चाहिए। शब्दकोशों में एक शब्द के कई अर्थ दिये रहते हैं परन्तु लेखक को अपने संदर्भ के अनुसार सही शब्द का चयन करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी शब्द 'कंडक्टर' के दो अर्थ रूप हैं। यदि कंडक्टर सजीव है तो उसे 'परिचालक' कहा जाएगा और यदि वह मशीन का निर्जीव पुर्जा है तो उसका पर्याय 'परिचालित्र' बनाया गया है। अत: लेखक को जिस कंडक्टर के लिए शब्द चाहिए, उसी के अनुसार शब्द का चयन किया जाए। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा प्रकाशित शब्दावलियों में यथासंभव सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के लिए भी शब्द रचना की गई है। लेखक इसका भी लाभ उठाकर अपने लेखन के स्तर में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ईवेपोरेशन के लिए 'वाष्पीभवन' व 'वाष्पीकरण' दो शब्द बनाए गए हैं। धूप में कपड़े सूख रहे हैं तो यहां वाष्पीभवन हो रहा है, न कि वाष्पीकरण। इसके अलावा, वर्तनी की शुद्धता को पूरी अहमियत दी जानी चाहिए।

हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन करने वाले लेखकों को लेखन के दौरान बराबर इस बात का अहसास रहना चाहिए कि वे किस बौद्धिक स्तर के पाठकों के लिए अपना यह लेखन कर रहे हैं। पाठकों के अनुरूप ही भाषा-शैली के स्वरूप का प्रयोग कथ्य को अधिक प्रभावी व बोधगम्य बनाता है। आम जन तथा अध्येताओं के साहित्य में हर स्तर पर भिन्नता तो अवश्य ही होनी चाहिए।

यह सुखद स्थिति है कि हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी सभी तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में सहयोग एवं सहकार कर रहे हैं। वैज्ञानिक व तकनीकी ग्रन्थों के हिंदी में अनुवाद तथा मौलिक ग्रंथों के प्रणयन की गति कुछ धीमी अवश्य है, परन्तु इससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें लोगों के इस कथन को झुठलाना है कि अंग्रेजी हम से छूट नहीं पा रही है। हिंदी इतनी सक्षम है कि वह समय की हर चुनौती का दृढ़ता के साथ सामना कर सकती है। तकनीकी हिंदी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने कई पुरस्कार योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनका अनुकूल प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। तथापि, इन योजनाओं को और अधिक आकर्षक एवं प्रभावी बनाया जाना चाहिए। यह खुशी की बात है कि हिंदी में तकनीकी लेखन को लेखकों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है।

अंत में, मैं हिंदी भाषा के उद्भट विद्वान डॉ. गोपाल शर्मा के शब्दों में कहना चाहूंगा कि केवल संविधान की धाराओं का मंत्रोच्चार या जाप करके हम अपने अनुष्ठान में सफल नहीं हो सकते। सफलता उनके चरण चूमती है जो आस्था, निष्ठा व समर्पण की पावन भावना से लक्ष्य साधने में जुट जाते हैं। हम आशावान हैं कि हिंदी निश्चय ही समस्त भारत की वाणी के रूप में उत्तरोत्तर सम्मान पाएगी। ■

राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी देश की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी, इसमें दो राय नहीं

—जवाहर लाल नेहरू

349 HA/2004—2A

वैश्वीकरण और हिंदी का बदलता स्वरूप

—श्रीमती धृति नेमा*

अज्ञेयजी के शब्दों में — "भाषा कल्पवृक्ष के समान है। यदि भाषा को ठीक तरह से साधा जाय तो वह हमें सब कुछ दे सकती है।" भाषा सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों को प्रभावित करतीं है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती रही है। भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत रही है और संस्कृत भाषा ने जहां हमारे सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों को स्थापित किया है वहीं हिंदी इन स्थापित मूल्यों की पोषक रही है। स्थापित मूल्य तभी स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि उन्हें उचित पोषण मिलता रहे, दुलार और स्नेह मिलता रहे। हिंदी भाषा इसी तरह का पोषण, दुलार न स्नेह प्रदान करती है।

हिंदी की विकास यात्रा :

भाषा की राजनीति और राजनीति की भाषा के दलदल में हिंदी और उसके साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाएँ भी अंग्रेजी के सामने असक्षम-असमर्थ और बौनी लगती थी उनके विकास और प्रयोग को समय, श्रम और साधनों का अपव्यय माना जाता था। भाषा के साथ जोड़े जाने वाले संस्कृति, संस्कार, जीवनमूल्य और राष्ट्रीय अस्मिता जैसे तत्व गौण ही नहीं हो चुके थे बल्कि समाज में उसके प्रति उपेक्षा-उदासीनता यहां तक कि तिरस्कार का भाव भी पनपता जा रहा था परन्तु वैश्वीकरण ने हिंदी को नए आयाम प्रदान कर दिए, इसका व्यावसायिकता पर प्रभाव पड़ने लगा। विदेशों में हिंदी की पहचान और हिंदी के लिए ललक बढ़ी-हिंदी की बढ़ती मांग से भारत वासियों को भी लगने लगा कि हिंदी का भविष्य उज्जवल ही नहीं स्वर्णिम भी। वैश्वीकरण के बढ़ते चरण के साथ ही हिंदी के बहुआयामी रूप हमें देखने को मिल रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी :

वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ है। इस क्षेत्र में सारा कार्य अंग्रेजी में ही हो रहा था पर वैश्वीकरण के कारण हिंदी का प्रभाव शीघ्र ही नजर आने लगा। "घूमिए जगत जोड़ते जाले में" : इंटरनेट पर हिंदी। इस तरह इंटरनेट पर हिंदी के तीव्र विकास ने नई संभावनाओं को जन्म दिया है। अब आम आदमी भी इंटरनेट के जरिए सभी प्रमुख हिंदी अखबारों और विभिन्न प्रकार के हिंदी साहित्य का लाभ ले रहा है। विभिन्न पोर्टल जैसे वेबदुनिया, रेडिफ, जागरण, प्रभासाक्षी नैटजाल आदि प्रस्तुत हैं। संविधान, अपोलोलाइफ, गीताप्रेस, बीमारी जानकारी, रसिक, इंटेलइण्डिया शुभलाभ, बीबीसी हिंदी, भारतवाणी जैसी कई सौ वेबसाइट का निर्माण हिंदी में किया जा रहा है। इंटरनेट पर मेल सर्विस, ई पत्र, इंडियाटाइम्स, मेलजोल, हिंदी पत्र आदि के जरिए हिंदी में ई मेल सर्विस दी जा रही है। प्रसारण के तहत बीबीसी एनआईसी, आज तक व विमर्श ग्रुप्स याहू हिंदी फोरम का लाभ लिया जा सकता है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के शब्दकोष तैयार हैं। भाषाई कंप्यूटिंग के तहत भारत भाषा हिंदी 3 ट्राइपोर्ट, थ्योरी बॉम्बे हिंदी आदि द्वारा हिंदी का वांछित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

टेलीविज़न :

विश्व आर्थिक परिदृश्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका आज पूंजी निभा रही है। बाजार में एक भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल आज पूंजी की प्रकृति और चरित्र पर निर्भर है। टेलीविजन के विभिन्न चैनलों पर मल्टीनेशनल कम्पनियों द्वारा विज्ञापन में हिंदी का अपने ढंग से प्रयोग किया जा रहा है। बाजार आज खरीददार से उसकी ही भाषा में बात करना चाहते हैं। आज कम्पनी अपने विज्ञापन में हिंदी का प्रयोग

*प्रकाश पुंज, 16ए, दर्शनपुरा, एम. बी. कालेज के सामने, उदयपुर-313001

349 HA/2004—2B

कुछ इस प्रकार करती है कि वह विज्ञापन अधिक संग्राही बन जाता है। कोक का विज्ञापन हो या पेप्सी, लक्स हो या लाइफबॉय सभी विज्ञापनों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। शीतल पेय के एक विज्ञापन में "दिल मांगे मोर" दिल कहने से जो विचार-जो भाव जनता तक संप्रेषित होता है वह भाव-वह विचार दिल के स्थान पर हार्ट शब्द से नहीं जन्म ले सकता। यही कारण है कि आज विज्ञापन व प्रचार का माध्यम बड़ी तेजी से अंग्रेजी से हटकर हिंदी की ओर बढ़ा है और कम्पनियों को इसका सुखद फल भी प्राप्त हो रहा है। जनता तक पहुँचने और अपने उत्पादों को पहुँचाने के लिए हिंदी का महत्व दिनों-दिन बढ़ रहा है। सबसे लोकप्रिय समाचार चैनल "आज तक" हिंदी का ही है। हिंदी का मार्केटिंग में जमकर प्रयोग हो रहा है। हिंदी धारावाहिक विदेशों में काफी देखे व पसंद किए जाते हैं।

रोजगार के क्षेत्र में :

हिंदी के बदलते तेवर से देश का आम आदमी हिंदी से मिलने वाले रोजगार के संदर्भ में सोचता है। अखबारों की बढ़ती संख्या और विज्ञापनों की व्यापकता के कारण उसे सफलता भी मिलती है। दृश्य-श्रव्य माध्यम व प्रिन्ट माध्यम में भी हिंदी की स्थिति मजबूत है व रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है। विज्ञापन जगत में हिंदी के विज्ञापन लेखकों की पूछ बढ़ी है।

फिल्म क्षेत्र में :

वैश्वीकरण में हिंदी के बदलते तेवर की पुष्टि इस उदाहरण से होती है कि वारियर फिल्म को पिछले वर्ष लंदन फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था लेकिन बाद में उसे यह कहकर अलग कर दिया गया कि यह एक हिंदी फिल्म है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था मोशन पिक्चर आर्ट्स एण्ड साइंसेज का कहना था कि हिंदी में बनी फिल्म को एक ब्रिटिश फिल्म नहीं माना जा सकता। लेकिन ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एवार्ड्स ने इस तर्क को नजरअंजदाज करते हुए वारियर को साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना और उस पर पुरस्कारों की वर्षा की। इस पूरी फिल्म में संवाद की अवधि 6 मिनट की है जो हिंदी में है।

फिल्म उद्योग के माध्यम से हॉलीवुड व बॉलीवुड का अंतर मिटा है। विदेशों में हिंदी फिल्मों के प्रति रुझान जबर्दस्त बढ़ा है। यदि हमें हिंदी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाना है तो फिल्मों को भी प्रोत्साहन देना होगा।

हमारे लिए गौरव की बात है कि हिंदी फिल्में लगान हो या देवदास, ऑस्कर की दौड़ में शामिल तो होती हैं। वर्तमान में कई निर्देशक, निर्माता विदेशियों की पसन्द को ध्यान में रखकर हिंदी फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि विदेशों में हिंदी फिल्मों को खासा पसन्द किया जा रहा है। "दिल वाले दुल्हनियाँ ..." एवं "कुछ कुछ होता है" जैसी फिल्मों ने अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ डाले हैं।

बाजार संस्कृति और हिंदी :

वैश्वीकरण के दौर में हिंदी को नए परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है। वैश्विक और उदारीकृत अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका महत्वूपर्ण हो गई है। भौगोलिक सीमाओं के बन्धन टूट गए हैं, बाजार का विस्तार हुआ है। भूमण्डलीकृत बाजार के दौर में किसी भी उत्पाद या सेवा का बाजार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय शाखाओं का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन्हीं कंपनियों की अन्य देशों की शाखाओं की विकास दर की तुलना में भारत में विकास दर अधिक आंकी गई है। इस बात से सिद्ध होता है कि वैश्वीकरण की स्थिति में भारतीय बाजार विश्व परिदृश्य पर महत्वपूर्ण बाजार बनकर उभर रहे हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देना प्रारम्भ कर दिया है और प्रशिक्षित कर्मचारियों को बाजार में मार्केटिंग के लिए भेजा जाता है क्योंकि ये कंपनियाँ जानती हैं कि यदि उन्हें माल बेचना है तो हिंदी भाषा को अपनाना ही होगा। हिंदी भाषा कई देशों में बोली, सुनी और समझी जाती है और यही बात हिंदी की ताकत बन गई है, जिसे हम "**बाजार की ताकत और ताकत का बाजार**" भी कह सकते हैं।

धार्मिक क्षेत्र में :

फ्रांस में सैकड़ों वर्षों पूर्व 18 वीं शताब्दी के अंत में गीता पर एक लेख लिखा गया था और पी.एच. डी. की उपाधि प्रदान की गई थी। इसी तरह रूस में रामायण पर कार्य हुआ। शताब्दी पूर्व टेसीटेरी ने भी रामायण पर कार्य किया था। हाल ही में मॉरीशस में हिंदू धर्म सम्मेलन कृष्णानन्द आश्रम में हुआ था-उसमें हिंदी दार्शनिकों को बुलाया गया था और आख्यान माला आयोजित की गई थी। न्यूयार्क में डॉ. विद्यानिवास के सभापतित्व में धर्म और दर्शन पर एक एनसाइलोपीडिया बनवाया गया।

हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन ने विदेशों में अपने केन्द्र स्थापित किए हैं और इनके माध्यम से गीता-ज्ञान को फैला रहे हैं। इनके द्वारा भगवान की रथ यात्रा विदेशों में बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। इस बार फ्रांस में यह उत्सव धूमधाम से मनाया गया था। इसके लिए विदेशियों ने परम्परागत तरीके से सिर मुंडवाकर, धोती पहन कर, जनेऊ धारण कर पूजा अर्चना की।

वैश्वीकरण का एक प्रभाव भारतीय त्यौहारों का विदेशों में उल्लास के साथ मनाया जाना भी है। गोरों की जमीन पर गणपति बाबा अपनी धूम मचाते नजर आते हैं।

राजनीति की दृष्टि से :

राजनीति की दृष्टि से भी हिंदी ने अपनी विकास यात्रा को पूरी गति के साथ बनाए रखा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी भाषण दिया हिंदी में ही दिया। वे हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं भाषा बनाना चाहते हैं। इसके तहत इस तरह के यंत्र विकसित किए जायेंगे जिससे हिंदी में दिए गए भाषण तुरंत ही अन्य मान्य भाषाओं में अनूदित हो जाऐंगे।

सांस्कृतिक दृष्टि से :

विदेशों से सैलानी भारत भ्रमण के लिए आते हैं। यहाँ आकर वे यहाँ की सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन करते हैं और उसे सहेज कर अपने साथ भी ले जाते हैं। विदेशी सैलानियों को इस तरह की मार्गदर्शिका जो कि रोमनलिपि में होती है उपलब्ध कराई जाती है जिससे वे उस मार्गदर्शिका में बताए तरीके से व्यापारी वर्ग व अन्य लोगों से हिंदी में जानकारी हासिल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।

वैश्वीकरण के कारण विदेशों में भारतीय मेलों की धूम मची रहती है। विभिन्न उत्सव आयोजित किये जाते हैं। इनमें भारतीय भोजन की मांग बढ़ी है। भारतीय भोजन को भारत में प्रचलित हिंदी नामों से ही परोसा जाता है जैसे दाल, बाटी, चूरमा, अचार, पापड़ इत्यादि। यही नहीं पारम्परिक वेशभूषा का महत्व बढ़ा है। विभिन्न फैशन-शो में हिन्दू परिधान साड़ी को भी आकर्षक व सुविधाजनक रूप में तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है। हाल ही में अक्षरम संस्था की ओर से एक प्रवासी भारतीय कवि सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस तरह के आयोजन प्रवासी भारतीयों के लिए सेतु का निर्माण करते हैं।

विश्व हिंदी सम्मेलन की भूमिका :

हिंदी भारत की ही नहीं वरन् विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली और सहज ही समझी जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित भाषाओं में से है। हिंदी की विश्व यात्रा फिजी से लेकर केरीबियायी देशों तक सम्पन्न हुई है।

सूरीनाम के पारामारिबो शहर में विश्व हिंदी सम्मेलन 5 से 9 जून 2003 को सम्पन्न हुआ। आवश्यकता इस बात की है कि हम विश्व हिंदी सम्मेलनों के सांस्कृतिक और राजनयिक प्रयोजन को समझें और इन सम्मेलनों को अधिक से अधिक उपयोगी और दूरगामी बनाने का प्रयास करें।

विदेशों में हिंदी शिक्षण :

विदेशों में हिंदी शिक्षण ने जोर पकड़ा है। सूरीनाम के भारतीयों ने 130 वर्षों से इस भाषा को जीवित रखा है। यहां हिंदी की शिक्षा पांच वर्षीय है। इसी तरह इटली और फ्रांस में भी हिंदी शिक्षण के साथ हिंदी संस्कृति पढ़ाई जाती है। फिजी और केरीबियाई देशों में हिंदी शिक्षकों का अभाव है उसे दूर करना होगा। सूचना है कि ब्रिटेन में हिंदी शिक्षा के लिए एक हिंदी सचिवालय शीघ्र ही खोला जाएगा। यही नहीं ब्रिटेन में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उच्चायोग की ओर से सभी संभव सहायता की जाएगी। यहाँ के प्राइमरी स्कूलों में शीघ्र ही तीसरी भाषा के रूप में हिंदी, संस्कृत को शामिल किया जाएगा। वैश्वीकरण के बढ़ते महत्व को देखते हुए सरकार के राष्ट्रीय भाषा दस्तावेज में कई बड़ी सिफारिशें की गई हैं।

हिंदी के लिए यह गौरव की बात ही थी जब ब्रिटेन के 500 विद्यार्थियों ने 35 केंद्रों पर एक महीने चली प्रतियोगिता में भाग लिया। इस हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता में लंदन के अतिरिक्त बर्मिंघम, वाल्साल, लेस्टर, बेलफास्ट, नॉटिंघ्मम, मैनचेस्टर और लीड्स के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

हिंदी के समक्ष चुनौतियां :

हिंदी का इतिहास मूलत: राष्ट्र निर्माण के संघर्ष का इतिहास है। जिस तरह राष्ट्र निर्माण एक हमारी जिम्मेदारी है उसी रूप में हिंदी में ज्ञान-विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धता को हमें बढ़ाना होगा।

हिंदी में आज समाज पर गंभीर सोच का अपना कोई जगत नहीं हैं। एक सक्रिय दुनिया जरूर है, हिंदी में बहुत भाव-प्रवण, प्रेरित दुनिया। हिंदी भाषा में क्या हो रहा है? बहुत कम को इस बात का अंदाज है। हिंदी कितने रूपों में

रची, बनाई, शायद बिगाड़ी भी और संवारी जा रही है। कितनी अंतर्ध्वनियाँ, कितनी अनगूंजें, कितने नए चरित्र, कितने नए अहाते हिंदी अपने में समेटे है, जिन्हें वैश्वीकरण का मंच मिलने से अब इसका हर एक रूप उजागर होकर रहेगा।

आज की सबसे बड़ी चुनौती वैश्वीकरण है यह एक ऐसे मानकीकरण का प्रयास है जिससे सारी दुनिया एक विश्वग्राम बनना चाहती है। हमारी भाषा, संस्कृति, साहित्य, जीवनशैली से विश्व के अन्य देश परिचित होना चाहते हैं। विदेशियों का भारतीय संस्कृति के प्रति रूझान और अनुराग ही उन्हें भाषा सीखने की प्रेरणा देता रहता है।

समाधान :

हिंदी को सिर्फ साहित्य, कविता, कहानी की परिधि में नहीं समेटा जाना चाहिए। ऐसा करना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। हिंदी के विद्वानों को हिंदी के इस बदलते तेवर के लिए हिंदी के समक्ष आई बाजारगत चुनौतियों के लिए निरंतर प्रतिबद्धता व नई तेजस्विता के साथ जुटे रहना होगा।

बाजार के मुहावरों की समझ, नई–नई प्रविधियाँ/विधियाँ, संप्रेषणीयता आदि का ज्ञान कराना होगा। विज्ञापन लेखनकला आदि सिखाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया जाना होगा, तभी विश्व आर्थिक परिदृश्य में हिंदी उतनी ही ताकतवर व मान्य होगी जितनी बड़ी तादाद में हमारी भाषा में खरीदारों की संख्या विद्यमान होगी।

वैश्वीकरण और हिंदी के बदलते तेवर के संदर्भ में सर्वप्रथम हम भारतवासियों को अपने आग्रहों और दुराग्रहों को त्याग कर राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा की खातिर भाषा के प्रश्न पर उसी तरह एक जुट हो जाना चाहिए जैसे अंत: बाह्य संकटों के समय समूचा भारत एकता के सूत्र में बंध जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम आर्थिक गुलामी के साथ–साथ भाषिक दृष्टि से भी गुलाम बन जाऐंगे।

यदि हमें हिंदी को वैश्विक पटल पर उभारना है तो उसे युग के वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानदंडों के अनुरूप नए तेवरों से सुसिजत करना होगा। प्रत्येक भारतवासी को संकल्पबद्ध होकर इस दृष्टि से चिन्तन मनन करना होगा कि भारतीय संस्कृति की पताका विश्व में फहरानी है तो वह हिंदी के माध्यम से ही संभव हो सकती है क्योंकि भाषा में ही संस्कृति के प्राण बसते हैं। ■

हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता

—महात्मा गांधी

हिंदी विज्ञान लेखनः पठन, प्रकाशन तथा परिचालन

—डॉ. दिनेश चमोला 'शैलेश'*

भारतीय वाङ्मय में प्राचीन काल से ही विज्ञान के प्रति अन्वेषणोन्मुखी दृष्टिकोण रहता आया है। तब से लेकर आज तक विज्ञान में अबाध गति से न केवल भौतिक स्तर पर प्रगति रेखांकित की गई है बल्कि संवेदना के स्तर पर भी विज्ञान ने जनमानस की हृदय-तंत्री को झंकृत करने का सफल प्रयास किया है। आज का वैज्ञानिक चंद्रलोक से लेकर सागर की गहराइयों तक अपने उर्वर मस्तिष्क के प्रयोगोन्मुखी आविष्कारों से अपनी उपस्थिति यत्र-तत्र-सर्वत्र दर्ज करा चुका है। वैज्ञानिक चेतना का यह ऊर्ध्वमुखी स्वरूप भारतीय परिवेश में प्राचीन काल से आज तक बड़े परिमार्जित स्वरूप में दिखाई देता है। इस परंपरा में अनेकानेक भारतीय मनीषी वैज्ञानिकों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। 'रेखागणित' की रचना करने वाले आपस्तम्बऋषि, 'नवांक' तथा 'शून्य' के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले प्रख्यात ज्योतिर्विद एवं खगोलशास्त्री आर्यभट्ट, 'नक्षत्र विज्ञान' के अप्रतिम दृष्टा वैज्ञानिक वराहमिहिर, 'घनमूल' व 'वर्गमूल' के आविष्कारक ब्रह्मगुप्त, 'अंकगणित' व 'बीजगणित' के रचयिता भास्कराचार्य, रसायन, धातु विज्ञान व आर्युवेद के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान देने वाले 'चिकित्सा शास्त्र' व 'औषधि विज्ञान' ग्रन्थों के रचयिता चरक, 'संधान शल्यकर्म' के जनक सुश्रुत, 'आष्टांग हृदय' के प्रणेता वाणभट्ट, सर्वाधिक चर्चित शल्यविज्ञानी धन्वंतरी, 'हस्तायुर्वेद' नामक पुस्तक के रचयिता कायाकल्प, ब्रहमा जी से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने वाले अश्विनी कुमार, 'यंत्रार्णव' व 'भारद्वाज संहिता' के रचयिता महर्षि भारद्वाज, प्रख्यात गणितज्ञ वोधायन व गृत्समदऋषि, इंद्र के दूरभेदी वाण का निर्माण करने वाले त्वष्टा तथा शिल्प विज्ञान के शिखर पुरुष विश्वकर्मा के नाम से भला आज कौन अपरिचित होगा?

विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से लेकर व्यावसायिक जीवन क्रम के विभिन्न पड़ावों पर हमारे साथ निरंतर ही रूबरू होता रहता है। यह बात अलग है कि कहीं हम उस विज्ञान को सामान्य ज्ञान, लोकापयोगी ज्ञान, पारंपरिक अथवा अन्यान्य माध्यमों का नाम लेकर अभिहित करते रहते हैं। किंतु विज्ञान का स्वरूप प्रयोग के धरातल पर मानव जीवन के विभिन्न पड़ावों पर न केवल दृष्टिगत होता है बल्कि उसको प्रभावित भी करता है। इस वैज्ञानिक परंपरा का स्वरूप प्रकृति से अभिन्नता रखने वाले जीवों व प्राणियों के साथ भी परिलक्षित होता है। अपने शरीर विकार को दूर करने के उद्देश्य से कुत्ता भी दूब जैसी हरी घास को विभिन्न प्रकार के घासों में से ढूंढ-ढांड कर खाता है। ऐसी वैज्ञानिक चेतना भला उस मूक प्राणी को किसने दी? ऐसे ही न जाने कितने प्राणियों के अध्ययन करने से उनकी वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण का जायजा लिया जा सकता है।

आज भी भारतीय ग्राम्य परिवेश में विज्ञान का यह आधारभूत प्रयोग प्रकृति से लेकर आग, खेलकूद, कर्मकांड, पूजा-अर्चना, छोटी-मोटी बीमारियों के उपचार के साथ-साथ तीज-त्यौहारों के अवसर पर बराबर किया जा रहा है। किंतु इसे सीधे-सीधे विज्ञान न कहकर ज्ञान की ऐसी श्रव्य व दृष्य परंपरा माना जाता है जो विज्ञान का पर्याय होने पर भी उनके लिए विज्ञान-सा आभासित नहीं होता। यद्यपि विज्ञान के प्रति गहरी सोच न रखने वाले वे तथाकथित प्राणी अथवा मानव अथवा प्रयोगकर्ता उसकी परिणति की सफलता से पूर्णतः आशान्वित भी होते हैं किंतु फिर भी उस विशिष्ट बात, वस्तु, विचारधारा, प्रयोग, उपचार अथवा रोग निदान को विज्ञान का नाम देने के लिए कतई तैयार नहीं होते। इसका तात्पर्य यह है कि व्यावहारिक धरातल पर हमने विज्ञान की प्रासंगिकता को दैनिक ज़ीवन में निरंतर स्वीकार किया है किंतु मानसिक धरातल पर अपने को विज्ञान की भयावहता से सदा ही अलग-थलग रखा है। यथार्थ में यदि हम देखें तो ग्रामीण परिवेश में हल चलाते-चलाते अथवा

*भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, हरिद्वार रोड़, मोहकमपुर, देहरादून-248005.

पेड़ों से लकड़ी काटते-काटते शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाए अथवा उस पर कोई गंभीर प्रकार का घाव हो जाए उसके लिए तत्काल उस पर्यावरण में उपस्थित किन्हीं विशिष्ट प्रकार की जड़ी-बूटियों का रस निचोड़ कर हम बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के उस घाव को भर देते हैं जो किसी विशेष कालखण्ड में उसे गहरे जख्म के लिए अचूक रोग निदान का कार्य भी करता है। यद्यपि यह भी मानव की वैज्ञानिक दृष्टि का ही प्रतिफलन है किंतु वैज्ञानिक संचेतना के अभाव में इसे एकाएक वैज्ञानिक घटना, चमत्कार अथवा परिणति मान लेना उसके सहज-साधारण मस्तिष्क को गवारा नहीं होता है। वह प्रकृति व रूढ़ियों को विज्ञान से जोड़ने के लिए तैयार नहीं होता... आदि आदि।

इन सामान्य सी लगने वाली जीवन की घटनाओं, परिघटनाओं को सामान्य जनमानस लोक-परंपरा, अंधविश्वास, रूढ़ियां, किंवदंतियां आदि-आदि नामों अथवा रूपों से भले ही अभिहित कर दे किंतु एकाएक इसे विज्ञान का चमत्कार मान लेने की प्रवृत्ति उसके भीतर विकसित नहीं होती। इसका स्पष्ट कारण यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार सूर्य का उगना व छिपना वह जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक देखता रहता है, उसके प्रभाव, चमत्कार, आभा, प्रकाश आदि से प्रभावित व चमत्कृत भी होता है किंतु उसकी भौतिक विराटता को अपनी सीमित मानसिकता से जोड़े रहने के लिए वह न केवल बाध्य है बल्कि इससे अधिक कुछ मानने के लिए किसी भी स्तर पर तैयार नहीं होता। इसका कारण महज यह है कि उसे इन सब चीजों के बारे में जो ज्ञान, जानकारी अथवा जो 'फीडबैक' प्राप्त हुआ है वह केवल इन्हीं परिसीमित बिन्दुओं एवं ज्ञान के स्तंभों पर आधारित है; ठीक उसी तरह से जिस प्रकार एक नये-नये विद्यालय में गया हुआ नया-नया बालक उसी बात को प्रामाणिक अथवा अंतिम सत्य मान लेता है जो वहां उसके शिक्षक अथवा शिक्षिका द्वारा उसे बता दिया जाता है। उसमें रत्ती भर संशोधन भी न वह स्वीकार करने की स्थिति में होता है न ही अपनी शिक्षिका द्वारा बताए गए उत्तर को किसी भी रूप में संशय की परिधि में रखने के लिए तैयार। उसके लिए वहां से प्राप्त ज्ञान न केवल एक मानक ज्ञान का स्वरूप है बल्कि ज्ञान की ऐसी लक्ष्मणरेखा भी है जो उसके बाल मनोविज्ञान के हिसाब से चिरकाल तक अकाट्यता की पहचान भी रखती है।

इसको दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है कि प्रकृति की विराटता, वन एवं जंगलों की विविधता, वनस्पति की विभिन्नता, प्राणियों व पेड़-पौधों की अनेकानेक प्रजातियां विश्व में तब भी दृष्टिगोचर होती रही होंगी जब उनके बारे में कोई विशिष्ट प्रकार की जानकारी किसी विशिष्ट प्रकार के वैज्ञानिक अथवा अनुसंधानकर्ता द्वारा न दी जाती रही हो। विज्ञान ज्ञान की वह धारा है जो अनंत काल से अक्षुण्ण रूप से प्रकृति व हमारे आस-पड़ोस में अवस्थित रही है किंतु उसको विधिवत रूप से हमने परिभाषित उसी दिन से किया जिस दिन से हमारे 'निज' का साक्षात्कार उसके उस 'स्वरूप' से हुआ है। क्योंकि पहले भी आम, सेब अथवा फलदार वृक्षों से फल गिरा करते होंगे... युगों व सदियों पूर्व भी। किंतु गुरुत्वाकर्षण नियम का शुभारंभ हमने तभी से माना जब न्यूटन ने पहली-पहली बार वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा व उसको गुरुत्वाकर्षण नियम के रूप में अभिहित कर दिया। इसी तरह जल के तापित होने अथवा वाष्पित होने की बात पहले भी होती रही होगी किंतु इसका श्रेय सर्वप्रथम जेम्सवाट को ही जाता है क्योंकि उन्होंने नये रूप में इसे सबसे पहले लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिखाया था। समुद्र का बादल बनना, बादल का पानी बनना, पानी का बरस कर नदी बनना या बर्फ बन पिघलकर नदी बनना, नदियों का बहकर फिर समुद्र में गिरना। यह एक प्रकार के ज्ञान की सतत् व अंतहीन चक्रीय प्रक्रिया है। उसी प्रकार विज्ञान भी हमारे जीवन में, जब हम अचेतन थे-तब भी था, जब हम चेतन हुए तब भी है और जब हम विज्ञान के चरम पर आरूढ़ होंगे मूलभूत रूप से तब भी रहेगा। जैसे प्रकृति, प्रकृति है, न छेड़ो तो जंगल है, जंगल काटकर यदि वहां फसलें बो दी जाएं तो खेत हैं, खेत यदि काट दिए जाएं तथा उन पर भवन निर्मित कर दिए जाएं तो नगर-महानगर अथवा समाज है यदि इसी पर लबालब पानी भर दिया जाए तो वह पुनः नदी अथवा समुद्र हो सकता है। इसी प्रकार विज्ञान को भी हम प्रायोगिक धरातल पर अलग-अलग स्वरूपों से प्राचीन से लेकर अर्वाचीन काल तक निरंतर ही देखते आए हैं। अंतर केवल इतना है कि तब हम इसे देख भर लेते थे, उसके प्रताप, प्रभाव अथवा प्रकाश से प्रभावित अथवा आतंकित हो जाते थे लेकिन उसके वैज्ञानिक स्परूप को स्वीकारते नहीं थे। आज भी स्थितियां, घटनाएं, देशकाल एवं भौतिक चराचर जगत वही है किंतु उसी को हमने वैज्ञानिक स्वरूप में स्वीकार भी कर लिया है ।

हम कह सकते हैं कि विज्ञान के प्रति हमारा रुझान अनंत काल से ही रहा है। विज्ञान के प्रयोगों से हम तब से

आज़ तक चमत्कृत भी होते रहे हैं, उपकृत भी... और प्रभावित भी। किंतु उस विज्ञान को हमने कहीं लोक रूढ़ियों से जोड़कर धर्माचरण, अंधविश्वास, जादू-टोना आदि आदि नकारात्मक चीजों का नाम भी दे दिया है जिससे उस वैज्ञानिक स्वरूप का वर्गीकरण कई-कई नकारात्मक पक्षों में भी होता चला गया। फ्रॉइड के मनोविश्लेषण की पद्धति की तरह ही मन में दो प्रकार की शक्तियां-सकारात्मक व नकारात्मक, सदैव कार्यरत रहती हैं जिनमें से नकारात्मक पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी रहती है। यदि सकारात्मक साधना का मार्ग है तो नकारात्मक अय्यासी का। यह भौतिक शरीर सदैव ही अय्यासी की और अधिक अग्रसर, अधिक उत्सुक व अधिक आकर्षित दिखाई देता है। उस वैज्ञानिक स्वरूप से हट कर यह चेतना पर्याप्त ज्ञान के अभाव में अनेकानेक अवैज्ञानिक चिंतन, विचारों एवं दृष्टिकोणों को न केवल जन्म देती है बल्कि अनेकानेक कोणों से वैज्ञानिक चेतना के विकास में एक बहुत बड़ा अवरोध भी सिद्ध होती है। जो छोटी-छोटी चीज़ें हमें प्रयोगात्मक ज्ञान अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राहत व रोग से निदान प्रदान करती हैं वही दूसरे अर्थों में मानसिक प्रदूषण का पर्याय भी बनने लग जाती हैं। जैसे कि यदि किसी घने जंगल के बीच में किसी विद्यार्थी का घर हो जहां से उसका स्कूल, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय बहुत दूर पड़ता हो और; विद्यार्थी निरंतर पठन-पाठन के लिए नगर-महानगर तक के लिए जाता हो किंतु यह अंधविश्वास हो कि बिल्ली अथवा सांप के रास्ता काट जाने पर किए जा रहे कार्य की परिणति अनिष्टकारी होती है। ऐसे में यदि वह किसी उच्च प्रतियोगी परीक्षा यथा आइ ए एस आदि के लिए कोई प्रतिभागी जा रहा हो व बिल्ली अथवा सांप के रास्ता काट लेने के बाद यदि पुन: घर लौट आए तो इस प्रकार का अवैज्ञानिक अंधविश्वास बहुत भारी सिद्ध हो सकता है।

जब किसी अन्य जीव या मानव का रास्ता काटना अपशकुन भरा नहीं तो केवल उन निरीह प्राणियों का ही क्यों? कहीं न कहीं जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उन्हें औरों की तरह रास्ता तो पार करना ही होगा? फिर उन्हीं का ही यह वर्णन कैसे? विश्व में यद्यपि हर प्रकार की समस्याएं सर्वत्र एवं सर्वथा उपस्थित रहती हैं किंतु इसके बावजूद कुपोषण, गरीबी, निरक्षरता व अज्ञानता का जितना प्रतिशत भारत में है उतना विश्व के अन्य देशों में नहीं। आज डेंगू, प्लेग, कैंसर, पीलिया, लैप्रोसी, एड्स, मलेरिया आदि अनेकानेक भारी भरकम बीमारियों का प्रकोप व प्रभाव विश्व के अनेकानेक देशों में भी है किंतु सर्वाधिक प्राणघातक हमलावर वह यहीं के लिए क्यों सिद्ध होता है। आज इस बात के मूल में जाने की अतीव आवश्कता है कि यह सब केवल हमारे ही परिवेश में क्यों व्याप्त है। कहीं इस सबके पीछे हमारी विचारधारा व मानसिकता ही तो जिम्मेवार नहीं ?

यदि हम गहराई से इन बातों का विश्लेषण करें तो इसके पीछे वैज्ञानिक चेतना का अभाव भी परिलक्षित होता दिखाई देता है। हमें यह स्वीकार करने में कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि बड़ी-बड़ी त्रासदियां उपयुक्त वैज्ञानिक जानकारियों के अभाव में ही घटित होती हैं। कुछ वर्ष पूर्व भोपाल स्थित कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी जहरीली गैस के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए सामान्य कारणों की जानकारी कारखाने के मजदूरों को समय-समय पर दी गई होती तो कइयों के प्राणों की रक्षा भी हो सकती थी। भारतीय ग्राम्य परिवेश में अनेकानेक ऐसी सत्य घटनाएं आपको दैनंदिन जीवन में दिखाई देंगी जहां वैज्ञानिक चेतना के अभाव में अनेक प्राणी अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं।

वैज्ञानिक चेतना को विस्तारित करने के लिए अनेकानेक माध्यमों की आवश्यकता हो सकती है-जिस प्रकार संचार माध्यम, इलैक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो तथा टी वी तथा दूसरे कोई अन्य माध्यम भी। इन सब माध्यमों के केन्द्र में जो प्रमुख बात है वह है भाषा। भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। भाषाओं के भी कई रूप व स्वरूप हैं। जिस प्रकार मनुष्य का वर्गीकरण कई वर्गों में किया गया है उसी प्रकार भाषा भी इन विभिन्न प्रकार के वर्गों को प्रभावित व संप्रेषित करने में अपनी अलग-अलग भूमिका निभा सकती है। भारत बहुभाषा व बहु संस्कृतियों का देश है। हिंदी जहां यहां के राष्ट्रीय आहार-व्यवहार की भाषा है, वहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभिव्यक्ति के संप्रेषण का माध्यम भी। यदि हम हिंदी के माध्यम से वैज्ञानिक चेतना के संप्रेषण का कार्य प्रारंभ करें व जन-जन तक इसके प्रचार-प्रसार की भूमिका का हवाला लें तो वैज्ञानिक चेतना का बहुतपरती विकास हमें दिखाई दे सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर अंधविश्वासों तथा अवैज्ञानिक चेतना को कम करने के लिए अकेली हिंदी की भूमिका ही कारगर व महत्व की नहीं हो सकती है। इसके लिए विज्ञान लेखकों

को कई प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। यथा, सर्वप्रथम विज्ञान लेखन हिंदी में किया जाए, तदनंतर उसी जानकारी को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 18 राष्ट्रीय भाषाओं में अनूदित कर दिया जाए व इससे भी अधिक अन्य आंचलिक-अलिखित भाषाओं व बोलियों में इसके प्रचार-प्रसार के अनेकानेक माध्यम ढूंढे जाएं ताकि यह चेतना राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर, प्रदेश स्तर से जनपद स्तर, जनपद स्तर से व्यक्ति स्तर तक पहुंचने में भी सफल हो सके। इन माध्यमों में साक्षरता एवं शिक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके लिए साक्षरता, नुक्कड़ नाटक आदि अभियानों एवं माध्यमों से वैज्ञानिक चेतना का विकास किया जा सकता है। निपट निरक्षरों के लिए कई प्रकार की रचनात्मक संगोष्ठियां उनकी जन भाषाओं एवं जन संचार माध्यमों यथा दूरदर्शन अथवा रेडियो में उनकी आंचलिक बोलियों में प्रचारित -प्रसारित की जा सकती हैं जिससे वैज्ञानिक सरोकारों के साथ-साथ विज्ञान के लाभों व इनको न अपनाने के परिणामस्वरूप प्राणघाती जोखिमों से भी उन्हें अवगत कराया जाता रहे। इसके अतिरिक्त रचनात्मक लेखन यथा कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक आदि विधाओं के माध्यम से भी इसके फलक को विस्तारित किया जा सकता है। हमें अपने वैज्ञानिक लेखन में मनोरंजकता का तत्व भी विकसित करना चाहिए ताकि जन सामान्य का विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़े।

यदि विज्ञान लेखन का यह नैटवर्क हिंदी से होता हुआ विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा इनसे होता हुआ अन्य आंचलिक भाषा, बोलियों को छूता हुआ दूरस्थ गांवों तक को भी अपने में समाहित करने की क्षमता रख ले तो इससे कई विषम परिस्थितियों, स्थितियों अथवा घटनाओं पर न केवल हम नियंत्रण पा सकते हैं बल्कि अनेकानेक बीमारियों को पैदा होते ही हम नकेल भी लगा सकते हैं। वैज्ञानिक लेखन व प्रचार-प्रसार के लिए हमें राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं के साथ-साथ सहकारी आधार पर इस प्रकार के प्रकाशन, पंफलेट अथवा दूसरी सहायक सामग्री के प्रकाशन का भी जिम्मा लेना होगा जो उनके अन्वेषी व भावुक प्रश्नों के स्थायी उत्तर दे सके। यदि महानगर से गया हुआ वैज्ञानिक सचेतकों का शिष्टमंडल वर्ष में एक बार जा कर किन्हीं विशिष्ट विषयों पर मौखिक व्याख्यान दे आता है तो उनका यह व्याख्यान उनकी निरक्षरता तथा दो जून की रोटी के संघर्ष के नीचे दबा-का-दबा भी रह सकता है। अत: आवश्यक है लिखित रूप में एक ऐसे दस्तावेज की कि अवसर पड़ने पर तथा आश्यकता होने पर वे उस संबंधित समस्या का निराकरण किसी से पूछ कर अथवा उस बोली-भाषा की जानकारी प्राप्त कर शिष्टमंडल के जाने के अनेक दिनों, सप्ताहों व महिनों के बाद भी संबंधित पुस्तकों,पत्रकों से कर सकें।

ऐसा नहीं है कि विज्ञान लेखन के क्षेत्र में सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर कोई कारगर कदम अथवा प्रकाशन न किए जा रहे हों। किंतु बहुत बार-बहुत सी उपयोगी सामग्री एक पुस्तक रूप में किसी व्यावसायिक प्रकाशन द्वारा प्रकशित की जाती है तो उसका उद्देश्य आम वैज्ञानिक चेतना का विकास नहीं बल्कि बहुमंजिली पुस्तकालयों की बंद अलमारियों में अपने व्यावसाय का विकास करना होता है। पुस्तकें लागत की दृष्टि से इतनी अधिक मूल्यवान होती हैं कि वे जनसाधारण व आम आदमी की पहुंच से सर्वथा बाहर होती हैं ऐसे में बहुत मूल्यवान सामग्री वाली उत्कृष्ट पुस्तकें भी महज पुस्तकालयों की शोभा बन कर रह जाती हैं। राष्ट्र में वैज्ञानिक क्षेत्र में किए जा रहे हर महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं अन्वेषण का सीधा-सीधा लाभ उस राष्ट्र अथवा प्रदेश के जनमानस को मिले, यही विज्ञान की प्रमुख सफलता हो सकती है। किंतु प्राय: देखा जाता है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों की परिणति दूसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में संप्रेषित हो कर अनेकानेक रिपोर्टों अथवा दूसरे प्रकाशनों में बंध कर केवल निजी स्वार्थ साधने का पर्याय बन जाती हैं जिससे उस राष्ट्र, प्रदेश व समाज का हित कहीं भी प्रभावित अथवा परिलक्षित नहीं होता। ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धि उन वैज्ञानिकों अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं के लिए भले ही उपलब्धि का विषय हो किंतु जन सामान्य के लिए इसका महत्व लगभग शून्य के बराबर ही होता है। जिस विज्ञान में लोक हित की संकल्पना न हो, मानव कल्याण व जीव कल्याण का अंश न हो, उसका उपयोग, महत्व व अस्तित्व दूसरों के लिए निरर्थक है। वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं अन्वेषणों का सीधा-सीधा लाभ जनसामान्य तक को मिले इसके लिए भाषा का क्रांतिकारी योगदान हो सकता है। संबंधित जानकरियों को अनुवाद के माध्यम से उस राष्ट्र की अधिकाधिक भाषाओं में प्रचारित-प्रसारित किया जाए ताकि उन अन्वेषणों से उनके जीवन स्तर में किसी न किसी स्तर पर कोई सकारात्मक अंतर दिखाई दे। सहकारी आधार पर छोटे-से लेकर बड़े-बड़े विषयों पर कम दाम वाले ऐसे प्रकाशन सर्वसुलभ किए जाने चाहिएं जो जनसामान्य की पहुंच में हों, उनकी भाषा में

349 HA/2004—3A

हों व जिन्हें सहज-सरल तरीके से पढ़ कर वे अपने अंधविश्वासों से निजात पाने में सक्षम हों। ऐसे रचनात्मक संगठन भी बनाए जाने की आवश्यकता है जिनसे केवल उनमें लेखन करने वाले लेखक ही प्रतिष्ठित न हों बल्कि मूलभूत मंतव्य से प्रारंभ किया गया लेखन प्राणवान होकर प्रतिष्ठा पाए व गिर रहे मानव मूल्यों को किसी न किसी स्तर पर संबल देने के लिए वह (लेखक) सक्षम हो।

अतः किसी भी प्रकार का लेखन करते हुए हमें 'स्वहित' की अपेक्षा 'जनहित' अथवा 'जगहित' का अवश्य ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लोकोपयोगी विज्ञान ही समूचे राष्ट्र में जनसामान्य का ध्यान वैज्ञानिक चिंतन एवं अध्ययन की ओर आकर्षित कर सकता है। अंधविश्वासों की कई परतों तले दबा सामान्य पाठक तभी इस वैज्ञानिक चेतना को अपनाने में समर्थ होगा जब वह इसको अपनाने से अपने जीवन में आए एकाएक चमत्कारपूर्ण प्रभाव को देखेगा। अन्यथा उसके लिए मानसिक धरातल पर यह विज्ञान अपनी अंधविश्वासी प्रवृत्ति से कई गुना कम महत्व का भी सिद्ध हो सकता है। हमें आवश्यकता है आज हिंदी में सहज-सरल शैली में ऐसे प्रभावी विज्ञान लेखन की, जो मौलिक रूप से उनकी मनस्थिति को परिवर्तित कर वैज्ञानिक समझ की सीढ़िया चढ़ाता रहे। ■

यदि भारतीय लोग कला, संस्कृति और राजनीति में एक रहना चाहते हैं, तो इसका माध्यम हिंदी ही हो सकता है

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

349 HA/2004—3B

सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा

—डॉ. मधुबाला*

विज्ञान द्वारा अर्जित विशिष्ट ज्ञान के व्यावहारिक रूप का दूसरा नाम प्रौद्योगिकी है। सूचना प्रौद्योगिकी सूचनाओं के पारस्परिक आदान प्रदान की वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सूचनाओं को द्रुतगति प्रदान की जाती है। संचार माध्यमों के विकास ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी है। पिछले कुछ वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी से उत्पन्न हुई क्रांति द्वारा समाज में एक अद्भुत परिवर्तन आया है जिसके प्रभाव परिलक्षित होने लगे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का नाम लेते ही कंम्प्यूटर, माइक्रोचिप, इंटरनेट, मल्टीमीडिया आदि के चित्र मानस पटल पर उभरने लगते हैं। इनके प्रयोग द्वारा विश्व स्तर पर तथ्यों, आंकड़ों, चित्रों का आदान-प्रदान सहज हो गया है। सूचना के साधन मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार छोटे होते जा रहे हैं, जिनका प्रयोग कहीं भी किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। यही सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की सही तस्वीर है।

यदि अतीत में झांक कर देखें तो दूरस्थ संचार के लिए पहले टेलीग्राफ और फिर टेलीफोन का प्रयोग किया गया। मार्कोनी के बेतार संचार के अविष्कार के पश्चात् दो संचार बिंदुओं को जोड़ने के लिए अब किसी धातु के तार की आवश्यकता नही रही बल्कि यह कार्य इलैक्ट्रोमैगनेटिक तरंगों द्वारा किया जाने लगा। तत्पश्चात् इस तकनीक का प्रयोग रेडियो संचार में किया गया। दूरदर्शन ने इसके प्रयोग को और आगे बढ़ाया। खाड़ी युद्ध का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी कदम था। दूरस्थ संचार में निरंतर नई तकनीक के अन्वेषण ने टेलेक्स, फैक्स, ई-मेल, कम्प्यूटर को जन्म दिया। आज इस संचार व्यवस्था का भारत के सभी शहरों में भलीभांति प्रयोग हो रहा है।

पिछले कुछ वर्षो में भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी किसी भी देश के आर्थिक व सामाजिक विकास का आधार है। सूचनाओं के संप्रेषण में भाषा का विशेष महत्व रहता है। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सूचना जनजन तक पहुँचती है। सूचना प्रौद्योगिकी में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बना हुआ है, यदि अंग्रेजी का ही वर्चस्व रहेगा तो सूचना संप्रेषण की गति में अवरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत में 35 प्रतिशत लोग अभी भी निरक्षर हैं, जिन्हें अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का ज्ञान नही है। हिंदी, राजभाषा के अतिरिक्त सम्पर्क भाषा भी है। जिसे 70 प्रतिशत जनसंख्या बोलती और समझती है परन्तु अंग्रेजी का ज्ञान मात्र एक वर्ग तक ही सीमित है, जिस कारण सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ केवल उच्च वर्ग के लोग ही उठा पा रहे हैं। वैसे भी सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों की पहुंच आम जनता तक नहीं है। कारण स्पष्ट है अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का अभाव व सूचना प्रौद्योगिकी के विषय में साक्षर न होना। भारतीय वैज्ञानिक एम.जी.मैनन (1971) के अनुसार, देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास पूरी तरह अंग्रेजी पर आधारित रहा है। इस देश का आभिजात्य वर्ग यहां के विशाल जनसमुदाय के ऊपर एक पतले छिलके का अंश मात्र है। आवश्यकता इस बात की है कि किसी न किसी बिन्दु पर शुरुआत की जाए। ऐसे केंद्रों की आवश्यकता है, जिनमें इस तरह का नेतृत्व किया जा सके वरना यह कैसे संभव है कि इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके विज्ञान के क्षेत्र में विस्तृत वैज्ञानिक समुदाय का विकास हो सकेगा और राष्ट्र में वैज्ञानिक तेवर निर्मित किया जा सकेगा। मैनन के इन शब्दों में भारत की स्थिति स्पष्ट है, प्रौद्योगिकी की पहुंच केवल सीमित समुदाय तक ही है। आज भी भारत अशिक्षा से ग्रसित, साधन संपन्न होने के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मूलभूत प्रश्न यह है कि यदि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रौद्योगिकी का विकास संभव है तो राष्ट्र भाषा के माध्यम से क्यों नहीं? यदि हिंदी भाषा संघ की राज भाषा है व राष्ट्र की संपर्क भाषा है तो तकनीकी ज्ञान की अभिव्यक्ति में इसका उपयोग क्यों नहीं? जब भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास व प्रयोग का प्रश्न उठेगा तो सर्वसाधारण की भाषा में उसे पहुंचाने का प्रश्न भी उठेगा। प्रशासनिक कार्य की भाषा, लोक संपर्क की

*रीडर, पत्रकारिता विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

भाषा और शिक्षा माध्यम की भाषा में असमानता व असामंजस्य के कारण राजभाषा का जिस तीव्र गति से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। यह सत्य है कि विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी जनजीवन का अंग-उपांग बनते जा रहे हैं। यह भी सत्य है कि प्रौद्योगिकी के अभाव में देश अंधकार के गर्त में चला जाएंगा। फिर क्यों न जन-भाषा हिंदी को इतना समृद्ध बनाया जाये जिसमें प्रत्येक सूचना की अभिव्यक्ति सम्भव हो सके। गांधी जी का कहना था इससे बढ़कर कोई भ्रम नहीं कि अमुक भाषा का विकास नहीं हो सकता, इसमें गूढ़ वैज्ञानिक विचार प्रकट नहीं किये जा सकते। यदि हिंदी आज अंग्रेजी के समान समृद्ध नहीं है तो उसका एक मात्र कारण यही है कि सैकड़ों वर्षो तक इसके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया और इसको वह समर्थन नहीं मिला जो अंग्रेजी को सौभाग्य से मिलता रहा है।

यह स्पष्ट है, कि हमने अपनी भाषा का समर्थन नहीं किया अन्यथा इस भाषा का प्रयोग सभी विषयों के लिए कर पाना दुर्लभ नहीं है। आज सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए तकनीकी ज्ञान का महत्व बढ़ गया है और भाषा का विकास सामाजिक विकास के साथ समृद्ध होता है। भाषा का प्रचार-प्रसार शिक्षा के माध्यम से होता है इसलिए तकनीकी ज्ञान के लिए भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। किसी भी भाषा में तकनीकी शब्दावली व तकनीकी भाषा-शैली का प्राकृतिक विकास तभी सहज और सरल होता है, जब वह विषय क्षेत्र के मौलिक ज्ञान और चिंतन से सीधे जुड़ी हो। परन्तु हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है। हिंदी में तकनीकी भाषा का विकास अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जुड़ा हुआ है और इसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाषा की शाब्दिक व व्याकरणिक संरचना पर पड़ता है। यद्यपि सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के प्रयास जारी हैं। तकनीकी शब्दों को भाषा के अनुकूल अनूदित किया जा सकता है व नये शब्दों को आवश्यकता अनुसार गढ़ा जा सकता है जो ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरें व भाषा के अभाव की पूर्ति करें।

प्रौद्योगिकी की चमक-दमक अभी तक बाहरी वातावरण में परिलक्षित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र तो अभी भी प्रौद्योगिकी व तकनीकी विकास से वंचित है। आज शिक्षा का केन्द्र बिन्दु रोजगार है, इसलिए रोजगार के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी का ज्ञान आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य है, इसलिए रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग पूंजी बाजार, पुस्तकालय, शिक्षा एवं शोध, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, जनसंचार, प्रकाशन तथा मनोरंजन के क्षेत्र में व्यापक रूप से हो रहा है।

हिंदी में कंप्यूटर-विभिन्न संस्थानों का योगदान :— मानवीय क्रिया कलापों में कंप्यूटर की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे व्यापार हो या शिक्षा सभी संस्थानों में कंप्यूटर का ज्ञान अपरिहार्य हो गया है। जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हो रहे हैं। देवनागरी कंप्यूटर का प्रयोग अंग्रेजी का अधिक ज्ञान न रखने वाले लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। देवनागरी कंप्यूटर पत्रकारों के लिए हिंदी भाषा में किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करने और संपादन का कार्य आसान हो गया है। कंप्यूटर पर तैयार की गई रिपोर्ट को सुरक्षित रखा जा सकता है और उसमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। आई. आई. टी. मद्रास ने दूरदर्शन मद्रास के सहयोग से एक इंटरफेस का विकास किया है। कंप्यूटर के द्वारा पाठ चित्र व अन्य विशेष साम्रगी एक ही की बोर्ड (Key Board) से हिंदी, तमिल या अंग्रेजी या तीनों के मिश्रण से तैयार की जाती है। इस तैयार टैक्सट को फ्लॉपी डिस्क पर रिकार्ड कर लिया जाता है और VCR कैमरा के साथ मिला कर प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार कंप्यूटर द्वारा तैयार कार्यक्रम एक ही की बोर्ड से तीन भाषाओं में तैयार किया जाता है और दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारित किया जाता है। तीनों भाषाओं में सूचना वितरण की क्षमता भारत जैसे बहुभाषी समाज के लिए विशेष महत्त्व रखती है। इसके अलावा आई. आई. टी कानुपर और मद्रास में विकसित टर्मिनलों पर हिंदी में शब्द संसाधन की सुविधा उपलब्ध है। पी. आर. एल अहमदाबाद में विकसित कम्प्यूटर टर्मिनलों पर हिंदी में जो टंकित किया जाता है, उसे उच्चारित भी कराया जा सकता है।

भारत में जिस्ट (Gist) प्रौद्योगिकी के अविष्कार से अंग्रेजी भाषा सहित सभी भारतीय भाषाओं और विश्व की अन्य अनेक भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान के संसाधन-विश्लेषण का कार्य अब हिंदी में कर सकने की व्यापक संभावनाएँ पैदा हो गई हैं। भारत में विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार बहुभाषा में सहज ही सुलभ हो जायेगा, यदि उसमें संबंधित आंकड़ों के संसाधन अथवा आंकड़ा संचय की सुविधाए भारत की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध करा दी जाएं। यद्यपि संगणक सुविधाओं की अवसंरचना तो देश में

सुलभ हो चुकी है, परंतु तकनीकी हिंदी के विकास में इसका नियोजन अभी करना बाकी है। जहां भी शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुसंधान अंग्रेजी के माध्यम से नेटवर्क पर हो रहा है वहां हिंदीकरण की आवश्यकता भी होगी। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र व टाटा मौलिक अनुसंधान केंद्र भी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संस्थानों ने अनुसंधान द्वारा कई पैकेजों का विकास किया है। जिनका प्रयोग सूचना संप्रेषण व शोध कार्य में किया जा रहा है। पुणे में स्थापित ओशो कम्यून इंटरनेशनल ने हिंदी वर्तनी जांचक और हिंदी शब्दकोष का विकास किया है, जिसके द्वारा वर्तनी की अनेक त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। पुणे में ही स्थित सी-डैक ने हिंदी वर्तनी जांचक प्रक्रिया सामग्री का विकास किया है, जिसे जिस्ट कार्ड पर संसाधक द्वारा चलाया जाता है। यह इस्की व पी. सी. इस्की दोनो वर्णक्रमों का प्रयोग कर सकता है। ओशो कम्यून इंटरनेशनल ने हिंदी के फोंटस 'अमृत' 'अभिलाषा' और 'बसंत' विकसित किए हैं, जिनका प्रयोग ऐपल मैकिन्टाश संगणक पर होता है। सॉफ्टेक ने अक्षर व अक्षर फॉर विन्डोस के पैकेज अंग्रेजी-हिंदी में विकसित किये हैं। ये डॉज व विण्डो आधारित पैकेज हैं, जिनमें द्विभाषिक सुविधा उपलब्ध है। अब लिप्यंतरण के लिये विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थान शोधकार्य कर रहे हैं। राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष ने जिस्ट कार्ड युक्त वैयक्तिक संगणकों तथा जिस्ट अंतकों के साथ जिनिक्स पर आधारित तंत्रों के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज का निर्माण किया है, जो वर्तमान आंकड़ों को बड़ी शुद्धता से भाषाओं में परिवर्तित कर सकता है। रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली ने अंग्रेजी शब्दों के समानांतर हिंदी लिप्यंतरण करने वाला पैकेज विकसित किया है। सी-डेक पुणे ने 'ट्राश्नेन' सॉफ्टवेयर पैकेज तैयार किया है। जो संज्ञाओं के शब्दकोष तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है।

देवनागरी में मुद्रण - प्रौद्योगिकी :— मुद्रण प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप मानव की भाषाओं में क्रांतिकारी विकास हुआ है तथा विभिन्न भाषाओं सहित उनकी लिपियों का स्वरूप भी इसी कारण काफी हद तक निश्चित और स्थाई हुआ है। मुद्रण प्रौद्योगिकी में टेलीप्रिंटरो और टैलेक्स मशीनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। टेलीप्रिंटर और विद्युत टाइपराइटरों के प्रयोग द्वारा समाचार पत्रों की गति भी तीव्र हो गई है, यद्यपि देवनागरी टेलीप्रिंटर की शुरुआत 1954 में हो गई थी परन्तु हिंदी समाचार पत्रों की समाचार ऐजेंसियों की स्थापना के पश्चात् ही देवनागरी टेलीप्रिंटर का प्रयोग द्रुत गति से होने लगा है। 'यूनिवार्ता' और 'भाषा' जैसी हिंदी समाचार ऐजेंसियों के ग्राहकों को टेलीप्रिंटर के माध्यम से हिंदी भाषा में चौबीस घंटे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह देश के अधिकांश तार घरों में देवनागरी में इलैक्ट्रोमैकेनिकल टेलीप्रिंटर उपलब्ध है। भारत सरकार के उपक्रम सी. एम. सी लिमिटेड ने विस्तारित प्रौद्योगिक वैयक्तिक संगणक (PC/XT) पर आधारित संचार अंतक बनाया है जिसे टेलीप्रिंटर/टैलेक्स मशीनों के साथ जोड़कर द्विभाषिक रूप में संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आज भारत की कई कम्पनियां 'डी. टी. पी.' हाईवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रही हैं। नये-नये फोंट्स के विकास के फलस्वरूप देवनागरी में छपाई की अनेक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। देवनागरी टाइपराइटर का मानक कुंजीपटल 1962 में भारत सरकार ने बनाया तब से देवनागरी टाइपिंग की मशीनें बनने लगी हैं। यद्यपि मैनुअल टाइपराइटर में केवल एक ही लिपि में टाइप की सुविधा है, जबकि इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में टाइपिंग एक से अधिक भाषाओं में भी की जा सकती है, आवश्यकता है तो केवल एक डेजी व्हील बदलने की। विभिन्न टाइपराइटरों में पाठांश को संग्रहित करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इन में चालीस पृष्ठ तक की सामग्री को स्मृति में संचित किया जा सकता है। कुछ मॉडलों में चक्रिका चालक लगाने से स्मृति क्षमता में वृद्धि की जाती है। इन टाइपराइटरों में तकनीकी चिह्नों का अभाव होने के कारण तकनीकी टाइपिंग की समस्या बनी हुई हैं। संगणक प्रौद्योगिकी के उद्भव होने से टाइपराइटर मशीनों के प्रयोग में कमी आई है, परन्तु जहां अभी संगणक प्रौद्योगिकी का प्रसार नहीं हुआ है वहां इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों का प्रयोग हो रहा है।

यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी भाषा में यांत्रिक सुविधायें बहुत कम उपलब्ध हैं, वह भी केवल शब्द संसाधन और आंकड़ा संचय की हैं। कुछ समस्याओं का मूलकारण देवनागरी लिपि की समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है। हिंदी की मात्राओं व वर्णों के आकार की जटिलता के कारण, यंत्रों में वर्णों की एकरूपता न होने के कारण, कुछ वर्णो को संयुक्त अक्षरों में भी लिखा जाता है। इन समस्याओं के कारण देवनागरी के कुंजीपटल की मानकता अपर्याप्त है। ऐसी समस्याएं कार्यक्षमता में गतिरोध उत्पन्न कर देती हैं। यद्यपि हिंदी भाषा में दैनिक उपभोक्ता सेवाओं को जनसंचार

माध्यमों द्वारा उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया जा रहा है, परन्तु यांत्रिक अवसंरचनाओं की भाषा अंग्रेजी होने के कारण अभी परिमाण नगण्य है।

किसी भी भाषा का विकास उसके प्रयोग व उपयोग पर निर्भर करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षण अभी समस्या बना हुआ है। उच्च स्तरीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विषय के अध्ययन–अध्यापन में हिंदी भाषा का प्रयोग नगण्य है। किसी भी तकनीकी भाषा का एक विशिष्ट स्वरूप होता है। जिसकी अभिव्यक्ति बोल–चाल की भाषा से हट कर विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। यद्यपि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुवाद की प्रवृति अपनाई जाती है परन्तु यदि अनुवाद स्पष्ट और सटीक नहीं है तो अनुवाद कृत्रिम, अस्वाभाविक व जटिल प्रतीत होता है। इसलिए अनुवाद हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। विनोद कुमार के अनुसार 'जनभाषा हिंदी में तकनीकी लेखन उसकी स्वाभाविक प्रवृति के अनुसार हो तो यह सर्वग्राह्य हो जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शर्त यह है कि भाषा के सरलीकरण का आग्रह छोड़कर उसका व्यापक उपयोग हो और उच्च स्तर पर तकनीकी शिक्षण के क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग को महत्त्व दिया जाए जिससे भाषा का परिष्कार होकर कोई एक सर्वमान्य स्वरूप विकसित हो सके।' किसी भी भाषा का विकास उसके प्रयोग व उपयोग पर निर्भर करता है। हमें पराजित मानसिकता के प्रतिबिंब को त्यागना होगा कि अंग्रेजी के बिना हमारा प्रौद्योगिकी विकास अवरुद्ध होगा या हो नहीं सकता। जितना हम हिंदी को व्यावहारिक रूप में प्रयोग करेंगे उतना विकास होगा। यदि आवश्यकता है तो दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की व मानसिकता बदलने की।

संदर्भ ग्रंथ

किशोर, गिरिराज 1988, भाषा और प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी। कानपुर: रचनात्मक लेखन और प्रसारण केन्द्र।

प्रसाद, विनोद कुमार 1999, भाषा और प्रौद्योगिकी नयी दिल्ली, वाणी प्रकाशन।

जितना सम्मान हम राष्ट्रध्वज का करते हैं, उतना ही सम्मान हमें राष्ट्रभाषा हिंदी का करना चाहिए। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रचिह्न की तरह ही राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति श्रद्धा आवश्यक है

—डॉ. कर्ण सिंह

भविष्य की हिंदी और हिंदी का भविष्य

—ईश्वरचंद्र मिश्र

(केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, बेंगलूर के तत्वाधान में दिनांक 30 सितंबर, 2003 को आयोजित परिसंवाद में प्रस्तुत)

भविष्य की हिंदी और हिंदी का भविष्य विषय पर केंद्रित परिसंवाद में आप विद्वानों और बुद्धिजीवियों का स्वागत है। मुझे आशा है कि आज की चर्चा काफी सृजनात्मक और उपादेय होगी। किसी को इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय परिवेश में हिंदी बहुलतावादी केंद्रीय भाषा है तथा भारत के विशाल भूभाग में संपर्क भाषा के रूप में समादृत है। सामाजिक सुधारों तथा राजनीतिक चेतना की मशाल बनने से पहले इसने धार्मिक समन्वय की भावना का वहन किया था। सदियों के इतिहास ने हिंदी की जड़ें भारत के जन-मन और जीवन में गहरी कर दी हैं। अब तक सात विश्व हिंदी सम्मेलनों से जाहिर हो चुका है कि हिंदीभाषी भारत से बाहर सूरीनाम, मारीशस, फीजी, इंगलैंड, अमरीका, नेपाल आदि विश्व के दशाधिक देशों में फैले हैं, बल्कि आंकड़े गवाह हैं कि हिंदीभाषी समुदाय संख्याबल की दृष्टि से अंग्रेजी के बाद दूसरा है। अतएव भविष्य में हिंदी खत्म हो जाएगी ऐसी कोई आशंका फिलहाल नहीं है। जहां तक भविष्य की हिंदी का प्रश्न है, इस विषय पर कुछ बातें मन में पैदा हो रही हैं।

अव्वल तो भविष्य की चिंता का प्रस्थान बिंदु वर्तमान ही होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशकों में भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और तदुपरांत हिंदी को लेकर उठे विवाद लगातार दुहराए जाते रहे हैं और अपना ताज़ापन खो चुके हैं। अब उन पुरानी और बासी चीजों में रुचि लेना बेकार है। आज हिंदी के समक्ष वे चुनौतियां हैं जो कुल मिलाकर भारतीय समाज के रु-ब-रु हैं। आज राष्ट्रीय और व्यक्तिगत जीवन की संचालिका शक्ति अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास की धूम कुछ इस कदर मची हुई है कि बाजारवाद, वैश्वीकरण भूमंडलीकरंण तथा सूचनाक्रांति जैसी संकल्पनाएं सर्वत्र मंत्रों की तरह अनुगुंजित हैं। इक्कीसवीं सदी के इस प्रथम दशक में आकर भी निर्धनता, अशिक्षा और बेरोजगारी भारत की मूल समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे में भाषा को लेकर गंभीरता से सोचना हाशिए का विषय बना हुआ है। हम भूलते जा रहे हैं कि विकास संप्रेषण की पारदर्शिता के सवाल से गहरे जुड़ा है। औद्योगिक और आर्थिक समृद्धि की ऊंची मंजिलों को प्राप्त करने वाले देशों का इतिहास साक्षी है कि सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा प्रौद्योगिकी की आवाजाही ने उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जिस भूमंडलीकरण का दौर है उसका मुख्य बल उपभोक्ता वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, जनशक्ति तथा सूचना-प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय सीमाओं के पार बेरोक-टोक आवाजाही पर है। भूमंलीकरण ने एक समन्वित और वैश्विक अर्थव्यवस्था की संकल्पना को जन्म दिया है। आर्थिक जगत के इस परिवर्तन ने सामाजिक रिश्तों और भाषा को प्रभावित किया है। भविष्य की हिंदी इन पहलुओं से बिना दो-चार हुए अपना गंतव्य निर्धारित नहीं कर सकती। भविष्य की हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक समरसता को वहन करने वाली अतीतकालीन हिंदी से हटकर अधिक समावेशी और धड़कन से युक्त होगी। वह सरकारी कार्यालयों में मगजमारी करके रची जानेवाली तथा शब्दकोशों की सहायता लेकर गढ़ी जाने वाली हिंदी से स्वतंत्र होगी। यह हिंदी सामाजिक यथार्थ से जुड़ी होगी, जिसकी दशा और दिशा तय करने में फ़िल्म, दूरदर्शन और तमाम संचार माध्यमों की भूमिका होगी। हिंदी की मुख्यधारा में अंग्रेजी शब्दों और मुहावरों की घुसपैठ बढ़ेगी। यहां हिंदी की कतिपय नई अभिव्यक्तियों की बानगी देखी जा सकती है—

1. अब उसका तो बैंड बजकर रहेगा
2. यह सब टाइमपास है, यारो।
3. यही है राइट च्वाइश बेबी।
4. अब देखिए मास्टर बलास्टर सचिन के कुछ बेजोड़ स्ट्रोक
5. हम तो बिंदास हैं।

इतना ही नहीं बिग बाजार, सुपर बाजार, प्रिंट मीडिया जैसी अंग्रेजी मिश्रित अभिव्यक्तियां और अगवा करना, टोपी पहनाना, बकरा बनाना, सुपारी देना, पंगा लेना, आउटिंग पर जाना, पिकनिक मनाना जैसे सैकड़ों नए मुहावरे मुख्यधारा हिंदी में जगह बना रहे हैं। अंग्रेजी में बोर से **बोरडम है,** किंतु

जब से हिंदी बोलनेवाले बोर होने लगे हैं तब से इस समाज के हमलोग बात-बात में और कई बार बिनबात के **बोरियत** अनुभव करते हैं। बोर से बोरियत हो या नर्वस से नरभसाना, ऐसे शब्दों को हिंदी के हित में मानना होगा। फ़िल्म, दूरदर्शन तथा अंग्रेजी अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं के रंगीन पृष्ठ जिस तरह सामाजिक मूल्यों को तोड़ या बदल रहे हैं, उससे भाषा भी बदल रही है। पर्दे पर लव और लस्ट, फ़न और फ़ैशन का फर्क़ बदल रहा है। दृश्य-श्रव्य माध्यमों की बिंदास संस्कृति अथवा बेशर्मी भाषा में आ रही है। भाषा का लिखित रूप अधिक सुचिंतित और सुविचारित होता है। मीडिया की ऊपरी चकाचौंध ने इसके लिए अवकाश नहीं छोड़ा है। मुंबई की फ़िल्मनगरी में लफंगों के लिए **टपोरी** और मार डालने या हत्या कर डालने के लिए **टपका देना** जैसे शब्द प्रयोग में हैं। **ब्यूटी और बोल्ड** कल्चर की देन बिंदास लड़के-लड़कियां एक अलग भाषा बना रहे हैं और उसका फ़िल्म के पर्दों से जोरदार प्रचार हो रहा है। **चोली के पीछे क्या है** और **खिसकाय लियो खटिया प्यारा लगे** जैसे अश्लील गानों की लोकप्रियता भाषा की संभ्रांतता और कुलीनता को धता बताकर परवान चढ़ रही है। **हम भी इलू करेगा** तथा **यारों हमको लवेरिया हुआ** जैसी भाषा की चटपटी खिचड़ी ज्यादा बनेगी और ऐसी खिचड़ी चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। कारण साफ है, कुछ फ़िल्म और दूरदर्शन के प्राइवेट चैनल लगातार इस तरह की उजड्डता, अशिष्टता और लफंगई को गौरवान्वित करने में लगे हैं। इसके विपरीत सोचने-समझने वाले लोग अपने दैनिक जीवन की व्यस्तता और उपभोक्तावादी तूफ़ानों यानी कार-कोठी, प्रसिद्धि और पैसा आदि सब जूटाने-जुगाने में ऐसे मशगुल हैं कि उन्हें इसकी फिकर तक नहीं कि किस तरह यह जोर का झटका धीरे-धीरे लग रहा है। स्टार के चैनलों की देखा-देखी और होड़ा-होड़ी में आजतक, सहारा टीवी जैसे निखालिस भारतीय चैनल भी उसी राह पर चल रहे हैं। माजरा अपने उत्पादों की घटिया से घटिया क्वालिटी के लिए बेशुमार उपभोक्तावर्ग की तलाश है। मुक्तमंडी का अस्त्र मीडिया है। इसने नैतिकता, भारतीय मूल्यों तथा मानवीय संवेदन को पीछे छोड़ दिया है। बोफोर्स से लेकर तमाम स्कैम और घोटाले उपरोक्त अंधी दौड़ का ही दूसरा पक्ष है जो हमें रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखाता है। और अब तो ऐसे सपने बेचता भी है।

बहराहाल **भविष्य की हिंदी,** इस चिंता में यह प्रश्न भी ध्वनित है कि भविष्य में अंग्रेजी का क्या स्थान होगा ? भूमंडलीकरण का तकाज़ा है कि अंग्रेजी आधुनिक व्यावसायिकता की भाषा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेकर विश्वविद्यालयों और अन्यान्य शिक्षण संस्थानों में अमरीकी पूंजी लगी हुई है तथा भारत के इंजीनियरों, चिकित्सकों और बुद्धिजीवियों की नजरें अमरीका पर लगी रहती हैं। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयक जो पत्रिकाएं और शोधपत्र यूरोपीय देशों और विशेषकर अंग्रेजी में छपती हैं, वे ही भारतीय अनुसंधान के लिए उपजीव्य बनती हैं। भाषा और संस्कृति में ऐसी परनिर्भरता के होते अंग्रेजी को हटा पाना कितना कठिन है, सहज ही समझा जा सकता है। बुनियादी संरचना के विकास तथा औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रगति के लिए विश्व बैंक के प्रति हमारी परमुखापेक्षिता यदि एक कारण है तो दूसरा बड़ा कारण है हमारे उच्च मध्यवर्गीय युवाओं की अत्याधुनिक ज़ीवन-शैली, जिसमें भारतीय रहन-सहन और पहनावे के लिए उच्छृंखलता की हद तक नकारात्मक भाव है। इससे भारतीय मूल्य बदल नहीं रहे, बल्कि टूट रहे हैं।

आर्थिक मोर्चे पर उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण की परिस्थितियां अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं और पुन: आतंकवाद एक ऐसी चुनौती है जिससे बेपरवाह होकर हम देशीय व्यामोह से ग्रसित होने को उचित नहीं ठहरा सकते । किंतु साथ ही हमें याद रखना है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, वहां की भाषा में प्रभाव नहीं होता। इसी तथ्य को उलटकर समझ सकते हैं कि जब भाषा सामाजिक परिवर्तन को आत्मसात करके और विकास की प्रक्रिया के समानांतर अपने को परिवर्तित करने के लिए उद्यत रहती है तो उसमें ताकत स्वयंमेव आ जाती है। यहां श्री श्रीनारायण सिंह, संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, बेंगलूर का मत सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि भाषा के जागरूक विकास में सरकारी नीति और नियमों से ज्यादा असरदार भूमिका मनुष्य समाज की आपसदारी की होती है जिसमें बाज़ार की मांग और संचार माध्यमों के संजाल अपना काम करते हैं।

यह अनायास नहीं हुआ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बाजाब्ता किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया, बल्कि संविधान की आठवीं अनुसूची में भारतीय प्रदेशों की उन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकृति प्रदान की जिनके अपने समृद्ध साहित्य हैं और जिनमें अपने व्याकरण की व्यवस्था है। भाषा, संभव है कि किसी राष्ट्र के अभ्युदय

का आधार हो, या कि राष्ट्र और भाषा का विकास साथ-साथ हो। किंतु नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के समक्ष शांति और विविधता का आदर्श अहम था। धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को दृष्टि में रखकर भारत का पुनर्निमाण करना था। इसीलिए भारत सरकार की भाषानीति, खासकर राजभाषा हिंदी के लिए प्रेरणा, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और पुरस्कार को केंद्र में रखकर निर्मित है। इस नीति में कट्टरता का कोई स्थान नहीं है। भविष्य की हिंदी शब्दों के स्तर पर तथा वाक्य के अभिव्यंजना कौशल के स्तर पर किसी भी प्रकार की शुद्धतावादी मनोभावना से मुक्त होगी। वह ऐसी हिंदी होगी जो बिगड़-बिगड़कर बनेगी, बिगड़ते-बिगड़ते निखरेगी। इसी सिलसिले में उसकी मानकता और पहचान तय होगी, जोकि कमोवेश अंग्रेजी के साथ हुआ है और जिसकी स्पर्धा विश्व की हरेक महत्वाकांक्षी भाषा की आवश्यकता बन चुकी है। यही हिंदी भारत में सूचनाक्रांति की सहचरी भाषा होगी, यह हिंदी अंग्रेजी को अपदस्थ कर देगी, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। संयुक्त राष्ट्रसंघ में मान्यता के लिए यही हिंदी दावेदारी कर सकेगी। इतना मानने के लिए तमाम हिंदी प्रेमियों के पास पर्याप्त आधार है और यही सबसे आशान्वित करने वाली बात है।

अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो विद्वान पुरुष उसके लिये शोक नहीं करता

—वेदव्यास

349 HA/2004—4A

शिवानी के उपन्यासों में समाज दर्शन

—डॉ० गुड्डी*

हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों में शिवानी का महत्वपूर्ण स्थान है । वे जहां अपनी संस्कृतनिष्ठ भाषा और पर्वतीय जीवन की प्रामाणिक अभिव्यक्ति के लिए पहचानी जाती हैं, वहीं उनका कथा साहित्य भारतीय नारी के जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। व्यष्टि और समष्टि के द्वन्दों से कथावस्तु का ताना-बाना बुनने वाली तथा व्यक्तित्व को लेकर उपन्यास जगत में एक सम्मोहन का सृजन करने वाली शिवानी ने महिला उपन्यासकारों के बीच जो स्थान अर्जित किया है वह श्लाघ्य है।

साधारणत: समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूहों के लिए किया जाता है तथा किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। गिडिंक्स के अनुसार—'समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संघों का योग है जिसमें परस्पर संबंध वाले लोग एक साथ संगठित होते हैं।'' मोरिस गिन्सवर्ग के अनुसार—''एक समाज व्यक्तियों का वह समूह है जो कुछ सम्बन्धों और व्यवहार के कुछ ढंगों द्वारा संगठित है जो उन्हें उन अन्यों से पृथक करते हैं जो इन सम्बन्धों में सम्मिलित नहीं है या जो व्यवहार में उनसे भिन्न हैं।'' मैकाइबर एवं पेज ने लिखा है—''समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक सम्बन्धों का जाल है और वह सदैव परिवर्तित होता रहता है।''

(एम०एन० गुप्ता एवं डी०डी० शर्मा—समाजशास्त्र पृ०—7)

समाज और सामाजिक चेतना से आशय है कि मनुष्य समाज में सभी कार्य अपनी चेतन अवस्था में करता है। समाज और चेतना का सम्बन्ध वैसा ही है जैसा जीवन और शरीर का।

भारतीय संस्कृति व्यष्टि और समष्टि के समन्वय में ही जीवन की सार्थकता अभिव्यक्त करती है। यहां ''यथापिण्डे तथा ब्रह्माण्डे'' का दर्शन प्रचलित है अर्थात् एक व्यक्ति के भीतर वे समस्त तत्व विद्यमान हैं जो समग्र सृष्टि में है। व्यक्ति सत्ता समष्टि सत्ता का लघु संस्करण होती है। अत: सामाजिक संरचना को व्यक्ति के माध्यम से समझने का प्रयत्न प्राचीन भारतीय साहित्य में प्राप्त होता है। सामान्य तौर पर सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संगठन अथवा सामाजिक संरचना एवं उसके प्रकार्यों में घटित होने वाले रूपान्तरणों को इंगित करता है।

साहित्य को समाज के परिवर्तन और विकास को प्रभावित करने वाली शक्ति के रूप में आंका गया है। साहित्य निश्चय ही सामाजिक चेतना के निर्माण और विकास में सहायक है सृजन की अनवरत प्रक्रिया के समाज सम्मत परिणामों से हम अपरिचित नहीं हैं। उन कृतियों का महत्व स्वत: ही बढ़ जाता है जिनके अन्दर समाज को झकझोरने की शक्ति के साथ राष्ट्र तंत्र को भी सकारात्मक दिशा देने का सामर्थ्य होता है। साहित्यकार की रचना की जड़ें समाज में बहुत गहरी समाई होती हैं।

बदलते समाज के बदलते जीवन मूल्य के साथ शिवानी जी का सृजन संसार व्यक्ति, परिवार, समाज और जाति, धर्म, कला, संस्कृति, अर्थ, राजनीति आदि अनेक बिंदुओं पर दृष्टि डालता चला है। समाज दर्शन का बहुआयामी रूप इनमें दृष्टिगत होता है। शिवानी जी ने समाज के सरोकारों से जुड़कर ही अपने साहित्य को समाज सापेक्ष बनाया है। इनकी औपचारिक रचनाएं व्यक्ति विशेष को प्रधानता देते हुए स्वयं उदात्तता की सीमा का स्पर्श करने लगती हैं। इनके उपन्यासों

* बिष्ट भवन, नर्सरी रोड, श्रीनगर, पौड़ी गढवाल, उत्तरांचल

349 HA/2004—4B

में कहीं ऐसी नारी की कहानी है जो अपने मुग्धकारी सौन्दर्य के कटु अनुभव उठाती हुई अपनी जीवनचर्या पूरी करती है, तो कहीं ऐसी स्त्री का चित्रण है जो अकेली ही समाज से टक्कर लेती हुई अपने व्यक्तित्व को उदान्त एवं प्रेरणामय बनाती है। कहीं प्रेम व विवाह का द्वन्द्व है तो कहीं राजनीति व रोमांस के रेशमी धागों से बुनी गाथा।

शिवानी का 'सुरंगमा' एक ऐसी ही नारी की कहानी कहता है जो मुग्धकारी सौंदर्य के कटु अनुभव सहती समाज में जीती है, सुरंगमा का सौंदर्य यहां इसी बात की पुष्टि करता है कि यहां पर व्यक्ति सिर्फ सौंदर्य का पुजारी है—''मैं बड़ी देर से आपके पीछे आ रहा था। लाखों में एक चेहरा है आपका, एकदम स्क्रीन टेस्ट के लिए ही बनाकर पृथ्वी पर भेजा है शायद विधाता ने। कहां-कहां नहीं घूमा पर चेहरा मिलता भी भावनाहीन और जहां भावनापूर्ण चेहरा जुड़ता वहां एक न एक दोष या तो आंखें छोटी या चिबुक तीखी या नाक बहुत लम्बी पर वाह तबीयत खुश कर दी आपने! जैसा ही चेहरा वैसा ही फीगर मिस क्या शुभ नाम है आपका? पता ? फोन नम्बर?''

(शिवानी—सुरंगमा, पृ० 12)

जहां एक तरफ सुरंगमा में लेखिका ने व्यक्ति को रूप सौन्दर्य का पुजारी माना वहीं दूसरी तरफ कैंजा में उनका व्यक्ति समाज से भागने की कोशिश करता है लेकिन वह जा भी तो कहां सकता है 'कैंजा' की नायिका नंदी एक बच्चे को मां का नाम देकर स्वयं समर्पित हो जाती है सिर्फ़ एक बच्चे की जिद्द पर उसे वापस गांव लौटना पड़ता है—''जिस जन्म भूमि की धरा पर मृत्यु पर्यन्त कभी पैर न धरने का निश्चय कर वह एक दुधमुंहें को लेकर निकली थी, आज विषम परिस्थितियां उसे फिर वहीं खींच लायी थीं।''

कैंजा की नारी व्यक्ति पात्र नंदी जहां आदर्श की ओर झुकती दिखाई गई है वहीं सुरेश भट्ट पुरुष व्यक्ति पात्र स्वार्थी लम्पट, कर्महीन, दुश्चरित्र, कामुक, व्यसनी दिखाया गया है, जो समाज के नग्न यथार्थ को उद्घाटित करता, केवल रूप के बल पर वह समाज में नारी को एक उपभोग की वस्तु मानकर उसका उपभोग करना चाहता है। यही मात्र उसका उद्देश्य है। नंदी एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है जो आधुनिक शिक्षिता होने पर भी नारी सुलभ भावनाओं जैसे—दया, माया, ममता से परिपूर्ण है एवं अपने जीवन का बलिदान करती है। सिर्फ एक बच्चे के कारण, वही बच्चा जब बड़ा होकर पिता का नाम पूछता है तो नन्दी को लौटना पड़ता है वापस—''पुत्र की इस घोषणा के पश्चात् नंदी के लिए वह पहाड़ यात्रा अनिवार्य हो उठी थी भावुकता के क्षणिक आवेश में आकर वह आंखे बन्द कर जिस अंधे कुंए में कूद गई थी वहां से लौटना का कोई प्रश्न ही उठ सकता।''

(शिवानी-कैंजा, पृ० 12)

कैंजा का व्यक्ति पात्र (कैंजा यानि नंदी) व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर परमार्थ की बेदी पर अपने सुखों का बलिदान देती है। इस दृष्टि से यद्यपि आधुनिक युग में व्यक्ति का यह स्वभाव अस्वाभाविक सा जाना पड़ता है। अपवाद स्वरूप ही किसी लड़की का इतना बड़ा त्याग समाज में देखा जाता है। इस तरह हम इसे आदर्श की ओर झुका उपन्यास ही कहेंगे।

नारी जीवन की गहन पीड़ा एवं उसकी अवश स्थिति शिवानी के उपन्यासों का आवश्यक अंग है। विवाह परिवार बसाने का आधार रहा है। स्त्री-पुरुष द्वारा साथ-साथ रहकर जीवन यापन एवं दायित्व निर्वाह की आकांक्षा से आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बन्ध स्थापित करने और उन्हें स्थिरता प्रदान करने की संस्थापरक व्यवस्था ही विवाह है, जो मानव जीवन के लिए अनिवार्य रूप से स्वीकृत है, यद्यपि विवाह-विच्छेद को वैधानिक आधार मिलने से पूर्व भी पति-पत्नी पार्थक्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं किन्तु बहुत कम।

''चौदह फेरे'' के कर्नल की पत्नी नंदी पति की उपेक्षा पाकर घर छोड़कर चली जाती है। 'सुरंगमा' पर भी पारिवारिक प्रभाव की स्पष्ट रूप से छाप है, इसी कारण अपनी जिन्दगी का सबसे अहम फैसला वह खुद करती है और अपनी सहेली मीरा से कहती हैं—''बुरा मान गई मीरा? पर मैं मन ही मन निश्चय कर चुकी हूं कि कभी विवाह करने की मूर्खता नहीं करूंगी, तुझे तो पता ही है कि मेरी माँ की असामयिक मृत्यु का कारण ही उनका विवाह था। दूध की जली मां ने भले ही मठ्ठा फूंकफूंक कर न पिया हो मैं तो पी ही सकती हूं।''

(शिवानी—सुरंगमा, पृ० 159)

शिवानी का ''चौदह फेरे'' नामक उपन्यास अपने परिवेश और परम्परा के कारण बहुत अधिक चर्चा का विषय रहा। कुमाउंनी परिवेश में वहां के संस्कार, रीति-रिवाज आदि का सजीव चित्रण लेखिका ने इस उपन्यास में किया है। पारिवारिक परम्पराएं कितनी दृढ़ होती हैं कि अफसर बेटा भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, वह इन्हीं के अन्दर जीता है। लेखिका के शब्दों में—''विवाह कर कर्नल अकेले ही कलकत्ता

लौट आया। बहू को साथ ले जाने की धृष्टता तब कुमाऊं का तरूण नहीं कर सकता था। पुत्र बहू को सास और ससुर की सेवा के लिए ब्याह कर लाता था, प्रणय निवेदन की सार्थकता के लिए नहीं।''

(शिवानी–चौदह फेरे, पृ०9)

मूल रूप से पर्वतीय प्रदेश से होने के कारण आंचलिकता उनके उपन्यासों में परिलक्षित होती हुई अपना व्यापक प्रभाव छोड़ती है। पहाड़ के संस्कृति और सामाजिक परिवेश में जातीयता की जड़ें बहुत गहरी और दूर–दूर तक फैली हैं। मनुवादी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय–वैश्य, शूद्र का यदि उचित सन्नियोजन देखना हो तो पहाड़ी समाज में देखा जा सकता है। यहां का ब्राहमण वर्ग अन्य वर्गों की अपेक्षा समाज में आदर और गौरव की पात्रता का लाभ प्राप्त करता आया है। जातिगत परंपराओं से विद्रोह करने वाले को आज भी पहाड़ी समाज में हेय तथा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। यद्यपि समय के साथ जातिगत मान्यतायें तोड़ने का साहस भी व्यक्ति के अन्दर पैदा हुआ है। धीरे–धीरे विकसित समाज और वैज्ञानिक सभ्यता के विकास के कारण ही उस पहाड़ी समाज में जातीय संदर्भों में इतना बदलाव आया है जहां पहले युवाओं को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से पहाड़ से बाहर भेजे जाने पर ब्राह्मण रसोईया भी साथ भेजा जाता था और घर आने पर गौमूत्र से उनका शुद्धीकरण किया जाता था—''पौत्र के अंग्रेजी स्कूल से लौटने पर उस पर विधिवत् गौमूत्र का छिड़काव कर उसे पितामह की चरणधूलि मिलती। शिवदत्त को इण्टर कराने के पश्चात् इलाहबाद भेज दिया गया, साथ में एक ब्राह्मण रसाईया भी गया।''

(शिवानी–चौदह फेरे, पृ० 6)

समाज का जहां तक प्रश्न है, तो शिवानी के उपन्यासों में सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण न्यून रूप में दिखाया गया है, प्रेम का आदर्श रूप प्रतिबिम्बित है। समाज में पुरुष वर्ग की स्वेच्छाचारिता का दिग्दर्शन होता है। नारी अधिकांशत: समाज के नियमों में बंधी विद्रोही कदम नहीं उठा पाती है।

व्यक्ति का समाज से अटूट सम्बन्ध होता है समाज से कटकर व्यक्ति नहीं रह पाता, चाहे इसके लिए उसे प्रिय वस्तु भी त्यागनी पड़े, क्योंकि समाज से निर्पेक्ष वह जी नहीं सकता है। शोभा, सतीश, सविता, अविनास और मंजरी के माध्यम से लेखिका ने अपने 'मायापुरी' नामक उपन्यास का ताना–बाना बुना है। शोभा का हृदय सतीश को समर्पित है किन्तु सतीश के पैरों में अहसान की बेड़ियां लगी हैं। प्रेम वैयक्तिक धारणा है, विवाह एक सामाजिक संस्था है। प्रेम जीवन की ऊर्जा है और विवाह एक कर्तव्यबोध है, प्रेम टूटने से मानव हृदय बिखर जाता है, व्यक्ति विपथगामी हो जाता है लेकिन समाज निर्पेक्ष नहीं। प्रेम पंथ की विषमताओं को गुनता–बुनता सतीश एक दिन वायुयान से काबुल जा रहा होता है कि उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और सतीश सदा के लिए संसार से विदा हो जाता है, संसार से भागना उसके लिए सहज कार्य लगा बजाय समाज के।

शिवानी का ''चौदह फेरे'' नामक उपन्यास विवाह जैसे पवित्र बन्धन को बहुत महत्व देता है। जब कोई पुरूष किसी स्त्री के साथ वैवाहिक प्रक्रिया में समाज के समक्ष सात फेरे लेता है तो वह कुछ नियमों व मर्यादाओं में बंध जाता है लेकिन जब वह दो स्त्रियों के साथ ''चौदह फेरे'' लेने का कदर्थित कार्य करता है तो उसकी गति शिवदत्त की सी हो जाती है। वह दो नावों पर सवार नाविक की भांति मझधार में डूबने के लिए शापित हो जाता है। लेखिका शिवानी नारी का रूप समाज में ऊंचा देखना चाहती है, फिर चाहे मर्यादा हो या पद–प्रतिष्ठा। बेटी सुरंगमा के लिए मां लक्ष्मी के शब्द समाज पर करारा व्यंग करते हैं–''तब क्या करोगी दिन–रात शराबी बाप को पलंग पर लिटाती रहेगी क्या? या मेरी तरह मास्टरनी बन जीवन भर खूंखार सिरफिरी इस्पेक्टरनियों की धौंस सहती रहेगी?''

(शिवानी – सुरंगमा, पृ. 116)

कैंजा की नायिका नंदी समाज के जिस भय से गांव छोड़कर चली गयी थी उसी समाज ने जब बच्चे रोहित को पिता के नाम का अहसास करवाया तो बच्चा मां से पूछता है और मां को लौटना पड़ता है फिर उसी गांव में जहां न लौटने की कसम खाकर गई थी। तब सुरेश भट्ट मरणासन्न स्थिति में है। रोहित को दिखाते हुए नन्दी कहती है— ''रोहित तुम रोज पूछते थे न, तुम्हारे डैडी कहां है? ये रहे तुम्हारे डैडी।''

(शिवानी – कैंजा, पृ० 40)

बेमेल विवाह भी समाज की एक सबसे बड़ी समस्या है 'रति विलाप' में अनमेल विवाह व वृद्धावस्था में किये गये प्रेम का दुष्परिणाम दिखाया गया है। समाज की अनेक विद्रूपताओं के वर्णन से लेखिका ने अपनी गहन

सूझ-बूझ एवं जागरूक सामाजिक चेतना का परिचय दिया है।

पागल लड़के के साथ अनूसूया का विवाह उसके जीवन को अभिशप्त बना देता है और वृद्ध ससुर का तरूणी हीरा से प्रेम उसकी मृत्यु का कारण बनता है, स्थितियां दोनों भिन्न हैं किन्तु कारण एक ही है और यह है समाज में बेमेल विवाह या यौन सम्बन्ध।

विशेष रूप से लेखिका का नारी समाज को दिया गया संदेश है कि विकट एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य और साहस रखकर जीवन को जीने योग्य बनाया जा सकता है। लेखिका अपने इस उद्देश्य में सर्वथा सफल है। हमारा समाज अति प्राचीनकाल से पुरूष प्रधान रहा है नारियों को देवियों की कोटि में रखकर उनकी स्तुति की गई है किन्तु व्यवहार में उसकी सदायशता का, उसके निष्छल व्यवहार का तथा निष्कपट प्रेम का नाजायज फायदा स्वयं को समाज का शासक मानने वाले पुरूषों ने उठाया है। किन्तु स्वातंत्रयोत्तर काल की नारी अपनी स्थिति एवं सुखकर जीवन यात्रा के लिए संघर्ष हेतु सन्नद्ध है। 'सुरंगमा' की राजलक्ष्मी हो या 'चौदह फेरे' की अहिल्या अथवा 'कैंजा' की नंदी हो या 'तीसरा बेटा' की सावित्री हो। लेखिका ने अपने उपन्यासों द्वारा यह संदेश प्रेषित करने का श्लाघ्य प्रयत्न किया है कि सोच समझकर लिये गये निर्णय से हटने का विचार नहीं लाना चाहिए उस पर दृढ़ता से कायम रहना ही जीवन को भास्वर बनाता है। ■

कोई देश विदेशी भाषा के द्वारा न तो उन्नति कर सकता है और न ही राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति

—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

पुरानी यादें - नए परिप्रेक्ष्य

भारतीय दर्शन के व्याख्याता : डॉ. राधाकृष्णन्

—नोतन लाल*

भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् दार्शनिक कणाद, कपिल, कौतिल्य आदि द्वारा प्रशासन-सूत्र संचालन की परम्परा के प्रतीक पुरूष थे, जिन्होंने दार्शनिक के शासक बनने के बारे में प्लेटो का स्वप्न साकार किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ-साथ वे एक महान शिक्षक भी थे, जिन्होंने अपना जन्मदिन 5 सितम्बर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर अद्‌भुत नमूना प्रस्तुत किया।

डॉ. राधाकृष्णन् का जन्म 5 सितम्बर सन् 1888 ई. को मद्रास से लगभग 80 किलोमीटर दूर तिरूतानी नामक छोटे से शहर में प्रागानाडु नियोगी मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा तिरूपति के लुथरन मिशन हाई स्कूल में हुई। इण्टरमीडिएट परीक्षा उन्होंने बूर्हेस कालेज, बैलोर से उत्तीर्ण की तत्पश्चात् सन् 1907 ई. में क्रिश्चियन कालेज मद्रास से बी.ए. की डिग्री प्राप्त की। अप्रतिम प्रतिभा के कारण उन्होंने समस्त परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सन् 1909 ई. में मद्रास विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् उनकी नियुक्ति मद्रास के ही प्रेसीडेन्सी कालेज में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर हुई। सन् 1918 ई. में योग्यता और अध्ययन कुशलता के कारण उन्हें तीस वर्ष की आयु में ही मैसूर विश्वविद्यालय के आचार्य पद पर नियुक्त किया गया। सन् 1921 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आशुतोष मुकर्जी के निमंत्रण पर उन्हें मैसूर में किंग जार्ज प्रोफेसरशिप इन मेंटल एण्ड मॉरल फिलोसोफी के पद पर नियुक्त किया गया।

सन् 1926 ई. में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उन्होंने हारवर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित दर्शन कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तत्पश्चात् उन्होंने जावेट, हास्कल आदि व्याख्यानमालाओं में भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के सम्बन्ध में नवीन व्याख्याएं प्रस्तुत करके एवं अपनी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय देकर विदेशी वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य चकित कर दिया। सन् 1930 ई. में बंगाल की रायल ऐशियाटिक सोसायटी ने उन्हें अपना आनरेरी सदस्य निर्वाचित किया तथा बनारस में आयोजित आल एशिया एजूकेशन कांफ्रेंस का उन्होंने सभापतित्व किया। भारत के तत्कालीन वाइसराय लार्ड इर्विन की संस्तुति पर उन्हें सन् 1931 ई. में नाईट की उपाधि प्रदान की गयी।

एक उत्कृष्ट वक्ता के अतिरिक्त डॉ. राधाकृष्णन् उच्चकोटि के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक एवं कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। उन्होंने अनेकों पुस्तकों की रचना की, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—"ऐथिक्स एण्ड वेदान्त एण्ड माई फिजिकल प्रोसपोसेशनस", "भारतीय दर्शन", "मनोविज्ञान की आवश्यकताएं", "उपनिषदों का दर्शन", "जीवन की हिन्दू धारणा", "जीवन की आदर्श धारणा", "श्रीमद्‌भगवत गीता", "स्वतंत्रता और संस्कृति", "विश्वास का पाना", "महान भारतीय", "ब्रह्मसूत्र", "सत्य की खोज" आदि।

आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सन् 1936 ई. में प्रोफेसर ऑफ इस्टर्न रिलीजन्स एण्ड ऐथिक्स के पद पर नियुक्त होने वाले वे प्रथम भारतीय थे, जिन्हें विदेश में दर्शनशास्त्र जैसे जटिल विषय को पढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। सन् 1937 ई. में उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय तथा तत्पश्चात् अगस्त 1939 ई. से सन् 1948 ई. तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद को सुशोभित किया। उनकी सेवाओं के कारण उसी वर्ष सन् 1948 ई. में डा. राधाकृष्णन् को यूनेस्को के अधिशासी मण्डल का अध्यक्ष चुना गया और भारत सरकार ने उन्हें यू.जी.सी. का अध्यक्ष भी नियुक्त किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष

*डी-1209, दबुआ कालोनी, फरीदाबाद-121001

के रूप में उन्होंने भारत सरकार को अपनी आख्या में प्रस्तुत देश की शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूक परिवर्तन हेतु सुझाव दिये। सन् 1946 में उन्हें संविधान परिषद का सदस्य बनाया गया, जिसमें अपने प्रथम भाषण में उन्होंने "स्वराज्य" शब्द की दार्शनिक व्याख्या करके अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। सन् 1949 में उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, जहां अपने स्वभाव के प्रतिकूल स्टालिन ने उनका भव्य अतिथि सत्कार किया। भारत के राजदूत के रूप में डा. राधाकृष्णन् ने भारत-सोवियत मैत्री की सुदृढ़ आधारशिला रखी। सन् 1952 ई. तक उन्होंने लगातार दस वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया।

सन् 1952 ई. में उन्हें भारतीय गणतंत्र का प्रथम उपराष्ट्रपति चुना गया। इस पद को उन्होंने दस वर्ष तक सुशोभित किया। सन् 1954 ई. में भारत सरकार ने उन्हें "भारत रत्न" की सर्वोच्च उपाधि से अलंकृत किया। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उनकी राजनीतिक कुशलता, न्यायप्रियता, प्रशासनिक क्षमता आदि की प्रशंसा संबंधी चर्चा सर्वत्र सुनने को मिलती है। 13 मई, सन् 1962 को इस महान शिक्षाविद् एवं दार्शनिक ने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद ग्रहण किया। जुलाई 1962 को उन्हें ब्रिटिश एकेडेमी की आनरेरी फैलोशिप प्रदान की गयी। भारत चीन युद्ध में उन्होंने देशवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मोर्चों पर भाषण देकर उनमें नई चेतना एवं जागृति का संचार किया। युद्ध के कारण जब उन्हें राष्ट्रपति भवन की खाईयों में शरण लेने को कहा गया तो उन्होंने कहा, "मैं आम नागरिक की तरह खुली हवा में सांस लेते हुए मरना पसन्द करूंगा।"

दार्शनिक के रूप में आपकी गणना बर्टेंड रसल, जी.ई. मूरे एवं कार्ल जास्पर्स जैसे विश्व प्रसिद्ध दार्शनिकों की श्रेणी में की जाती है। अपने शिष्यों के लिये डा. राधाकृष्णन् एक पिता, एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक दार्शनिक थे। उनका अपने विद्यार्थियों के मध्य अद्भुत सौहार्द एवं समन्वय होता था। सन् 1965 ई. में उन्हें हिंदुत्व के प्रति योगदान के लिए टैम्पलिन पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद वे मद्रास में रहकर दर्शनशास्त्र के अध्ययन-अनुशीलन में तल्लीन हो गये। 6 अप्रैल, सन् 1975 ई. को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और डाक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद उनका 16 अप्रैल, 1976 ई. को स्वर्गवास हो गया।

हम समस्त नागरिकों, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों का यह पुनीत कर्तव्य है कि उस महान शिक्षाविद् दार्शनिक द्वारा प्रस्थापित आदर्शों का अनुसरण करके राष्ट्र निर्माण में पूर्ण रूपेण योगदान देकर सुदृढ़, विशाल और महान भारत का निर्माण करने की शपथ लें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ■

अपनी मातृभाषा बंगला में लिखकर में 'बंगबंधु' तो हो गया, किंतु, 'भारतबंधु' मैं तभी हो सकूंगा जब भारत की राष्ट्रभाषा में लिखूंगा

—बंकिम चंद्र चटर्जी

धर्म और ध्वनि प्रदूषण

—डॉ. बसन्तीलाल बाबेल*

ध्वनि प्रदूषण आज की एक ज्वलंत समस्या है। और आम आदमी इससे त्रस्त है। ध्वनि अपने-आपमें अनावश्यक एवं अवांछनीय शोरगुल है। यह अनेक रोगों को जन्म देती है यथा- हृदय रोग, स्नायु रोग, बहरापन आदि। एक समय था जब ध्वनि केवल कारखानों या मोटर वाहनों की उपज होती थी। लेकिन आज ध्वनि प्रदूषण के अनेक स्रोत हो गए हैं; यथा—

औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण	वाहन ध्वनि प्रदूषण	पड़ौस का ध्वनि प्रदूषण
मशीन (यंत्र)	सड़क/रेल यातायात	टी.वी./रेडियो
सायरन	विमानों की ध्वनि	लाउड स्पीकर
इलेक्ट्रॉनिक	सोनिक बुम	धार्मिक-स्थल
सन्निर्माण प्रक्रिया	हॉर्न	रेस्टोरेन्ट
कर्मकारों का शोरगुल	हवा का निकास	निर्माण कार्य

धर्म और ध्वनि-प्रदूषण

धर्म से कारित ध्वनि प्रदूषण आज सर्वाधिक चिंता का विषय है। मनुष्य ने ध्वनि प्रदूषण को धर्म से इस प्रकार जोड़ दिया है मानो उनमें चोली दामन का साथ हो। यह धारणा बन गई है कि लाउड स्पीकरों के बिना साधना और आराधना हो ही नहीं सकती। धर्म स्थलों पर माइक का होना एक आवश्यकता बन गई है। माइक के बिना न प्रार्थना हो सकती है और न पूजा, न भजन हो सकते हैं और न भाषण। धर्म स्थलों पर जब एक बार माइक हाथ में आ जाता है तो वह आसानी से छूटता नहीं। माइक पर बोलना एक नशा बन गया है।

धार्मिक स्थलों पर माइक एवं लाउड स्पीकरों के प्रयोग को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) तथा 25 के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार माना जाता है। लेकिन ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 19 व 25 में और भी कुछ कहा गया है। अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन प्रदत्त मूल अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार, शिष्टाचार एवं साधारण जनता के हितों के संरक्षण के अध्यधीन है। किसी अन्य व्यक्ति या पड़ौसी को कष्ट पहुंचाकर या न्यूसेन्स कारित कर इस अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 25 में तो यह स्पष्ट उपबंध किया गया है कि—"लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य ··· के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्त:करण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।" अत: धर्म स्थलों पर माइक एवं लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने वालों को यह जान लेना चाहिये कि यह उनका अबाध मूल अधिकार नहीं है।

ध्वनि नियंत्रक कानून

ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए संविधान में और अन्य अनेक विधियों में प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक अंग मान लिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण निषेधित है। अनुच्छेद 48क में यह कहा गया है कि—"राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" इसी प्रकार अनुच्छेद 51क(छ) में यह व्यवस्था की गई है कि—"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य-जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखें।"

*के-9, फतेह टीबा, आदर्श नगर, जयपुर (राज.)

ध्वनि प्रदूषण निवारण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में भी प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम की धारा 2(क) के अंतर्गत वायु प्रदूषणकारी की परिभाषा में ध्वनि प्रदूषण को भी सम्मिलित किया गया है। इतना ही नहीं; ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए '**ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000**' भी बनाये गये है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि सीमा निर्धारित की गई है; यथा—

एरिया कोड	एरिया/जोन का वर्ग	दिन के समय डीबी सीमा	रात्रि के समय डीबी सीमा
ए	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
बी	व्यावसायिक क्षेत्र	65	55
सी	आवासीय क्षेत्र	55	45
डी	शान्ति जोन	50	40

न्यायिक-निर्णय

ध्वनि प्रदूषण के निवारण में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे शीर्षस्थ न्यायालयों द्वारा समय-समय पर कई महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय दिये गये हैं। '**चर्च ऑफ गोड बनाम के.आर. मेजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसियेशन**' (ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 2773) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''कोई भी धर्म यह नहीं कहता है कि ईश्वर की प्रार्थना अन्य व्यक्तियों की शांति भंग करके की जाये अथवा प्रार्थना में लाउडस्पीकरों या ढोल-नगाड़ों का प्रयोग किया जाये। धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण कारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि किसी धर्म में ऐसी परिपाटी है तो उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिये कि अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन न हो।'' '**फ्री लीगल एड सेल बनाम स्टेट**' (ए.आई.आर. 2001 दिल्ली 455) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि उत्सवों, विवाह समारोहों आदि में तेज ध्वनि वाले पटाखे छोड़ना भी ध्वनि प्रदूषण है और न्यूसेन्स भी। '**सैय्यद मकसूद अली बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश**' (ए.आई.आर. 2001 मध्यप्रदेश 220) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी धर्मशाला के मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को निरन्तर लाउड स्पीकर चलाकर पड़ौसी की सुख-शांति को भंग करने का अधिकार नहीं है।

'**आचार्य महाराज श्री नरेन्द्र प्रसाद जी आनन्द प्रसाद जी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात**' (ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 2098) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया है कि—''सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई भी अधिकार अबाध रूप से नहीं दिया जा सकता। कोई भी व्यक्ति दूसरे के अधिकार को छीनकर अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। दोनों के बीच सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है।''

आज आवश्यकता इन न्यायिक-निर्णयों पर अमल करने तथा कानूनों का पालन करने की है। धर्म के नाम पर न्यूसेन्स एवं ध्वनि प्रदूषण कारित करने के विरुद्ध बगावत करने का अब समय आ गया है। धर्म की आड़ में कोई भी व्यक्ति अब पड़ौसी की सुख-शांति को भंग नहीं कर सकता। धर्म शांति का मार्ग है; ध्वनि प्रदूषण का नहीं। ऋषि-मुनियों, आचार्यों तथा तीर्थंकरो ने जंगलों में शांति को तलाशा है, कर्मों के बंधनों को काटा है तथा ईश्वर की आराधना की है। आज इस मर्म को समझने तथा शान्ति से ईश्वर आराधना करने की आवश्यकता है। हम माइक एवं लाउड स्पीकरों के मोह को त्यागें तथा शांति से ईश्वर की भक्ति करें; यही इन कानूनों एवं न्यायिक-निर्णयों का सार है। ■

349 HA/2004—5

घटता वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बढ़ता अंध विश्वास

—डॉ. दिनेश मणि*

क्या हम अपने जीवन में वैज्ञानिक अभिरुचि को समाहित कर पाये हैं! यदि ध्यान दें, तो हम पाऐंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने में हमारा समाज पूर्णतया असमर्थ रहा है। ऐसा लगता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग हमने एक संलग्नक के रूप में किया है, जिसने हमारी कार्यक्षमता को अवश्य बढ़ाया है किन्तु हमारे दृष्टिकोण को वह परिष्कृत नहीं कर पाया है। क्या कारण है कि विज्ञान के इस युग में भी हमारा समाज अन्धविश्वास और रूढ़िवादिता के अभिशाप से ग्रस्त है? इससे बढ़ कर और विरोधाभास क्या हो सकता है कि स्कूल-कॉलेजों में विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों के घरों में भी बच्चों के कल्याण के लिए गंडे और ताबीज की व्यवस्था की जाती है।

टेलीविजन और उपग्रह संचार के इस युग में भी तथाकथित ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं को हमारे समाज में इतनी अधिक अहमियत क्यों नहीं मिलती है? पत्र-पत्रिकाओं में राशिफल प्रकाशित करने के मोह का संपादक लोग संवरण क्यों नहीं कर पाते हैं?

पं. जवाहर लाल नेहरू ने लोगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया था। हमारे संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना नागरिक का मूलभूत कर्त्तव्य माना गया है और हमारी विज्ञान नीति का वह एक मुख्य उद्देश्य है तथा समय-समय पर हमारे नेताओं और वैज्ञानिकों ने हमसे उसे अपनाने का अनुरोध किया है। इसके बावजूद, विज्ञान नीति की घोषणा के इतने वर्ष बाद भी, क्या एक सामान्य भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना पाया है? क्या वह आज पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त है? क्या उसने सिद्ध पुरुषों और चमत्कार उत्पन्न कर देने वाले तथा कथित 'भगवानों'' पर विश्वास करना छोड़ दिया है।

हजारों वर्षों से मानव-व्यवहार में अंधविश्वासों ने अपनी एक निश्चित जगह बनाई हुई है। हमारा बहुत सा कार्य-व्यवहार इन मान्यताओं से संचालित होता रहता है, भले ही चेतना रूप में हम उनसे अनभिज्ञ हों। हमारे धार्मिक कर्मकांड, मान्यताएं, व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक रीति-रिवाज सभी के मूल में अंधविश्वास का बोलबाला है।

यह कैसी विडंबना है कि अंधविश्वास और असंगत विश्वास हमारे दैनिक जीवन का निर्देशन करते हैं। इन्हीं के आधार पर हम अपनी यात्रा का दिन या नौकरी की नियुक्ति का दिन या विवाह का दिन तय करते हैं। बस में होता तो हम अपने जन्म का दिन भी पहले तय करके आते। शुभ-मुहूर्त की चिन्ता हमें बस तब नहीं होती जब हम भ्रष्ट या स्वार्थी होना चाहते हैं। हमारे पथ में भ्रष्टाचार या शोषण करने के लिये हर दिन ही शुभ है।

सामान्यतया मानव के अज्ञान से आशंकाग्रस्त मन को ही अंधविश्वास के मूल में माना जाता रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका के ग्लासगो के मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर का मानना कुछ अलग है। उनका कहना है कि मानव मन स्वभावत: ही विचारशील और अवधारणाएं सुनिश्चित करने का आग्रही होता है। वह एक उपलब्धि की धारणा से अपने ज्ञात परिवेश के नितांत वैभिन्यपूर्ण रूपाकारों की आपस में संगति बैठाना चाहता है और यदि कहीं असफल रहता है तो वह भयग्रस्त हो जाता है।

अंधविश्वासों की तह में जाते हुए हमें इस तथ्य को नहीं भूल जाना चाहिए कि मनोविज्ञान भी विज्ञान से अलग नहीं है। अधिकांश बल्कि समस्त अंधविश्वासों की जड़ में मनोवैज्ञानिक आधार तो रहते ही हैं। विज्ञान की दृष्टि अंधविश्वासों के स्वरूप को शुद्ध तार्किकता की कसौटी पर कसती है। पर अंधविश्वासों के औचित्य-अनौचित्य पर विचार करते समय हमें तार्किकता के साथ ही अन्य अनेक पक्षों पर दृष्टि डालनी होगी।

समाज पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि आज हम रूढ़ियों से अधिक जकड़ गये हैं, हमारी धर्मांधता बढ़ गई

*47/29, जवाहर लाल नेहरु रोड जार्ज टाउन, इलाहाबाद-211002

है और हम परम्पराओं के अधिक दास बन गए हैं। आज जब मनुष्य चांद पर पहुंचकर वहां से सकुशल वापिस भी आ गया है लोग अपने जीवन की घटनाओं के सुदूर ग्रहों से प्रभावित होने पर विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि उनके नाम के अक्षरों की संख्या उनके सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। यही नहीं, हमारे समाज को बुरी तरह जकड़े रखने वाली जाति प्रथा के औचित्य को कुछ लोग वैज्ञानिक आधार पर सही सिद्ध करना चाहते हैं। वे यह मनवाने का प्रयत्न करते हैं कि प्रकृति ने ही कुछ जातियों को अन्य की तुलना में श्रेष्ठता प्रदान की है।

आज भी हमारे देश में प्रयोगों के अधार पर उपलब्ध तथ्यों के बजाय लोगों के मतों को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि ऐसे मत प्रकट करने वाले व्यक्तियों को राजनीति, धर्म या प्रशासन में उच्च स्थान प्राप्त है।

घर से किसी शुभ कार्य पर निकलने के पूर्व स्वाभाविक है कि मनुष्य अपनी सभी क्षमताओं को बटोरकर एकाग्रचित्त और प्रसन्नता से उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रस्थान करना चाहेगा। पर खाली या लुढ़का हुआ घड़ा घर से निकलते समय उसके मानसिक संतुलन को विचलित कर सकता है क्योंकि खाली घड़ा घरेलू अव्यवस्था या विपन्नता का द्योतक है।

छींकना शरीर की एक जैविक क्रिया है और किसी बाह्य उत्तेजक से क्षुभित होकर नाक की सुरक्षा व्यवस्था छींक के द्वारा उस बाह्य पदार्थ को निकाल बाहर करती है। फिर भी सामने से छींकना, पीछे से छींकना, दो बार लगातार छींकना जैसी अलग-अलग अवस्थाओं के अलग-अलग शुभाशुभ प्रतिफल माने जाते हैं। सामान्यतया छींकने और मानव के साथ शुभाशुभ घटने के मध्य किसी प्रकार का कोई तार्किक सम्बन्ध तो दिखाई नहीं देता, किन्तु जुकाम के जोरदार आक्रमण के कारण लगातार छींके आ रही हों और शरीर व्याधिग्रस्त हो तो यात्रा पूर्व छींक यात्रा के मध्य बीमार पढ़ने पर आने वाली आगामी कठिनाइयों के लिये एक पूर्व सूचना अवश्य है।

काली बिल्ली के रास्ता काट जाने पर परीक्षा के लिये जाना ही स्थगित कर देना अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। यह सच है कि बार-बार इस तरह की बाधायें आने से परेशान मन परीक्षा में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर सकता। पर यह जानना भी उचित है कि रास्ता चाहे बिल्ली काटे या बैल, चाहे बस छूट जाने की मुसीबत हो, चाहे स्कूटर के स्टार्ट न होने की परेशानी, इन सभी से संतुलन विचलित होता है। फिर बिल्ली के रास्ता काटने पर ही इतना दुराग्रह क्यों?

अंधविश्वास की अवैज्ञानिकता का प्रमुख कारण यह है कि एक बार कोई मान्यता बना लेने के बाद साधारण मानव मन आसानी से उससे डिगना नहीं चाहता। एक तो साधारण मानव मस्तिष्क की बौद्धिक तार्किक क्षमता ही सीमाएं हैं, दूसरे मान्यताओं के विश्लेषण के अर्थ हैं, बौद्धिक परिश्रम। सामान्य परिस्थितियों में सामान्य मनुष्य इस परिश्रम से तब तक भागता है जब तक वह उसके लिये किसी रूप में आवश्यक न हो जाए।

वस्तुतः विज्ञान के तर्कपूर्ण, अनुदार और निष्पक्ष निर्णय किसी अंधविश्वास को मनुष्य के लिये निरर्थक इसलिये बताते हैं जिससे मानव मन भय और आशंका के अंधकूप से निकलकर समाज में दृढ़ता के साथ खड़ा हो सके। जब कि अतार्किक मान्यतायें पग-पग पर उसके रास्ते में आकर उसे कमजोर और सही निर्णय लेने में अक्षम बनाती हैं।

किन्तु सभी तथाकथित अंधविश्वासों को बिना जांच-परख के आकार देना भी उतना ही अवैज्ञानिक है जितना बिना उनका विश्लेषण किए उन पर विश्वास करना। जिस तथ्य को आज हमारा सीमित ज्ञान या क्षमताएं व्याख्यायित नहीं कर सकती, वह निश्चित रूप से गलत है, ऐसा दृष्टिकोण भी अवैज्ञानिक है।

विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि वह मनुष्य में ऐसी तार्किक दृष्टि विकसित करने में योगदान दे जिससे स्वयं विश्लेषण करके अंधविश्वासों के चंगुल से निकलने की मनोवृत्ति पनप सके। उदाहरणतः चाहे बिल्ली रास्ता काटे या कोई अन्य बाधा उत्पन्न हो, अपने पूरे सामर्थ्य पर अपना कार्य पूर्ववत् करने का प्रयत्न करना ही अंधविश्वासों से लड़ाई की शुरूआत है।

आज जरूरत इस बात की है कि विज्ञानसेवी संस्थाएं—विज्ञान के लेखक तथा अन्य प्रबुद्ध जन विज्ञान की कार्यप्रणाली, वैज्ञानिक अभिरुचियों तथा वैज्ञानिक विचार शैली से जनसाधारण को परिचित कराएं। उन्हें स्पष्ट रूप से बतलाना होगा कि विज्ञान का क्षेत्र हमेशा निष्पक्ष और सार्वजनिक रहा है, विज्ञान का हर निष्कर्ष प्रयोग की कसौटी पर जाँचा परखा जाता है, यदि यह खरा उतरा तभी इसे मान्यता मिलती है अन्यथा नहीं।

वैज्ञानिक का अर्थ है सही मायने में जिज्ञासु होना। वह सत्य का शोध करता है। विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिवाद या अंधविश्वास की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती। हर व्यक्ति उचित प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धान्तों की सही जाँच कर सकता है। विज्ञान को राष्ट्रीयता के तंग दायरे में भी नहीं बांधा जा सकता। विज्ञान एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाशीलता है। सभी देशों के वैज्ञानिक अपना परम कर्तव्य समझते हैं कि अपने शोध अनुसंधान से एक दूसरे को परिचित कराएं ताकि विज्ञान की प्रगति में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं कि वैज्ञानिक तथ्य अनिवार्य रूप से सदा के लिए निर्दोष तथा पूर्ण हों। वास्तव में नई जानकारी, नए प्रयोगों के फलस्वरूप प्रचलित वैज्ञानिक मान्यताएं दोषपूर्ण साबित हो सकती हैं—तब ऐसी स्थिति में एक सच्चे वैज्ञानिक की हैसियत से वह उन मान्यताओं को त्याग कर नई मान्यताओं को ग्रहण कर लेता है। पूर्वाग्रह से वह सर्वथा मुक्त होता है।

विज्ञान अपनी विचारधारा में पूर्णत: गतिशील है। पुरानी रूढ़ियों से चिपके रहना उसे पसन्द नहीं है। विज्ञान के क्षेत्र में हठधर्मी या अंधविश्वास को सबसे पहले तिलांजलि देनी होती है। प्रचलित मान्यताओं और वैज्ञानिक तथ्यों की दिन-प्रतिदिन नवीन तथ्यों के प्रकाश में छानबीन की जाती है और यदि उनमें दोष पाया गया तो बिना मोह के उन्हें त्याग कर नई मान्यताएं अपना ली जाती हैं। विज्ञान के क्षेत्र में चोटी का वैज्ञानिक भी यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि उसके सिद्धांत को अन्य वैज्ञानिक बिना जांचे-परखे मात्र उसकी विद्वता के बल पर स्वीकार कर लें। कोई भी वैज्ञानिक चाहे वह आइन्स्टाइन हो या रमन, विज्ञान के क्षेत्र में मठाधीश जैसा व्यवहार नहीं कर सकता।

वैज्ञानिक कार्य प्रणाली के प्रमुख आधार स्तम्भ हैं; प्रथम, वस्तुनिष्ठता (आबजेक्टिविटी) जिसमें पूर्वाग्रह, रागद्वेष आदि के लिए कोई स्थान नहीं है, द्वितीय, नये तथ्यों की सतत् खोज जिसके फलस्वरूप वैज्ञानिक स्वयं अपने ज्ञान को शोधित और परिमार्जित करके आगे बढ़ता है। तृतीय माप की परिशुद्धता और चतुर्थ, विश्वसनीयता, अर्थात् कार्य-कारण श्रृखंला के तारतम्य द्वारा घटनाओं का युक्तिसंगत समाधन। इन्हें ही हम वैज्ञानिक अभिरुचि के प्रमुख अभिलक्षण कह सकते हैं।

अत: सार रूप में यह कहा जा सकता है कि विज्ञान लेखकों को यह दायित्व पूरी तरह निबाहना होगा कि वे न केवल विज्ञान की उपलब्धियों का विवरण रोचक और जनसुलभ शैली में प्रस्तुत करें बल्कि इसके साथ ही वे वैज्ञानिक कार्य शैली की झांकी भी प्रस्तुत करें ताकि पाठकगण वैज्ञानिक अभिरुचि के अभिलक्षणों को आत्मसात करके उन्हें अपने जीवन का मूलभूत अंग बना सकें—तभी समाज से अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और धर्मांधता को मिटाया जा सकेगा। ■

सबको हिंदी सीखनी चाहिए, इसके द्वारा भाव-विनिमय से सारे भारत को सुविधा होगी

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

मोतिया बिंद का आधुनिक इलाज

—डॉ. शरद लखोटिया*
एम. बी. बी. एस., एम.एस. सी.ए.एम.एस.

पिछले दो दशकों में मोतिया बिंद के इलाज में अभूतपूर्व विकास हुआ है। पहले जहाँ मोतिया बिंद का आपरेशन तब तक के लिए स्थगित कर देते थे जब तक मोतिया पक नहीं जाता, आज मोतिया बिंद पकने का इन्तजार नहीं करते। पहले की प्रणाली में मोतिया बिंद पकने के बाद एक चिमटे या Cryo probe से मोतिया पूरा का पूरा बाहर निकाल देते थे। आपरेशन के बाद मोटा चश्मा लगता था। इसे Intracapsular Cataract Extraction कहते हैं।

इसके बाद Extra Capsular Cataract Extraction and Introcular lens implantation की तकनीक पहली बार आयी तथा हमने (डॉ. लखोटिया) 1985 में यह तकनीक दिल्ली में शुरु कर दी। इस समय दिल्ली में एक-दो सेन्टर पर ही उसका विकास किया जा रहा था। अभी भी लोगों के मन में भय था कि कोई विदेशी वस्तु आँख कैसे स्वीकारेगी।

इस विधि में कुदरती लैंस की झिल्ली में Lens फिट करते हैं। इससे पहले लैंस के Nuclens को निकाल कर Cortical Matter की सफाई करते हैं।

इसके बाद आई आज की आधुनिक तकनीक Phoco emulsification यानि बिना टांके का आपरेशन। एक छोटे से छेद से आँख के कुदरती लैंस को emulsify करके एक Profe से खींच लिया जाता है। फिर इसी छेद से Introcular Lens फिट कर देते हैं। Vision Quality बहुत अच्छी होती है तथा मरीज तुरंत काम कर जा सकता है। इस पद्धति में Topical anaesthesia & no anaesthesia जैसी पद्धतियों का भी विकास हुआ है। इसमें कोई Injection, Pad तथा Bandage की जरुरत नहीं पड़ती। मरीज तुरंत उठकर आपरेशन Theatre से घर चला जाता है तथा सामान्य कार्य कर सकता है। Phacoemulrification का खर्च 5000 से 25000 रु. तक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस तकनीक तथा सामान का इस्तेमाल हुआ है।

आमतौर पर 5 या 5.5 मि०मी० के छिद्र से आपरेशन कर लैंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। Clear Corneal Temporal Incision में 2.8 मि०मी० से 4 मि०मी० छिद्र से Foldable Lens Implantation संभव है। यह पद्धति सबसे ज्यादा स्थापित है। Foldable लैंस में Acrylic के Square edge Lens आज सबसे कामयाब लैंस माने गये हैं। आमतौर पर मोतियाबिंद के आपरेशन के बाद कुछ समय में एक झिल्ली आ जाती है जिससे रोशनी कम हो जाती है। Yag-laser की किरणों से इसे जला दिया जाता है एवं रोशनी वापस पूरी आ जाती है। लेकिन Yag-laser में कभी कुछ Complications भी हो सकती है जिसमें एक महत्वपूर्ण Complication है Retina Detachment यानि पर्दे का हिल जाना। Square edge Foldable lens की खासियत ये है कि इसमें झिल्ली नहीं बनती, इसलिए Yag-laser की आवश्यकता ही नहीं होती। Acrylic Material का एक फायदा ये भी है कि यह Diabetes के मरीजों में Implant किया जा सकता है। अन्य Popular Material है Silicon जो Diabetes के मरीजों के लिए निषेध है। क्योंकि Diabetes के मरीजों को कभी आँख में Silicon Oil डालने की जरुरत हो सकती है तब Silicon लैंस समस्याएं प्रस्तुत करता है।

आज मोतिया बिंद के आपरेशन में छोटे से छोटे छेद से आपरेशन की विधि विकसित करने का प्रयास हो रहा है इससे Vision Quality एंव Vision Rehabilitation उम्दा एवं तुरंत होते हैं। ऐसी ही एक तकनीक का नाम है PHACONIT इस तकनीक में 0.9 मि०मी० के छेद से मोतिया निकालना संभव हो गया है। हम भारतीयों ने ही इसे विकसित किया तथा इसे विश्व की मान्यता प्राप्त हुई है।

* ई-544, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-48

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर पर्यावरण का प्रभाव

—ए. आर. पाटील*

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं बेहतर पर्यावरण।
जीवन को मिले, सुरक्षित आवरण॥

यह तो अविवादित तथ्य है कि मनुष्य का स्वास्थ्य निस्संदेह उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का वास होता है। स्वस्थ विचारों में रचनात्मकता, तीव्रता और तत्परता होती है और साथ ही कुछ करने की इच्छा ही नहीं क्षमता भी होती है। स्वस्थ शरीर में ही खुशहाल मन रहता है और एक संतुष्ट और खुशहाल मन में ही यह सामर्थ्य होती है कि वह मानव मात्र के लिये सद्भावना रख सके और बिना किसी भेदभाव के स्वयं अपने, अपने परिवार, देश और समाज के विकास के बारे में विचार कर सके। ऐसे हालात में कहा जा सकता है कि मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य न केवल उसके अपने लिए बल्कि उसके परिवार, देश, उद्योग और समाज के विकास के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। स्वस्थ मानव ही सुरक्षित कार्य कर सकता है इसलिये संस्कृत में कहा गया है कि

''शरीरमाध्यम् खलु धर्मसाधनम्।''

स्वास्थ्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर संतुलित होने की अवस्था है। स्वास्थ्य सिर्फ किसी बेमारी के न होने का पर्याय नहीं है। सामान्य: लोग केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही महत्व देते हैं और मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, जो कि सही नहीं है।

शारीरिक स्वास्थ्य :—शारीरिक स्तर पर स्वस्थ रहने के लिये निम्न बातें अनुकरणीय हैं—

1. प्रदूषण रहित पर्यावरण
2. सकारात्मक चिन्तन
3. पूर्ण निद्रा
4. संतुलित आहार
5. नियमित व्यायाम
6. दुर्घटना रहित जीवन या सुरक्षित कार्य

मानसिक स्वास्थ्य :—सेहत का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहने के लिये निम्न बातें जरूरी हैं—

1. उदेश्य प्राप्ति के लिये ईमानदारी से अथक प्रयास करना
2. सामाजिक व पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह
3. अस्वास्थ्य कर आदतों से दूर रहना
4. अपनी गल्तियाँ स्वीकार कर उन्हें सुधारना
5. सकारात्मक दृष्टिकोण

सामाजिक स्वास्थ्य :—सामाजिक स्वास्थ्य के लिये कुछ बातें अति आवश्यक हैं—

1. समाज में शान्ति और प्रेम का वातावरण बनाना
2. परिवार का भरणपोषण एवं विकास हेतु प्रयास करना
3. समाज़ सेवा के द्वारा समाज में व्याप्त बुराईयों एवं कुरीतियों को फैलने से रोकना

व्यावसायिक स्वास्थ्य :—सेल के इस्पात उद्योग में कार्यरत श्रमिकों हेतु यह एक महत्वपूर्ण शर्त है। क्योंकि वह अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने कार्यस्थल पर ही व्यतीत करते हैं। कर्मचारियों का एक दूसरे से संबंध तथा सहकर्मी एवं अधिकारियों के साथ संबंध इसके अन्तर्गत आते हैं। कार्य के प्रति, अनिश्चितता, असुरक्षा की भावना, साथी कर्मचारी से कटु संबंध, भावनात्मक तनाव आदि कुछ कारण हैं, जिसके कारण कार्मिकों का स्वास्थ एवं सुरक्षा दोंनों ही प्रभावित होती है।

*प्रबंधक, भवन एवं संरचना निरीक्षण विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला : दुर्ग (छ.ग.) 490020

सुरक्षा का अर्थ है कारखाने व उद्योग में दुर्घटना या उद्योग जनित बिमारी के फलस्वरूप होने वाले श्रमिक, जानमाल के संकट व आर्थिक नुकसान से बचाव। आज सुरक्षा के प्रति प्रत्येक श्रमिक को व्यावहारिक जीवन में परिवर्तन लाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिये—

1. सुरक्षा अनुशासन नियमों का पालन एवं व्यवहार कुशलता बनाये रखना
2. धैर्य, संयम एवं आपसी तालमेल
3. सकारात्मक सोच
4. कार्य में ही सुरक्षा प्रावधान
5. निर्णय लेने की क्षमता
6. उचित औद्योगिक संबंध-आपसी मत भेदों को भूलाकर एक टीम की तरह कार्य करना ही सुरक्षा का प्रथम व अनिवार्य चरण है।

समय का सृष्टि के साथ तादात्म्य ही जीवन समृद्धि का पैमाना है। मानव पर्यावरण की उपज होती है, अर्थात् मानव जीवन को पर्यावरण की परिस्थितियां व्यापक रूप से प्रभावित करती है। संतुलित पर्यावरण में सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, असंतुलित पर्यावरण में एक या अधिक तत्वों की मात्रा अपने निश्चित अनुपात से बढ़ जाती है, तो वह पर्यावरण प्राणी जगत के लिये घातक बन जाता है। पर्यावरण में होने वाले इस घातक परिवर्तन को ही प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। यही विषैला प्रदूषण जीवन सुरक्षा के लिये घातक बन जाता है।

पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का परस्पर संबंध

पर्यावरण की शुद्धता स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों पर बहुत ही प्रभाव डालती है। मनुष्य की सभी इंद्रियाँ पर्यावरण से शक्तियां प्राप्त करती हैं और संचालित होती हैं। अशक्त पर्यावरण इन्द्रियों को अशक्त बनाता है और अशक्त इन्द्रियाँ ही असुरक्षा का सीधा कारण होती है, जो इस प्रकार है—

इन्द्रियां—ये पाँच होती है :

1. **नाक** — का संबंध गंध से एवं गंध का धरा से होता है।
2. **रसना** — का संबंध स्वाद से तथा रस का वनस्पतियों तथा जल से होता है।
3. **आँख** — का संबंध रूप से एवं रूप का अर्थ प्रकाश से होता है।
4. **त्वचा** — का संबंध स्पर्श से और स्पर्श का वायु से होता है।
5. **शब्द** — का कान से और कान एवं आकाश का संबंध जुड़ा है।

ये सारे के सारे आपस में अर्न्तसंबंधित हैं और यह अर्न्तसंबंध ही पिंड में ब्रह्माण्ड कहा जाता है। ब्रह्मांड व्यापक पर्यावरण का नाम है। स्पष्ट है कि सुरक्षा की भावना का पर्यावरण से सीधा संबंध है। स्वस्थ पर्यावरण में ही मानव स्वस्थ रह सकता है और सुरक्षित कार्य कर सकता है। प्रदूषित वातावरण सभी इन्द्रियों की क्षमता को कम करता है। स्वस्थ इन्द्रियाँ मानव की जागरूकता का परिचायक है।

जागरूकता शत—प्रतिशत,
दुर्घटना शून्य तक,
सुघटना शत प्रतिशत।

उपरोक्त सूत्र प्रदूषित पर्यावरण के कारण परिवर्तित हो जाता है तथा मानव की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक जागरूकता में बहुत कमी आ जाती है, जो कि दुर्घटना का कारण होती है। इस्पात संयंत्र में प्रदूषित पर्यावरण की वजह से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये निम्न खतरे हमेशा ही बने रहते हैं जैसे—

1. उच्चताप भट्टियों के वाष्प और पिघली धातु से जलना एवं आँखों का शीघ्र खराब होना/बचाव हेतु कोबोल्ट ग्लास चश्मे का उपयोग करें।
2. विषैली गैसों एवं धुआं और कुहासा से बचाव हेतु मास्क का उपयोग करें।
3. उच्च वोल्टता बिजली ट्राँसमिशन से दूर रहें, रबर दस्तानों तथा रबर जूतों का उपयोग करें।
4. धूम्र और धूल चिमनियों से ठोस हानिकारक गैसें एवं धूल के महीन कणों से स्वास्थ्य के ऊपर गहरा दुश्प्रभाव होता है। नोज कवर का उपयोग करें।
5. ध्वनि प्रदूषण या शोरगुल से बहरेपन व हायपरटेंशन की शिकायत होती है, जो असुरक्षा का कारण होती है। ईयर प्लग का प्रयोग करें।
6. विषैली गैसों के रिसाव से असुरक्षा या दुर्घटना की सम्भावना।

7. आग से खतरा ज्वलनशील तेल, गैस, वाष्प व पदार्थों में आग का लगना भी पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न करता है। तापरोधी पोषाक का उपयोग करें।

8. इस्पात उद्योग में धातु या स्लैग पानी या नमी से विस्फोट होता है।

9. सुगंधित गैस एवं पदार्थों के कारण होने वाली बिमारियाँ जैसे—सिरदर्द और माईग्रेन, साँस उखड़ने की समस्या, दमा, जुकाम, त्वचारोग, एक्जिमा, उल्टी एवं मितली, सिर चकराना आदि।

सेल द्वारा पर्यावरणीय प्रयास :—

पर्यावरण नीति के तहत सेल ने अपने मातहत कार्यरत इस्पात इकाईयों हेतु एक प्रभावशाली पर्यावरण नीति बनायी है जो इस प्रकार है—

(अ) प्रदूषण एवं इसके वायु-जल एवं भूमि पर पड़ने वाले कुप्रभाव को न्यूनतम रखने के लिये सुदृढ़ पर्यावरण प्रबंधन प्रविधियाँ लागू करना।

(व) पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व एवं संबंधित नियमों का पालन करते हुये अपने प्रचालन को सम्पन्न करना।

(स) ऊर्जा, जल, कच्चा माल एवं अन्य संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा सतत् संरक्षण करना।

(द) व्यर्थ पदार्थों के चक्रीयकरण को बढ़ावा देना।

(ड) कर्मियों एवं व्यवसायिक सहयोगियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाते रहना।

(क) पर्यावरण नीति का प्रचार-प्रसार और सर्वसाधारण के कल्याणार्थ परिणामों की जानकारी उपलब्ध कराना।

भिलाई इस्पात संयंत्र ने पर्यावरण के उच्च मापदण्डों के अन्तर्गत अपनी खान एवं संयंत्र के विभिन्न विभागों में पर्यावरण प्रबंधन पद्धति (आई एस ओ-14001 सर्टिफिकेट) को अपनाया है। जिसके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बिंदुओं में प्रदूषण नियंत्रण की विभिन्न पद्धतियों को अपनाना, अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देना, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं हरितिमा वृक्षारोपण के द्वारा (ग्रीन बेल्ट) पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना आदि विषयों पर अत्यन्त ही प्रभावशाली ढंग से कार्यों को सम्पादित करते हुए पर्यावरण को शुद्ध रखने में एवं शून्य दुर्घटना लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उपसंहार

विगत 30 वर्षों की सेवा अवधि में मैंने जो अनुभव किया है, उससे यह बात स्पष्ट है कि इस्पात एवं लौह उद्योग में स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण तीनों ही अंग बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक कार्मिक की भागीदारी शिक्षा, जागरूकता, प्रशिक्षण व चेतना के द्वारा बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक कार्मिक को चाहिये कि वह स्वयं चेतना से—

1. गैस, तेल, जल के रिसाव को रोकें।
2. मानसिक रूप से धैर्य, दृढ़ संकल्प, सहयोग, समर्पण, टीम भावना से कार्य करें।
3. सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाए।
4. बुरी आदतों को छोड़ें।
5. गुणवत्ता प्रणाली को अपनाएं।
6. पर्यावरण को संयंत्र में, सड़क पर और घरों में भी प्राथमिकता के साथ अपनाएं।
7. वृक्षारोपण करें।

अन्त में अपनी बात महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के कथन को उद्धृत करते हुये समाप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि—

"समस्त तकनीकी प्रयासों की अभिरूचि मनुष्य की स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के हितों में ही होनी चाहिये"

आइये हम सब **"स्वास्थ्य रक्षण के उपाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय"** के सिद्धान्त पर आधारित स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण के व्यावहारिक परिवर्तन को अपनाएं एवं इस्पात श्रमिकों की समृद्धि में सहायक बनें।

"सुरक्षा और स्वास्थ्य पर्यावरण की कुंजी,
बढ़े उम्र जीवन की यही है पूंजी॥"

■

परमाणु औषाध से कैंसर की आधुनिक चिकित्सा

—डॉ. शुभंकर बनर्जी *

यह न केवल गौरव की बात है कि भारत अब सम्पूर्णतया परमाणु शक्ति संपंन राष्ट्र बन चुका है बल्कि चिकित्सा जगत के लिए यह सुखद तथ्य भी है कि भारत ने परमाणु चिकित्सा (न्यूक्लियर मेडिसन) के विकास तथा प्रयोग के क्षेत्र में भी विश्व में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

भारत के प्रमुख नगरों (जैसे दिल्ली, मुम्बई तथा कोच्चि) में 50 से भी ज्यादा चिकित्सा केंद्रों में परमाणु चिकित्सा की नवीनतम तकनीक की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों के कैंसर जैसे खतरनाक रोगों तक की चिकित्सा की जा रही है। विशेष करके गुर्दा रोगों तथा हृदय रोगों का पता परंपरागत जांच विधियों की तुलना में महीनों (यहां तक कि कुछ मामलों में वर्षों) पहले लगाया जा सकता है।

उपर्युक्त केंद्रों में प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं—नई दिल्ली स्थित एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), इनमास (परमाणु चिकित्सा तथा संबंद्ध विज्ञान संस्थान) इन्द्रप्रस्थ अपोलो हस्पताल, सीताराम भारतीय विज्ञान तथा अनुसंधान संस्थान, दीवानचंद सत्यपाल अग्रवाल इमेजिंग रिसर्च सेंटर तथा मुम्बई स्थित टाटा स्मारक अस्पताल आदि।

प्रख्यात परमाणु चिकित्सक डॉ. एम. ए. बेम्बी की इस परिप्रेक्ष्य में राय है कि परमाणु चिकित्सा के अंतर्गत परमाणु से निकलने वाली गामा किरणों की सहायता से रोगों की जांच तथा चिकित्सा ही जा सकती है। उनके कहने के अनुसार गामा किरणों पर आधारित गामा कैमरे की सहायता से सी. टी. तथा एम. आर. आई. जैसी आधुनिकतम जांच तकनीक से पुरानी जांच विधियों की तुलना में कम से कम डेढ़-दो वर्ष हाथ में रहते हुए कैंसर का पता लगाया जा सकता है। साथ ही कैंसर की चरमावस्था पर पहुंच जाने के बावजूद परमाणु चिकित्सा से कैंसर रोगी की चिकित्सा अवश्य की जा सकती है।

सबसे उत्तम उदाहरण है कि परमाणु चिकित्सा पर आधारित थैलियम टेस्ट से हृदय की पूरी कार्यप्रणाली तथा हृदय के सभी भागों में रक्त के बहाव की पूरी जानकारी मिल जाती है। दूसरी ओर परंपरागत एंजियोग्राफी तकनीक से मात्र यह पता चलता है कि किस हृदय रक्त वाहिनी में अवरोध या कोलेस्ट्रॉल का जमाव है।

इस संदर्भ में यह सुझाव भी दिया जाता है कि हृदय की शल्य क्रिया का निर्णय एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के आधार पर करने के बजाय थैलियम टेस्ट के आधार पर करना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि जब एंजियोग्राफी द्वारा रक्त वाहिनियों में अवरोध का पता लगने के बावजूद थैलियम टेस्ट सामान्य हो सकता है तथा ऐसी परिस्थिति में शल्य क्रिया करवाने की कतई अनिवार्यता नहीं होती है तब दवाइयों के समुचित प्रयोग से ही रोग की चिकित्सा हो सकती है।

इतना ही नहीं, गामा किरणों पर आधारित डी.टी. पी. ए. टेस्ट से पांच मिनट के भीतर दोनों गुर्दों की कार्यप्रणाली तथा उसमें आई किसी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा गामा किरणों से पूरे शरीर की अस्थियों का स्कैन करके अस्थियों के किसी भी भाग के कैंसर का पता लगाया जा सकता है। यहां तक की अत्यधिक प्रारंभिक अवस्था में भी यह जानकारी ली जा सकती है।

उपर्युक्त मामलों में इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में एम. डी. पी. नामक दवाई दी जाती है। उल्लेखनीय है कि इस दवा में फॉस्फेट होता है जो अस्थियों में चिपक जाता है।

इस प्रकार से इंजेक्शन के मात्र तीन घंटे बाद ही स्कैन करने पर अस्थियों की सामान्य संरचना में आई मामूली सी हल्की चोट का भी पता चल सकता है। अत: इस विधि से दूसरी परंपरागत जांच विधियों की तुलना में दो वर्ष पहले ही अस्थियों के कैंसर का पता चल जाता है। इसी तरह से अस्थि कैंसर से पीड़ित रोगियों की शत-प्रतिशत चिकित्सा तक संभव है।

यहां यह बात भी आवश्यक है कि किसी भी अंग के कैंसर की शल्य क्रिया से पहले गामा कैमरे से यह पता भी

*जी-30, ढक्का कालोनी, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-9

लगा लिया जाता है कि कैंसर का फैलाव कहीं अस्थियों तक तो नहीं हो गया। इस प्रकार से यदि कैंसर अस्थियों तक पहुंच चुका हो तो शल्य क्रिया करना घातक सिद्ध होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में परमाणु चिकित्सा से संबंधित दवाओं से ही चिकित्सा की जाती है।

कैंसर के अस्थियों तक फैल जाने की परिस्थिति में इंजेक्शन के द्वारा स्ट्रांसियम 89 नामक दवा ही जाती है।

इस इंजेक्शन से रोगी को 8 से 10 माह तक दर्द से आराम मिल जाता है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार पुनः इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। यह दवा सामान्य कोशिकाओं को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाती है। कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं के चारों ओर यह दवा बैठ जाती है। अतः कैंसर और अधिक बढ़ नहीं पाता है। फलस्वरूप रोगी को काफी हद तक दर्द से आराम मिल जाता है।

दरअसल मानव देह में कैंसर की शुरुआत किसी भी अंग से हो सकती है। यदि आरंभिक अवस्था में उपचार नहीं किया गया तो यही कैंसर अस्थियों तक फैल जाने की आशंका बन जाती है।

फिलहाल गामा कैमरे से अस्थियों के कैंसर की जांच तथा परमाणु–चिकित्सा की सुविधा दिल्ली तथा मुंबई जैसे महानगरों में उपलब्ध है। सबसे अहम बात यह है कि इस प्रकार की नवीनतम तकनीक से समय रहते कैंसर रोग की पहचान हो जाने के कारण चिकित्सा की नीति अपनाने में भी कैंसर विशेषज्ञों को सहायता मिल जाती है। ■

"एकं सद्विपा बहुधा वदन्ति,
एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्त"

—ऋग्वेद

एक ही परमेश्वर है, कोई उसके जैसा दूसरा नहीं।
एक ही का विप्र लोग, बहुत से नामों से वर्णन करते हैं।
वह है एक ही, किंतु उसकी बहुत प्रकार से कल्पना करते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी का देश के विकास में योगदान

—रमेश चन्द गुप्त*

सूचनाओं का शीघ्र आदान-प्रदान राष्ट्र के विकास का आधार होता है। सूचना प्रौद्योगिकी का राष्ट्र के विकास में अति-विशिष्ट स्थान है गत वर्ष 2001-2002 के आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी का कुल योगदान 2 प्रतिशत रहा है जो कि वर्ष 2008 तक 7.7 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2000-2001 में कुल निर्यात 44 बिलियन डालर का किया गया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत की रही, जिसे वर्ष 2008 तक 35 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने समाज की इस विकास प्रक्रिया की गति को तेज कर दिया है।

यदि हम सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि यह मानव जीवन एवं देश के विकास के प्रत्येक पहलू जैसे—शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक आदि सभी क्षेत्रों के विकास का आधार है। इस प्रकार समाज के सर्वांगीण विकास प्रक्रिया की सफलता का आधार सूचना प्रौद्योगिकी ही है।

आज के समाज को सूचना समाज कहा जाता है। सूचना महामार्ग (सुपर हाइवे) के जरिए आम नागरिकों को एक दूसरे से जोड़ने का काम होता है। समाज का प्रत्येक नागरिक विश्व सूचना तक पहुंच सकता है। एक आम नागरिक इंटरनेट और ई-मेल के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ से सम्पर्क स्थापित कर उसके ज्ञान का उपयोग कर सकता है।

सूचना आदान-प्रदान का मुख्य साधन संचार है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व को सिमटाकर इतना छोटा कर दिया है कि आज हम घर के एक छोटे से कमरे में बैठकर सिर्फ बटन दबाकर सम्पूर्ण विश्व की सैर आँखों और कानों के माध्यम कर सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख साधन—देश के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी के जिन प्रमुख माध्यमों/साधनों का विशेष योगदान है, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं :—

इंटरनेट—वास्तव में इंटरनेट सूचनाओं का समुद्र है और यह नेटवर्कों का नेटवर्क है। यह दुनिया भर के विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटरों को मोडम के जरिए एक दूसरे से जोड़ता है। इसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र की सूचनाओं का आदान-प्रदान ई-मेल के द्वारा कुछ ही सेकण्ड में ग्लोब के एक छोर से दूसरे छोर तक किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सर्च इंजन, टेलीफोनी, मल्टीमीडिया एवं एफ.टी.पी. आदि माध्यमों/साधनों का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट के प्रयोग से संवाद और संचार की लागत काफी घट गई है जिससे उद्योगों के कामकाज में तेजी आयी है इसका असर उनकी कार्यकुशलता और मुनाफे पर पड़ता है, जिससे समाज में समृद्धि आयी है।

ई. कामर्स—किसी प्रकार के व्यवसाय को संचालित करने के लिए इंटरनेट पर की जाने वाले क्रय-विक्रय को ई-कामर्स कहते हैं। इसमें बिजनेस-टू-बिजनेस, बिजनेस-टू-कंज्यूमर और कंज्यूमर-टू-कंज्यूमर प्रमुख है। नेशनल एसोसिएशन आफ सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विसेज कंपनीज (नैसकाम) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2003 के अंत तक ई-कामर्स का कारोबार लगभग 15000 करोड़ रुपयों का रहा।

टेलीमेडिसिन—सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। इसकी सहायता से रोगियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। भारत में प्रमुख रूप से पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (चंडीगढ़), आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (दिल्ली) और एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस. (लखनऊ) आपस में जुड़े हुए हैं।

***तकनीकी सहायक (पुस्तकालय), केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की उत्तरांचल**

बैंडविड्थ—इंटरनेट के अधिकांश उपभोक्ता जानते हैं कि विभिन्न वेबसाइटों से सम्पर्क साधने में कितना अधिक समय लग जाता है और फ़ाइल डाउनलोड करने में तो कई बार बेहद उबाऊ प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि पर्याप्त बैडविड्थ उपलब्ध हो तो यह सब कुछ पलक झपकते ही किया जा सकता है। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे की बैडविड्थ मात्र 325 एम.बी.पी.एस. है जबकि नैस्काम द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आवश्यकता कम से कम 5 जी.बी.पी.एस. की है। अनुमान है कि वर्ष 2005 तक 300 जी.बी.पी.एस. की आवश्यकता होगी। इस प्रकार इसमें रोजगार की अपार सम्भावनाएं है परन्तु यह तभी सम्भव है जब सरकार आवश्यक बैंडविड्थ उपलब्ध करवाकर अनुकूल दशाएं तैयार करें। नैस्काम का सुझाव है कि सरकार को 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान करना चाहिए।

इंटीग्रेटेड सर्विज डिजिटल नेटवर्क (आई.एस. डी.एन.)—इस सेवा के द्वारा ध्वनि, आंकड़ों एवं चित्रों या इनमें से किन्हीं दो को एक साथ एक ही टेलीफ़ोन लाइन पर तीव्र गति से संप्रेषित किया जा सकता है। इस सेवा में सबसे बड़ा लाभ यह है कि आम फोन पर आप एक समय में एक ही बार संदेश का आदान-प्रदान कर सकते हैं। जबकि इसमें आप एक ही समय एक साथ दो भिन्न संदेशों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, चाहे वह ध्वनि के रूप में हो या फिर आंकड़ों या चित्रों के रूप में। इस प्रणाली में एक विशिष्ट टेलीफोन उपकरण, जिसमें छोटी सी स्क्रीन लगी होती है, में आंकड़े या चित्र दिखाई देने के कारण आम टेलीफोन में जो बातें होती हैं उसकी तुलना में इस उपकरण में आसानी से और शीघ्र ही कहने वाले की बात समझ आ जाती है। इससे समय की काफी बचत होती है। इस विशेष टेलीफोन उपकरण को आई.एस.डी.एन. फीचर फोन कहते हैं। टेली कान्फ्रेंसिंग इसी माध्यम से की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार की संभावनाएं—भारतीय साफ्टवेयर कंपनियों के एसोसिएशन नैस्काम के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2003-2004 में 1.5 लाख लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कम्पनियों में नौकरी प्राप्त होगी। दूरसंचार की बड़ी कम्पनी भारती ने दिसम्बर 2002 तक 3000 नए लोगों को नौकरी पर रखा। इनका औसत वेतन रुपये 15000 से 30000 तक है।

साफ्टवेयर निर्यात—नैस्काम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000-2001 के अंत तक कुल व्यवसाय 8.3 बिलियन डालर का था जिसमें से 6.2 बिलियन डालर का साफ्टवेयर निर्यात किया गया। वर्ष 2008 तक 50 बिलियन डालर का लक्ष्य रखा गया है।

अर्थ व्यवस्था का विकास—सूचना प्रौद्योगिकी ने एक नई व्यापक औद्योगिक गतिविधि को जन्म दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी तमाम औद्योगिक प्रक्रियाओं की उत्पादकता, क्षमता और विश्वसनीयता को बढ़ा देती है। इसका परिणाम अधिक सृजनात्मक और समाज के लिए अधिक धन उत्पादन के रूप में सामने आता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा—साफ्टवेयर निर्यात, ई-कामर्स, टेलीबैंकिंग आदि सेवाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व के किसी भी चिकित्सक, अध्यापक के अनुभवों को उपयोग में लाया जा सकता है।

सामाजिक परिवर्तन—सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को सूचना प्रौद्योगिकी ने अनेक नई अवधारणाओं से जोड़ा है। घर बैठे टेलीविजन और कम्प्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से मनोरंजन और आमोद-प्रमोद सम्भव हो गया है। मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल वीडियो, सराउण्ड साउण्ड, डिजिटल आडियो, 3 डी ग्राफिक्स और ऐसे ही अन्य प्रौद्योगिकीय चमत्कार शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं। अब घर पर ही बैठकर ख़रीदारी, टेलीबैंकिंग और वीडियों कांफ्रेस कर सकते हैं।

निष्कर्ष—सूचना प्रौद्योगिकी ने सम्पूर्ण विश्व को एक ग्राम में परिवर्तित कर दिया है, जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भारी उत्थान हुआ है। यद्यपि इस विकास प्रक्रिया की अपनी सीमाएं भी हैं, जैसे—साइबर स्पेस ने साइबर अपराध, व्यक्तिगत सुरक्षा, आदि को दांव पर लगा दिया है, साफ्टवेयर चोरीं, हैकिंग, बौद्धिक सम्पदा और पेटेण्ट अधिकारों का उल्लंघन तथा मानव मस्तिष्क की ऐसी ही अन्य बुराइयों से निपटने की नई चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। इन उद्देश्यों के लिए कुछ साइबर कानून भी बनाये गये हैं। भारत सरकार ने भी वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाकर महत्वपूर्ण कार्य किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी विश्व समुदाय एवं समाज का हर हालत में बौद्धिक, सामाजिक रूप से गत्यामक, रचनात्मक, स्वस्थ, प्रसन्न, शान्तिप्रिय एवं सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान कर रही है।

इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी तमाम भौगोलिक सीमाओं, भौतिक रेखाओं को समाप्त कर समाज के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

संदर्भ ग्रंथ

1. कंप्यूटर संचार सूचना—संवाद परिक्रमा : नई दिल्ली, वर्ष 7 अंक 6, सितंबर, 2003.

2. भारत 2002 : एक संदर्भ ग्रंथ—भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2002

3. मनोरमा इयर बुक 2002—मलयाला : कोट्टयम, 2002

4. विज्ञान प्रगति—राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान, सी.एस.आई.आर., नई दिल्ली : वर्ष 49, अंक 12, 2000.

अपनी भाषा अपना देश
देते गौरव का संदेश

अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल

—डॉ० वीरेन्द्र कुमार सिंह*

अरूणाचल प्रदेश में अनेक ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल हैं जो इसकी प्राचीन गौरवशाली संस्कृति को उद्घाटित करते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों के अनुसंधानों द्वारा स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्राचीनकाल में अरुणाचल का शेष भारत से गहरा सांस्कृतिक संबंध था। प्राकृतिक और भौगोलिक कारणों से यह सांस्कृतिक संबंध कालांतर में क्षीण हो गया लेकिन एकता की भावना अंत: सलिला की भांति प्रवाहमान रही। पुरातत्ववेत्ताओं ने अनेक पौराणिक किलों, मंदिरों और महलों के ध्वंसावशेषों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि यह सांस्कृतिक संबंध हजारों वर्षों पुराना है।

ईटाफोर्ट : अरूणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है जो पापुम पारे जिले में स्थित है। ईटानगर का नामकरण यहां पाए जाने वाले ईटा फोर्ट के नाम पर किया गया है। यहां पर एक ईंटों से निर्मित किले का ध्वंसावशेष है। इस किले के गर्भ में अनेक ऐतिहासिक तथ्य छिपे हुए हैं लेकिन उनका संपूर्ण रूप से अभी तक उद्घाटन नहीं हो सका है। यह किला किस सदी में और किसके द्वारा बनवाया गया है, इस संबंध में इतिहासकारों में मतभिन्नता है। इसके संबंध में स्थानीय लोक-साहित्य में अनेक आख्यान मिलते हैं। निशि जनजाति के आख्यान के अनुसार यह 'हिता' नाम से विख्यात था। ऐसी भी मान्यता है कि इसका निर्माण मैदानी क्षेत्र के किसी आप्रवासी राजा ने करवाया था। यह उस राजा की राजधानी थी। इसे मायापुरी भी कहा जाता था। एक दूसरी कथा के अनुसार यह राजा रामचंद्र की दूसरी राजधानी थी। राजा रामचंद्र जितारी वंश के शासक अरिमत्त के पिताजी थे। अरिमत्त ने अपने पिताजी की हत्या कर दी थी और बाद में स्वयं आत्महत्या कर ली थी। कुछ इतिहासकार इसका निर्माण काल सत्रहवीं सदी बताते हैं।

मालिनी थान : मालिनी थान मंदिर अरुणाचल के पश्चिम सियांग जिले में लीकाबाली के निकट स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण काल संभवत: दसवीं से बारहवीं सदी के बीच है। ''कालिका पुराण से ज्ञात होता है कि कामरूप कामाख्या के पूरब में एक पीठस्थान था। बाद में मालिनी थान के रूप में उस पीठस्थल की पहचान की गई। स्थानीय लोक साहित्य के अनुसार मालिनी थान का संबंध भगवान श्रीकृष्ण और रूक्मिणी से है। रूक्मिणी कुंडिलनगर अथवा भीष्मकनगर की राजकुमारी थी। रूक्मिणी का भगवान श्रीकृष्ण से प्रेम हो गया और उसने श्रीकृष्ण से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इसलिए भगवान श्रीकृष्ण राजा भीष्मक की राजधानी कुंडिलनगर आए और राजकुमारी रूक्मिणी का अपहरण कर द्वारिका लौट गए। रास्ते में भगवान श्रीकृष्ण और रूक्मिणी ने एक स्थान पर विश्राम किया, जहां पर महादेव और पार्वती अपने साथियों के साथ तपस्या कर रहे थे। पार्वती ने नवदंपती को देखकर आशीर्वादस्वरूप रूक्मिणी को फूलों की माला पहनाई। फूलों की माला पहनाने के कारण श्रीकृष्ण ने पार्वती को ''मालिनी'' के नाम से संबोधित किया। इसके बाद से यह स्थान मालिनीथान (मालिनी स्थान) के नाम से विख्यात हुआ। इस क्षेत्र के निवासी दशभुजा महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के रूप में पार्वती की पूजा करते हैं। खुदाई के द्वारा इस स्थान में विभिन्न मुद्राओं में अनेक हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दुर्गा, सूर्य, इंद्र, कार्तिक, गणेश, नंदी, सिंह, हाथी इत्यादि मूर्तिया शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन मूर्तियों से यह पता चलता है कि इस क्षेत्र का हिंदू संस्कृति से गहरा संबंध है। सूर्य, कार्तिक और नंदी बैल की नृत्यरत मूर्तियां मूर्ति कला के उत्तम उदाहरण हैं।

ताम्रेश्वरी मंदिर—यह मंदिर लोहित जिले में स्थित

* हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, पटना, जी.पी.ओ. पटना-800001

है। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि यह मंदिर तांबे से बना हुआ था। इसलिए इसे ताम्रेश्वरी मंदिर (कॉपर टेम्पुल) कहा गया। इसे तामर माई भी कहा जाता है। इस मंदिर के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इससे संबद्ध लोककथाओं के आधार पर इतिहासकारों ने अलग-अलग मत व्यक्त किए हैं। कुछ इतिहासकारों का अभिमत है कि इसका निर्माण छठी शताब्दी में चतिया वंश की शासनावधि में हुआ था। कुछ अन्य इतिहासवेत्ताओं की मान्यता है कि इसका निर्माण राजा भीष्मक ने अपने शासन काल में कराया था। कुंडिलनगर राजा भीष्मक की राजधानी थी। राजा भीष्मक की पुत्री राजकुमारी रूक्मिणी प्रतिदिन इस मंदिर में पूजा करने जाती थी। राजा भीष्मक अपनी पुत्री की शादी शिशुपाल से करना चाहते थे लेकिन वह भगवान श्रीकृष्ण से प्रेम करती थी। उसने कृष्ण को अपना प्रेम संदेश भेजा। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने इसी मंदिर से रूक्मिणी का अपहरण किया था।

ब्रिटिश अधिकारी ई.ए. रॉलेट की रिपोर्ट के अनुसार 1820 ई. तक प्रत्येक वर्ष यहां पर एक विशाल मेला लगता था, जिसमें दो पुरुषों की बलि दी जाती थी। लोगों की भारी भीड़ एकत्रित होती थी और माता की जय-जयकार करती थी। मनुष्यों की बलि पाकर देवी संतुष्ट होती थी। उपस्थित जनसमुदाय ढोल-नगाड़े बजाकर और गीत गाकर देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करता था।

भारतवर्ष में दो ही मंदिरों में योनि-पूजा का विधान है। ये दोनों मंदिर पूर्वोत्तर भारत में ही स्थित हैं। पहला गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर और दूसरा अरुणाचल का ताम्रेश्वरी मंदिर। इन दोनों में मां पार्वती की आराधना की जाती है। ऐसा लगता है कि दोनों मंदिरों में निकट का संबंध है। इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। एक बार पार्वती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। राजा दक्ष भगवान शंकर को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। एक दिन महर्षि नारद उनके घर आए और यज्ञ में जाने के लिए प्रेरित किया। भगवान शंकर के मना करने के बावजूद पार्वती जी अपने पिता के घर यज्ञ में शामिल होने के लिए जाने का हठ करने लगीं। अंततः भगवान शंकर ने बेमन से पार्वती जी को जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अपने पिता के घर में पार्वती जी को अपमानित होना पड़ा। वे इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं और यज्ञ-कुंड में कूद गईं। इस घटना से भगवान शंकर को अत्यधिक क्लेश हुआ। वे अपनी पत्नी पार्वती की लाश को अपने कंधे पर लादकर घूमने लगे। यह उनके दुख और क्रोध का चरम बिन्दु था। भगवान विष्णु भी उनके मार्मिक दु:ख को महसूस करते थे लेकिन महादेव को रोकना भी जरूरी था। इसलिए वे अपने चक्र से सती के शरीर को काटने लगे। शंकर सती को लेकर घूमते रहे और सती का शरीर कट-कटकर भूमि पर गिरता रहा। सती के शरीर का मध्यभाग गुवाहाटी में गिरा जहां कामाख्या नामक शक्तिपीठ बनी। ऐसा विश्वास है कि सती के शरीर के मध्य भाग का कुछ हिस्सा कुंडिलनगर के निकट भी गिरा होगा। इसीलिए कामाख्या मंदिर और ताम्रेश्वरी मंदिर दोनों में योनि-पूजा का विधान है और दोनों मंदिरों की पूजा-विधियों में बहुत साम्य है।

भीष्मकनगर : दिबांग वैली जिले में स्थित भीष्मक नगर का किला पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। खुदाई के बाद यहां पर ईटों से निर्मित महल का पता चला है। आस-पास की ईदु मिश्मी जनजाति में इस स्थल से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह राजा भीष्मक की राजधानी था। ईदु मिश्मी लोगों की मान्यता है कि वे राजा भीष्मक की संतान है। रोईंग से लेकर तेजू तक के विशाल क्षेत्रों की जहां-तहां खुदाई करने पर तरह-तरह की मिट्टी के पात्र, जैसे हंडिया, मटकी आदि टूटे-फूटे रूप में पाए गए हैं। ये सभी बर्तन चाक पर बनाए गए हैं। इसके संबंध में पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि चाक पर मिट्टी के बर्तन की यह कला गंगाघाटी की है जिसे उस काल में यहां की ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों को सिखाया गया। इसी प्रकार के कुछ मिट्टी के पात्र गोहाटी के अंबारी नामक स्थान पर भी पाए गए हैं जिन्हें दसवीं शताब्दी का बताया गया है। इन मिट्टी के पात्रों ने भीष्मकनगर के किले के कालनिर्धारण में यथेष्ट मदद पहुंचाई है। अब यह निश्चित हो गया है कि यह किला दसवीं शताब्दी के आस पास बना।

परशुराम कुंड : लोहित जिले का परशुराम कुंड भारत का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यह एक पौराणिक स्थान है और भगवान परशुराम से संबंधित है। परशुराम ने अपने पिता जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मां की हत्या कर दी थी। इससे उनके पिता जमदग्नि ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर दो वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम ने पहला वरदान मांगा कि मेरी मां जीवित हो जाए और दूसरा वरदान मांगा कि मुझे मातृहत्या के पाप से मुक्ति मिल जाए। जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी और परशुराम की माता रेणुका को जीवित कर दिया और परशुराम को मातृहत्या के पाप से मुक्ति पाने का उपाय भी बताया। उन्होंने परशुराम को यह निर्देश दिया कि

आर्यावर्त के उत्तर-पूर्व में घने वनों के बीच ब्रह्माजी द्वारा निर्मित एक कुंड है। उस पावन कुंड में स्नान करने से तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अपने पिता के निर्देशानुसार परशुराम ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। महीनों की लंबी यात्रा के बाद वह उस कुंड के निकट पहुंचे और उसमें डुबकी लगाई। कुंड में स्नान करने से उनका पाप नष्ट हो गया, लेकिन कुंड का जल लाल (लोहित) हो गया। ब्रह्मकुंड के अपवित्र हो गए जल को पवित्र करने के उद्देश्य से परशुराम ने कुंड के आस-पास की चट्टान को अपने परशु से काट दिया और उसके जल को बहने के लिए मार्ग बना दिया। ब्रह्मकुंड से बहने वाली जलधारा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह कुंड परशुराम कुड के नाम से विख्यात हुआ। ऐसी मान्यता है कि परशुराम कुंड के आस-पास की मिश्मी जनजाति परशुराम के वंशज हैं।

प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन यहां पर मेला लगता है और देश भर से हिंदू तीर्थयात्री इस पावन कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं।

भालुकपोंग : ईस्ट कामेंग जिले में अवस्थित भालुकपोंग किले का ध्वंसावशेष इतिहासज्ञों और पुरातत्ववेताओं के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। तीन सौ फीट की ऊंचाई पर स्थित इस किले के निर्माण-काल के विषय में आज भी निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। इस किले को किसने निर्मित करवाया था, यह भी अनुमानाश्रित है। यह तीन ओर से ईंटों की दीवार से घिरा हुआ है। इस किले के बगल में आका जनजाति के लोग निवास करते हैं। आका जनजाति के पौराणिक आख्यानों के अनुसार यह किसी जनजातीय राजा की राजधानी थी। एक दूसरे आख्यान के अनुसार यह राजा भालुक की राजधानी थी। राजा भालुक को आका लोग अपना पूर्वज मानते हैं। राजा भालुक बनराजा के पुत्र थे जिसे श्रीकृष्ण ने युद्ध में परास्त किया था। असम में स्थित तेजपुर नामक स्थान भी बनराजा से संबंधित है। राजा भालुक की शासनवधि सातवीं से दसवीं शताब्दी के बीच मानी जाती है।

नक्शपर्वत : पूर्वी कामेंग जिले के सिजोसा अंचल में स्थित नक्शंपर्वत बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। खुदाई के दौरान यहां टूटे स्तंभ, गुरिया, मिट्टी के बर्तन और कांच के हरे और नीले टुकड़े प्राप्त हुए हैं। पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया है कि मध्य काल में यहां पर समृद्ध बौद्ध स्थल रहा होगा।

विजयनगर : अरुणाचल के चांगलांग जिले में स्थित विजयनगर में खुदाई के दौरान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहां पर ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप और भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। इस बौद्ध स्तूप में जिन ईंटों का उपयोग हुआ है वे अनेक आकार-प्रकार की हैं। ऐसा माना जाता है कि 10वीं-11वीं सदी में वर्मा में पाए जानेवाले स्तूपों से इसकी काफी समानता है।'' 1971 में पुरातत्ववेत्ताओं ने इस स्थान की खुदाई की और खुदाई में एक स्तूप पाया गया। यह स्तूप अष्टभुजीय चबूतरे पर बना भग्नावशेष अवस्था में था। इस अष्टभुजी या चबूतरे की प्रत्येक भुजा लगभग 2.44 मीटर है। इस चबूतरे के मध्य में बने टूटे-फूटे स्तूप को देखने से अनुमान लगाया जाता है कि स्तूप अपनी वास्तविक स्थिति में लगभग आठ मीटर ऊंचा रहा होगा। इस स्तूप के क्षेत्र में चारों तरफ सैकड़ों मृत व्यक्तियों के दफनाए जाने के निशान (मिट्टी का टिला) पाए गए हैं। इनके आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं का यह निष्कर्ष है कि अठारहवीं शताब्दी के मध्य इस घाटी में सिंगफो और खाम्ती जैसे विकसित बौद्ध लोग रहते थे।

तवांग बौद्ध मठ : तवांग जिले के गोम्पा बौद्ध मतावलंबियों (महायान शाखा) की आध्यात्मिक आस्था का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण केंद्र है। इसे एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध गोम्पा माना जाता है। यह लगभग 350 वर्ष पुराना है। समुद्र तल से इस गोम्पा की ऊंचाई दस हजार फीट है। यहां पर 500 लामाओं के ठहरने की व्यवस्था है। यह भारत का अपने तरह का सबसे बड़ा बौद्ध गोम्पा है। इसके आस-पास मोम्पा और शेरदुक्पेन जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह गोम्पा इन बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का सबसे बड़ा केन्द्र है। यह तवांग घाटी में बर्फीली पर्वत चोटियों से घिरा हुआ और हरित वनों के मध्य में स्थित है। इसकी स्थापना ''मेरा लामा'' ने सत्रहवीं शताब्दी में कराई थी। इस किलेनुमा गोम्पा में पुस्तकालय भी है, जिसमें दुर्लभ पुस्तकें और प्राचीन अभिलेख सुरक्षित हैं। तिब्बत के पाचवें दलाई लामा के काल में मेरा लामा हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गोम्पा के शिलान्यास के समय मेरा लामा ने तामदिंग (घोड़ों के भगवान) के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया था। उस समय से यह क्षेत्र तवांग (ता = घोड़ा) के नाम से विख्यात हुआ। तवांग नाम की उत्पत्ति के संबंध में अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार मेरा लामा अपने घोड़े पर सवार होकर आए और इस जगह पर आकर उन्होंने अपना घोड़ा रोक दिया ओर घोड़ा रोककर लोगों को आशीर्वाद दिया। (ता = घोड़ा, बोंग = आशीर्वाद)। एक दूसरे आख्यान के अनुसार बौद्ध मठ के लिए मेरा लामा जगह का चुनाव नहीं कर पा रहे थे। एक दिन उनका घोड़ा इस स्थान पर आकर रुक गया और इस प्रकार बौद्ध गोम्पा के लिए स्थान के चयन की अनिश्चितता दूर हो गई। (ता = घोड़ा, वांग = चुनना)। अरुणाचल की बौद्ध मतावलंबी जनजातियों के लिए तवांग गोम्पा धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र है। □

गुणता-नीति निर्माण में साझेदार ग्राहक

—संजीव कुमार चौधरी *

वर्तमान व्यावसायिक तथा औद्योगिक परिदृश्य

पिछला दशक विश्वभर में व्यावसायिक परिदृश्य और नीतियों में बदलाव का साक्षी रहा है। वर्तमान में भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था उदार हो रही है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में प्रवेश कर चुकी हैं। वस्तुओं के आयात पर सरकारी विनियमों, कोटा, परमिट तथा कड़े अवरोधों की रक्षात्मक छतरी धीरे-धीरे हट रही है। बाजार अधिकाधिक प्रतिस्पर्धी और ग्राहक द्वारा संचालित होता जा रहा है। भविष्य में निर्माता नहीं केवल ग्राहक ही गुणता को परिभाषित करेगा।

नई आर्थिक परिस्थितियों में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भारतीय व्यावसायिक गृहों को अपनी मानसिक सोच में परिवर्तन करना होगा।

वैश्वीकरण

पिछले दशकों के दौरान जापान, संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोपीय देशों की आर्थिक वृद्धि और दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा ताइवान की सफलता की कहानियों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में लोगों की अभिरुचि जागृत की है।

वैश्वीकरण का अभिप्राय: अनिवार्यत: वस्तुओं, सेवाओं, श्रम तथा पूंजी का सरकार द्वारा आरोपित किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों के बिना पूरे विश्व में मुक्त प्रवाह है। वैश्वीकरण बाजार, उत्पाद डिजाइन, उद्यमशीलता और इन सबसे ऊपर गुणता की बदली हुई अवधारणा को अपरिहार्य बना देगा।

बाजार

भूमंडलीकृत बाजार से अभिप्राय विश्व के सभी निर्माताओं की भौतिक (कोटा) अथवा वित्तीय अवरोधों अथवा अन्य सरकारी प्रतिबंधों के बिना बाजार तक अबाध पहुंच है। इसके परिणामस्वरूप भूमंडलीय उपभोक्ता क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरोकारों से प्रभावित हुए बिना उत्पादों तथा सेवाओं की उच्च गुणता और अपने पैसे के अधिक मूल्य की मांग करेंगे।

इस बाजार की अर्थव्यवस्था के आदर्श उदाहरण यात्री कार, विमानन, बैंकिंग सेवाएँ, उपभोक्ता के लिए इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएँ यथा टीवी, फ्रिज, स्टीरियो, माइक्रोबेव ओवन आदि, प्रसाधन सामग्री, तैयार परिधान तथा पेय पदार्थ जैसे क्षेत्र हैं।

उत्पाद

भूमंडलीय मानकीकृत उत्पादों का विपणन उनके विशिष्ट क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए, जैसे भारत की विशिष्ट स्थितियाँ, बिजली की वोल्टेज के उतार-चढ़ाव, वातावरण की नमी, मौसम की विविधता और अन्य परिवर्तनशील स्थितियों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण-विपणन करना आवश्यक है।

संसाधन

भूमंडलीकरण प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण अभिलक्षण **गुणता वाली कच्ची सामग्री, सस्ती दरों पर वित्त** की **उपलब्धता** तथा **आधुनिकतम प्रौद्योगिकी** है।

प्रबंध/उद्यम

तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त प्रबंधन कार्मिकों/उद्यमियों के अबाध संचारण के परिणामस्वरूप विश्व में देशों के बीच विलय, अपने अधिकार में लेना और संरचनात्मक पुन: समूहन होगा, जैसे अलग-अलग व्यवसाय गृह किसी एक ही विशिष्ट क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहते हैं।

गुणता की अवधारणा

गुणता की औपचारिक परिभाषा "**किसी ऐसे उत्पाद अथवा सेवा के लक्षणों और अभिलक्षणों की संपूर्णता है,** जो **कथित** और **निहित आवश्यकताओं** को संतुष्ट करने की **क्षमता** रखते हैं।"

वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए उपर्युक्त परिभाषा में निम्न प्रकार से **संशोधन** करना आवश्यक है :

***उप महानिदेशक (मध्य), भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2**

"उस उत्पाद अथवा सेवा के लक्षण तथा अभिलक्षणों की संपूर्णता, जो अपने ग्राहकों को मानसिक संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता रखता है"।

गुणता के **गुरूओं** ने इसे और अधिक **संक्षिप्त,** अधिक **सुस्पष्ट, साभिप्राय** विवरण सहित परिभाषित किया गया है:

—उपयोग के लिए उपयुक्तता (जुरान)

—विशिष्टि से अनुरूपता (ग्रोसवी)

—समाज के लिए दीर्घकालीन लाभ (तागुची)

इन परिभाषाओं को संपूरक के रूप में देखा जाना चाहिए, जो परिभाषाकार के अनुभव का आधार व ग्राहक को जैसा वह समझता है, इसे प्रतिबिंबित करती हैं।

ग्राहक, निर्माता और सेवा कार्मिकों के दृष्टिकोण से गुणता के **आठ आयम** हैं :

—लक्षण (फीचर)

— सौन्दर्यबोध

—अनुभवगम्य गुणता

—अनुरूपता

—कार्यकारिता

—टिकाऊपन

—उत्पाद की कठिनाई रहित दीर्घकालीन कार्यकारिता का आश्वासन

—बेहतर आफ्टर-सेल सर्विस

गुणता को समझने में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि यह ग्राहक चालित है। ग्राहक से आरंभ होकर यह ग्राहक पर ही समाप्त होती है। ग्राहक ही इसका अन्तिम निर्णायक है।

तथापि, ग्राहक हमेशा उस उत्पाद के उन लक्षणों पर विचार नहीं कर सकता जो उसे प्रसन्न करते हैं । यह उत्पाद अथवा सेवा के सर्जकों पर है कि वे गुणता के उस आयाम पर विचार करें जो ग्राहकों को प्रसन्न करे। ग्राहक से मिली फीडबैक की प्रक्रिया सतत् होनी चहिए ताकि डिजाइन नये विचारों और नवीन तकनीकों के अनुकूल हों।

गुणता के आधुनिक दृष्टिकोण में यह भी निहित है कि उत्पाद में ग्राहकों की उन अपेक्षाओं का होना ही पर्याप्त नहीं है जो ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करती हैं अपितु वे उसकी अपेक्षा से अधिक हों। ग्राहक की प्रत्याशाओं से उत्पाद की गुणता में कोई भी विचलन समाज के प्रति क्षति के रूप में लिया जाता है। (तागुची)। गुणता में किसी भी प्रकार की क्षति धीरे-धीरे ग्राहक की संतुष्टि में कमी और फिर धीरे-धीरे उस उत्पादक की साख में कमी के रूप में होती है।

अगली दशाब्दी में गुणता का अभिप्राय विस्तारित होकर उत्पादकता, प्रतिस्पर्धी मूल्य, ग्राहकों की प्रसन्नता और ग्राहकों की सेवा हो जाएगा।

वर्तमान और भविष्य के बाजार की प्रवृत्तियों के अनुरूप बने रहने के लिए कार्यकारिता, लक्षण, विश्वसनीयता, टिकाऊपन तथा बेहतर आफटर-सेल सर्विस की निरंतर समीक्षा होनी चाहिए। **उत्पाद सबसे अधिक उत्कृष्ट एम्बेसेडर होता है तथा प्रसन्न ग्राहक सबसे उत्कृष्ट विज्ञापन है।**

उत्पाद की गुणता का निर्णय ग्राहक की आवश्यकताओं, विशिष्टि के प्रति अनुरूपता, आश्वासित कार्यकारिता, सुरक्षा, पैकिंग, समय पर सुपुर्दगी, दक्ष सेवा तथा ग्राहक से मिली फीडबैक को शामिल करने के माध्यम से होता है। **सेवा** की **गुणता** के मामले में **प्रतिक्रिया की गति, अवलम्बलनीयता, नियंत्रण** तथा **सुविधाएँ महत्त्वपूर्ण घटक होते हैं।**

गुणता, जाँच और **निरीक्षणों** से **नियंत्रित** नहीं की जा सकती है, चाहे वे कितने भी **कड़े** क्यों न हों। यह **स्रोत** से लेकर उत्पाद में ही **निर्मित** की जानी चाहिए। गुणता औद्योगिक चक्र की सभी स्थितियों, जैसे आयोजना, डिजाइन क्रय, निर्माण, पर्यवेक्षण, दुकान प्रचालन, निरीक्षण तथा परीक्षण, रखरखाव, विपणन तथा ग्राहकों को सेवा देने (आई एस ओ 9000 : 2000 संस्करण की अवधारणा) में प्रवाहित होनी चाहिए।

गुणता तथा लागत

—गुणता से संबद्ध **लागत** को निम्नलिखित व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है;

आंतरिक असफलता पर लागत

—छीजन व पुन: मरम्मत

—परीक्षण, निरीक्षण और छंटाई

—दूसरे दर्जे के माल के रूप में बिक्री

—असफलता का विश्लेषण

बाह्य असफलता पर लागत

—वारंटी भार

—शिकायतों का समायोजन

—वापस लौटाना

—छूट पर बेचना

—बिक्री की हानि

—असफलता का विश्लेषण

—साख खोना

मूल्यनिर्धारण/संरचनागत लागत

—कच्ची सामग्री सहित इनकमिंग परीक्षण और निरीक्षण

—प्रक्रियाधीन/ अंतिम गुणता विश्लेषण

—गुणता ऑडिट

—उपस्कर अंशशोधन

—ग्राहक संतोष का मूल्यांकन

निवारक लागत

—गुणता की योजना

—नये उत्पाद की समीक्षा

—प्रक्रम गुणता आयोजना

—प्रक्रम नियंत्रण

—आपूर्तिकर्ता का मूल्यांकन

—प्रशिक्षण तथा शिक्षा

जापानी गुणता की सफलता

—उन्होंने अनुभव किया कि प्राय:**स्वीकृत गुणता** की तुलना में **घटिया गुणता** की **लागत अधिक** आती है।

—गुणता सुधार परियोजनाओं को अपनाना

—**अल्प लागत समाधान** (गुणता मण्डल) अपनाना

—स्रोत पर ही **गलती** का **निवारण**

—**पहली बार, हर बार सही कार्य** करना

—**परियोजना** से लेकर **प्रचालन** की प्रक्रिया तक गुणता **सुधार** पर ध्यान केंद्रित करना

—एक ऐसा **गतिशील मॉडल** तैयार करना जिसमें ग्राहक द्वारा **गुणता** में **वृद्धि** की स्थिति में व **सुधारों** के लिए **मूल्य देने** में उनकी **सहमति** भी सम्मिलित हो

—ग्राहक को यह बताना कि जिसके लिए तुम भुगतान करोगे, वही पाओगे अर्थात् जितनी चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा।

—''ग्राहक हमेशा सही होता है'' इसे व्यवहार में लाना और साकार रूप देना

—सभी **सुझावों** और **फीडबैक** को पूरा **सम्मान** देना।

प्रतिस्पर्धात्मकता के माध्यम से वृद्धि

अब **भारत** विश्व व्यापार संगठन के समझौतों पर **हस्ताक्षर करने वाले** देशों में शामिल है। अंतत: **प्रतिस्पर्धा** की भावना को भारतीय प्रबंधकों के मस्तिष्क में **स्थायी रूप** से और **केन्द्रीय स्थान** मिल गया है। अब भारतीय कम्पनियों को इस संबंध में कठिन निर्णय लेना पड़ेगा कि वे कौन सा उत्पाद किस बाजार में और किस ग्राहक को बेचें। वर्तमान में अधिकांश भारतीय कम्पनियाँ निम्नोक्त **मानसिकता** से ग्रस्त हैं :

—व्यवसाय के प्रति **अल्पकालिक दृष्टिकोण**

—केन्द्र बिन्दु तथा व्यावसायिक नीति का अभाव

—**कर्मचारियों** तथा **उत्पाद विकास** में निवेश के प्रति **अनिच्छा** का भाव रखना

—**ग्राहक** के प्रति **संवेदनशीलता** का **अभाव**

—**गुणता** को पर्याप्त **महत्त्व न** देना।

यदि भारतीय कम्पनियों को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी है तो उन्हें **निम्नलिखित नीतियों** को अपनाना पड़ेगा:

—विविधीकृत क्षेत्रों में असहाय अनुभव करने की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा के किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने को वरीयता दी जाये

—पहले घरेलू बाजार को जीतें तभी अपनी अर्थनीति को विदेशी बाजार में परखें

—भूमंडलीय प्रवृत्तियों के साथ चलने में समर्थ हों

—अल्प लागत वाली नीतियों का अनुकरण करते हुए गुणता की अवहेलना न करें।

ऐसे तीन उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी कंपनी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठा सकती है। वह **प्रतिस्पर्धी मूल्य** अथवा **अधिक उत्कृष्ट उत्पाद** अथवा **अधिक उत्कृष्ट सेवा** के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है।

कुल मिलाकर भारतीय कंपनियों ने प्रतिस्पर्धी लागत नीति को अपनाया है। अब, सुधारों के बाद भारतीय कम्पनियाँ धीरे-धीरे दूसरी स्थिति अर्थात् गुणता युक्त उत्पाद की ओर अग्रसर हो रही हैं। वे पारंपरिक से नीतिगत नीतियों की ओर रुख कर रही है।

विशुद्ध रूप से जेनरिक उत्पादों पर निर्भर रहने के बजाय अब वे परिष्कृत ग्राहकों और कुछ मामलों में बाजार के उच्चस्तर मूल्यवर्धित खंड की ओर दृष्टिपात् कर रही हैं।

भविष्य की नीतियाँ

भारतीय कम्पनियाँ व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा पैसे बचाने के सिद्धांत पर चलती थीं। जापानी स्वीकार्य गुणता स्तर में विश्वास न कर शून्य दोष की अवधारणा में विश्वास करते हैं। वे दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाते हैं और लाभ की प्रतीक्षा करते हैं। भारतीय कम्पनियों को भी अपनी नीति बदलनी चाहिए और ग्राहकों को अपने चिंतन का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए।

ग्राहक से शिकायत न मिलने को ग्राहक संतोष मानने की भूल नहीं की जा सकती, ग्राहक शिकायत नहीं करते, वे चुपचाप दूसरे ब्रांड को अपना लेते हैं।

भारतीय कम्पनियों को विजेता कम्पनी बनना है और विजेता कम्पनियाँ विजयी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे परस्पर सीखने-ग्राहक तथा दूसरे विषयों से संबद्ध लोगों से सीखने में विश्वास रखती हैं। वे :

—अपने उत्पादों की देखभाल करती हैं (उत्पाद सेवा)

—न केवल ग्राहक की वर्तमान आवश्यकता पर अपितु भविष्य की जीवन-शैली (लाइफ स्टाइल) पर भी ध्यान देती हैं (भविष्य की आयोजना)

—लंबी छलाँग लगाने के बजाय धीरे-धीरे कदम बढ़ाकर अपने उत्पाद और नीति की योजना बनाती है।

—आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग करती हैं (विक्रेता विकास)

—निरीक्षण में दोष ढूंढ़ने के बजाय गुणता को डिजाइन करती हैं (गुणता प्रबंध रीति)

कौन अंतर स्थापित कर सकता है

वे लोग,

—जिनमें अपने परिवेश को सुधारने की सतत् लालसा है

—जो सुनते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं और प्रभाव डाल सकते हैं

—जो नवीनतम चुनौतियों का स्वागत कर सकते हैं

—जो दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं

—जो दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं

—जो आलोचना का स्वागत करते हैं।

निष्कर्ष

भारत गुणता आंदोलन में अन्य देशों की तुलना में बाद में शामिल हुआ है। सफल कंपनियाँ जो प्रतिस्पर्धा में टिकी रही हैं, वे इस परिवर्तन, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि, बढ़े लाभ तथा बाजार में अपने हिस्से को बढ़ाकर इसके लाभों का आनंद ले रही हैं।

उदारीकरण और भूमंडलीकरण से पूर्व भारतीय कम्पनियाँ वस्तुओं का उत्पादन अथवा सेवा अपने स्वयं के अनुभवों के अनुसार और अपने कंपनी मानकों के आधार पर करती व देती थीं। अब ग्राहक केंद्र बिंदु बन गया है और उत्पाद और सेवाओं, दोनों की गुणता के विकास में उसकी प्रत्याशाएँ, दृष्टिकोण, भविष्य की आवश्यकताएँ, मूल्य, अधिमानता, लिविंग इंडेक्स इत्यादि को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है।

अतः यह स्पष्ट है कि व्यवसाय के नये परिदृश्य में ग्राहक को नये नीतिगत साझेदार के रूप में लिया जाना आवश्यक है।

☐

(क) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

अमृतसर

अमृतसर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 46वीं बैठक दिनांक 19-09-03 को आयकर कार्यालय, अमृतसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री देवराज वर्मा, मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर ने की। अमृतसर नगर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/बैंकों/निगमों/उपक्रमों से आए प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। नराकास के संयुक्त प्रयास द्वारा प्रकाशित पत्रिका "अमृता" का विमोचन अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया।

कोलकाता (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्चियन समिति (बैंक), कोलकाता की 35वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त 2003 को युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय के बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता के संयोजक बैंक युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक, श्री के. एन. पृथ्वीराज ने की। उक्त बैठक में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के स्थानीय कार्यालय के उप निदेशक (कार्यान्चयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, प्रशिक्षण अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

भुवनेश्वर

भुवनेश्वर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय सरकारी कर्यालय व उपक्रम) की अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 12-9-2003 को कार्यालय महालेखाकार (लेखा/हक) के सम्मेलन कक्ष में समिति के अध्यक्ष तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-प्रथम) श्री उत्पल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पत्रिका प्रकाशन संबंधी विवरण प्रदान करते हुए उस उपसमिति के संयोजक श्री विमल किशोर मिश्र ने आवश्यक धनराशि की कमी की सूचना दी। नराकास के बड़े-बड़े सदस्य कार्यालयों से विशेष अंशदान और विज्ञापन संग्रह करने पर निर्णय लिया गया।

अहमदाबाद (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्चियन समिति (बैंक), अहमदाबाद की 33वीं बैठक 29 जुलाई, 2003 को समिति के संयोजक देना बैंक द्वारा देनालक्ष्मी भवन में स्थित सभागृह में आयोजित की गयी। बैठक में भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री एस एस धुत्रे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक, देना बैंक श्री पुरुषोत्तम कुमार ने की । अहमदाबाद स्थित सभी बैंकों के कार्यपालक तथा राजभाषा प्रभारी भी इस बैठक में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर समिति की पत्रिका के अंक-7 (मार्च 2003) एवं समिति की ओर से तैयार की गई संक्षिप्त बैंकिग शब्दावली का मुख्य अतिथि तथा मंच पर आसीन कार्यपालकों द्वारा विमोचन किया गया । बैठक के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) के तत्वावधान में इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

बडोदरा

वडोदरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 41वीं बैठक दिनांक 29-07-2003 को केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क भवन के सम्मेलन-कक्ष में हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मान्यवर श्री पी. के. जैन आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, वडोदरा-1 ने की।

हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा तैयार किए गए वर्ष-2003-2004 के वार्षिक कार्यक्रम पर विस्तार

से मदवार चर्चा की गई। चर्चा के पश्चात् सभी सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे इस कार्यक्रम की विभिन्न मदों में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करें तथा इस संबंध में की गई प्रगति से समिति कार्यालय को भी अवगत कराएं।

अगरतला

सर्वप्रथम अध्यक्ष, नराकास, श्री एस. के. चटर्जी ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत कर यह जानकारी दी कि वर्ष 2000-01 के लिए नराकास, अगरतला को राजभाषा विभाग की ओर से तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए श्री चटर्जी ने नराकास सदस्यों को उनके योगदान के लिए बधाई दी।

बहरमपुर (प.बं.)

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (प.बं.) में दिनांक 04-07-2002 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 12वीं बैठक केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर के निदेशक डॉ. एस. राजे अर्स की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

श्री जी. डी. केशवानी, उप निदेशक राजभाषा विभाग ने यह सूचित किया कि कंप्यूटर पर हिंदी में कामकाज करने संबंधी 05 दिन का प्रशिक्षण राजभाषा विभाग, कोलकाता में आयोजित होने वाला है और उक्त प्रशिक्षण के लिए सदस्य कार्यालय अपने-अपने कर्मचारियों को नामित करें। इस दौरान अध्यक्ष महोदय ने यह प्रस्ताव रखा कि सदस्य-कार्यालयों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम इस संस्थान में आयोजित किया जा सकता है। श्री केशवानी, उप निदेशक ने सुझाव दिया कि इस संबंध में संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से संपर्क किया जा सकता है।

रतलाम

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रतलाम की दिनांक 08-10-2003 की 47वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष एवं म.रे.प्र. श्री बी.डी. कुमार ने रतलाम स्थित केंद्रीय कार्यालयों में किए जा रहे हिंदी कार्यों के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कंप्यूटरों की प्रोग्रामिंग अंग्रेजी में ही उपलब्ध होने से कार्य में कमी को दूर करने के प्रयासों पर जोर दिया।

औरंगाबाद

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति औरंगाबाद की 35 वीं बैठक श्री डी. एस. नेगी, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क की अध्यक्षता में दिनांक 25-08-2003 को अपराहन कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गयी।

जयपुर (बैंक)

29-08-2003 बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजन में कार्यरत बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर का वार्षिक राजभाषा समारोह देश के प्रख्यात हिंदी उद्घोषक श्री जसदेव सिंह के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी कमेंट्री को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक विधा के रूप में मान्यता दी जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में हिंदी का लोहा सभी मान चुके हैं, यह विश्व के करोड़ों लोगों की वाणी है। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्री सुनील सरवाही ने हिंदी की व्यापकता का जिक्र करते हुए कहा कि अब हिंदी न केवल कार्यालय में अपितु सार्वजनिक क्षेत्रों में निरंतर गति प्राप्त कर रही है। समारोह के प्रारंभ में समिति के अध्यक्ष श्री आर० के० भल्ला ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। तथा समिति की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई के मुख्य प्रबंधक श्री उमाकांत स्वामी ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में समिति द्वारा प्रकाशित पत्रिका "बैंक ज्योति" का विमोचन भी किया गया तथा वर्ष भर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार भी वितरित किये गए। सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन का प्रथम पुरस्कार पंजाब नेशनल बैंक एवं द्वितीय पुरस्कार यूनियन बैंक को प्राप्त हुआ।

तूतीकोरिन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तूतीकोरिन, तमिलनाडु की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 22-08-2003 को इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, हार्बर एस्टेट रोड, तूतीकोरिन-4 के परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नराकास के अध्यक्ष एवं भारी पानी संयंत्र-तूतीकोरिन, परमाणु ऊर्जा विभाग के मुख्य महाप्रबंधक श्री टी. के. हालदार ने की। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचिन से श्री पी. विजयकुमार,

अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। श्री आइ. सवरिमुत्तु, प्रशासनिक अधिकारी, भारी पानी संयंत्र, श्री गणेश बाबू, उप प्रबंधक (राजभाषा), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नै एवं तूतीकोरिन नगर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों निगमों और उपक्रमों के कार्यपालकों/उच्च अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।

देवास

"नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन जिस उद्देश्य के लिए किया गया है, देवास नराकास उन उद्देश्यों को अच्छी तरह पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन कर अपनी जागरूकता का परिचय दे रही हे और भारत सरकार की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है। यही कारण है कि नराकास देवास के सदस्य कार्यालयों का यहाँ सुन्दर समन्वय दिखाई दे रहा है और इसी सुंदर समन्वय और निष्ठापूर्वक किए गए कार्यान्वयन स्वरूप समिति को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार मिला है।" यह उद्‌गार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इन्दौर के आयुक्त **श्री राहुल गोयल** ने देवास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित संयुक्त हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर नराकास अध्यक्ष **श्री अश्विनी कुमार** तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य) के उपनिदेशक श्री सुनील सरवाही भी उपस्थित थे।

(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें निम्नलिखित कार्यालयों में संपन्न हुई :—

1. आकाशवाणी, अहमदाबाद
2. केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क आयुक्तालय, इन्दौर
3. पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
4. आकाशवाणी, कड़पा (आ.प्र.)
5. एन. एच. पी. सी. क्षेत्र-2 कार्यालय, बनीखेत
6. इलाहाबाद केंद्रीय परिमण्डल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद
7. कार्यालय, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 7, रेस कोर्स रोड, इन्दौर
8. भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून
9. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, सिविल लाईन्स तेलंगखेड़ी मार्ग, नागपुर
10. महाप्रबंधक दूर-संचार कार्यालय, नासिक
11. मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना
12. आकाशवाणी, सांगली
13. केन्द्रीय भव अनुसंधान संस्थान, रुड़की
14. दुरदर्शन केंद्री, मुम्बई
15. दूरदर्शन केंद्र, बेंगलूर

(ग) कार्यशालाएं

निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा **हिंदी कार्यशालाएं** आयोजित की गईं :—

1. नराकास, देवास
2. नराकास, अहमदाबाद
3. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की
4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
5. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली
6. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल निदेशालय, नई दिल्ली
7. लोक ताक पावर स्टेशन, मणिपुर
8. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर
9. आन्ध्रा बैंक, आंचलिक कार्यालय, काकिनाडा
10. भारी पानी संयत्र, तूतीकोरिन
11. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, आंचलिक कार्यालय, कोषिकोड
12. नेहरु युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली
13. सिंडीकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बीजापुर
14. पूर्वी भण्डार प्रभाग (ग्रेफ), द्वारा 99 सेना डाकघर

15. आकाशवाणी, कोत्तगूडेम

16. फरक्का बांध परियोजना, मुर्शिदाबाद

17. नराकास जयपुर (बैंक)

(घ) हिंदी दिवस

निम्नलिखित कार्यालयों में **हिंदी दिवस** का आयोजन किया गया :—

1. कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, कोलकाता
2. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, मुम्बई
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़िसा, भुवनेश्वर
4. महालेखाकार (लेखा एवं हक) तथा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) असम, बेलतला, गुवाहाटी
5. इसरो उपग्रह केंद्र, हवाई पत्तन मार्ग, विमान पुरा, बेंगलूर
6. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे
7. गुजरात डाक सर्किल कार्यालय, अहमदाबाद
8. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संस्थान (पूर्वी), भुवनेश्वर
9. पूर्वी भण्डाार प्रभाग (ग्रेफ), द्वारा 99 सेना डाकघर
10. मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता, हिमांक परियोजना द्वारा 56 सेना डाक घर
11. मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता, लेखक परियोजना, द्वारा 99 सेना डाकघर
12. दक्षिण मध्य रेलवे का इंजीनियरी (निर्माण) संगठन, सिकंदराबाद
13. सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, सीमाशुल्क गृह, कोच्चिन
14. भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन
15. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे
16. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
17. आयकर आयुक्त, पटियाला प्रभार, पटियाला
18. केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), मुख्यालय, कोच्चि (केरल)
19. आकाशवाणी, इम्फाल
20. आकाशवाणी, हैदराबाद
21. आकाशवाणी, इन्दौर
22. आकाशवाणी, आलप्पुषा
23. आकाशवाणी, रत्नागिरी
24. आकाशवाणी, कटक
25. आकाशवाणी, अहमदाबाद
26. विविध भारती सेवा, आकाशवाणी, बोरीवली (प.) मुम्बई
27. आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कंध, राजकोट
28. आकाशवाणी, तुरा
29. आकाशवाणी, कोत्तगूडेम
30. आकाशवाणी, कोलकाता
31. आकाशवाणी, जलगाँव
32. आकाशवाणी, नागपुर
33. आकाशवाणी, पणजी
34. दूरदर्शन केन्द्र, बेंगलूर
35. दुरदर्शन केन्द्र, राजकोट
36. भारत संचार निगम लिमिटेड, महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय, नाशिक
37. एनएचपीसी क्षेत्र- कार्यालय, बनीखेत, जिला चम्बा, हि. प्र.
38. नेशनल टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूर
39. स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता
40. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (असम ऑयल डिवीजन), डिगबोई (असम)
41. भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड, कंचनबाग, हैदराबाद
42. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
43. सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, राँची

44. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई रिफाइनरी
45. केन्द्रीय रेशम उत्पाद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (प. ब.)
46. संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली
47. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय, मध्य रेल, मुम्बई
48. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली
49. महानिदेशालय भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, नई दिल्ली
50. भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली
51. परमाणु उर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तालचेर
52. क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, इन्दौर
53. उत्तर पश्चित रेलवे मुख्यालय, जयपुर
54. पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल
55. क्षेत्रीय रेशम उत्पाद अनुसंधान केंद्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, सहसपुर, देहरादून
56. भारतीय डाक विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
57. केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ
58. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, उत्तरी आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली
59. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली
60. भारत संचार निगम लिमिटेड, कार्यालय-महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, बरेली
61. भारत संचार निगम लिमिटेड, कार्यालय, महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, आगरा
62. जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) मर्यादित, वाप्कोस
63. भेल, हरिद्वार
64. न्यूक्लियर पावन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजस्थान परमाणु बिजलीघर
65. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून
66. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की
67. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली
68. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी
69. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जी०टी० रोड़, कानपुर
70. आकाशवाणी, जोधपुर
72. आकाशवाणी, सांगली
73. आकाशवाणी, इलाहाबाद
74. आकाशवाणी, महानिदेशालय, नई दिल्ली
75. आकाशवाणी, वाराणसी
76. आकाशणी, बीकानेर
77. मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) आकाशवाणी और दूरदर्शन, कोलकाता
78. आकाशवाणी, नई दिल्ली
79. आकाशवाणी, नागौर
80. दूरदर्शन महानिदेशालय, दूरदर्शन भवन, नई दिल्ली
81. दूरदर्शन केंद्र, मुम्बई
82. दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली
83. केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान), दुर्गापुर
84. भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, नामकुम, राँची (झारखंड)
85. राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे
86. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल विज्ञान भवन, रुड़की
87. पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
88. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, नैगम कार्यालय, कोलकाता
89. केनरा बैंक, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेंगलूर

90. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, कोलकाता
91. विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर
92. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कोलकाता
93. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केन्द्रीय कार्यालय, पुणे
94. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (क्षेत्रीय कार्यालय) सोलापुर
95. क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चण्डीगढ़
96. क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अहमदाबाद
97. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हिलफोर्ट रोड़, हैदराबाद
98. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुवाहाटी
99. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (क्षेत्रीय कार्यालय), मुम्बई
100. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पुणे
101. दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नैई क्षेत्रीय कार्यालय

□

सबको हिंदी सीखनी चाहिए, इसके द्वारा भाव-विनिमय से सारे भारत को सुविधा होगी

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

लीला हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ का वेब वर्जन

माननीय उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2003 को लीला-हिंदी-प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के वेब वर्जन का लोकार्पण विज्ञान भवन में किया गया। राजभाषा विभाग के पोर्टल (www. rajbhasha. nic. in) पर लिंक के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर तक की हिंदी इंटरनेट के माध्यम से स्वतः सीखी जा सकेगी। इसके लिए एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी। लाभार्थी अब इंटरनेट का प्रयोग करके किसी भी समय तथा कहीं भी रहकर अपनी सुविधानुसार इसका लाभ उठा सकेंगे। वेब लीला की विशिष्टताएं निम्न प्रकार हैं—

- ☐ लीला प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ के वेब वर्जन का लाभ प्रशिक्षार्थी इंटरनेट के जरिये उठा सकता है। इसे चलाने के लिए किसी सी.डी. की जरूरत नहीं पड़ती और न ही आवश्यकता होती है कंप्यूटर पर किसी भारतीय भाषा के फॉन्ट की। सिर्फ एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और एक वेब ब्राउजर की मदद से सारा पाठयक्रम प्रशिक्षार्थी को सुलभ हो जाता है।
- ☐ वेब पर आधारित पाठ्यक्रमों में सहजता से व्यक्ति एक पृष्ठ पर काम करते हुए एक क्लिक द्वारा तत्क्षण किसी भी अन्य पाठ, खंड या पृष्ठ पर पहुंच सकता है।
- ☐ इनमें तीनों पाठ्यक्रम एक साथ उपलब्ध होते हैं— प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। प्रशिक्षार्थी जिस पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहे, चुन सकता है।
- ☐ वीडियो चलचित्र की सुविधा सामान्यतः स्वतंत्र कंप्यूटर प्रोग्रामों में ही हुआ करती है परन्तु लीला के इस संस्करण में वेब पर वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए पाठ के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो भी सुलभ कराए गए हैं।
- ☐ अभी तक कंप्यूटर पर वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्नोत्तर की ही सुविधा थी। लीला के इस वेब संस्करण में व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) प्रश्नोत्तर की भी सुविधा दी गई है जो अपनी तरह का पहला प्रयास है। अब प्रशिक्षार्थी वेब पर अपने विवरणात्मक उत्तर दे सकते हैं जिन्हें वेब पर उपलब्ध शिक्षक जाँचकर टिप्पणी के साथ प्रशिक्षार्थियों को लौटा सकते हैं।
- ☐ वेब पर पहली बार रिकॉर्ड एन्ड कम्पेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी अपनी आवाज़ रिकार्ड कर सकते हैं और मानक उच्चारण से उसकी तुलना कर सकते हैं।
- ☐ राजभाषा विभाग के पोर्टल (www. rajbhasha. nic. in) पर लिंक के माध्यम से लीला हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ का वेब वर्जन देखा जा सकता है। ☐

इलाहाबाद में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह

11-12 दिसम्बर, 2003 को इलाहाबाद में उत्तर एवं दिल्ली क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। पुरस्कार वितरण उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रीयुत विष्णुकान्त शास्त्री के कर कमलों से सम्पन्न हुआ। अपने सम्बोधन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि सरकारी कामकाज पूरी तरह हिंदी में किया जाना चाहिए। यदि हम हिंदी में काम करना शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से हिंदी में काम किया जा सकता है। हिंदी में काम करने की मनोवृति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी में बढ़िया काम करने वालों को पुरस्कृत कर राजभाषा विभाग ने बहुत अच्छा कार्य किया है।

दो दिवसीय सम्मेलन में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर गुप्त तथा मोती लाल नेहरू इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के निदेशक प्रो० कृष्ण कुमार, ने भी अपने सारगर्भित

संबोधनों से राजभाषा हिंदी की महत्ता और तकनीकी शिक्षा में उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

सचिव, राजभाषा विभाग श्रीमती नीना रंजन ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि इस राजभाषा सम्मेलन में महामहिम राज्यपाल अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल कर शामिल हुए।

इस अवसर पर विभाग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और अन्य संस्थाओं आदि द्वारा हिंदी में प्रकाशित स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं की एक प्रदर्शनी भी लगाई जिसे सभी ने सराहा। □

संगणक केन्द्र सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

कंप्यूटर पर हिन्दी में संगोष्ठी (सेमिनार)

दिनांक 12 नवम्बर, 2003 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, संगणक केन्द्र में कम्प्यूटर टेक्नालाजी और हिंदी विषय पर आधे दिन की एक तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 60 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

"कंपूटर टेक्नालाजी और हिंदी" विषय पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. सूरजभान सिंह (वर्तमान में सी-डेक पुणे में सलाहकार) को आमंत्रित किया गया था। संगोष्ठी की अध्यक्षता संगणक केन्द्र के उप महानिदेशक-सह-राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार ने की ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन क्षेत्र संकार्य प्रभाग (FOD), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उप महानिदेशक डा. के.वी. राव और राजभाषा विभाग के उप निदेशक श्री प्रेम सिंह और अनुसंधान अधिकारी श्री एस.डी. पाण्डे अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

□

इसरो उपग्रह केन्द्र, हवाई पत्तन मार्ग, विमान पुरा, बेंगलूर

तकनीकी संगोष्ठी-2003

इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में श्री सी.डी. श्रीधर, प्रभाग प्रधान, ए.टी.डी., एस.एम.जी. की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन किया गया और युवा एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों से हिंदी में तकनीकी लेख लिखने के लिए अनुरोध किया गया। दिनांक 17 सितंबर, 2003 को अंतरिक्षयान प्रौद्योगिकी की नई दिशाएँ विषय पर एक दिवसीय तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन केन्द्र के निदेशक डॉ. पी. एस. गोयल द्वारा "तमसोमा जयोतिर्गमया" के साथ हुआ। अपने भाषण में श्री सी.डी. श्रीधर ने कहा कि 30 से अधिक तकनीकी लेखों में से 19 लेखों का चयन किया गया और कार्यवृत्त में शामिल किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी 19 लेखकों को अपने लेख को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

केन्द्र के निदेशक गोयल जी ने राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की भूमि का तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का उपयोग पर प्रकाश डाला और कहा कि हिंदी किसी एक प्रादेशिक व क्षेत्र की संपत्ति न रह कर राष्ट्र की संपत्ति बनी है। राजभाषा हिंदी राष्ट्र का प्रतीक है, अत: वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को प्रधानता देना हमारा कर्त्तव्य है।

श्री एच. नारायणमूर्ति, उप निदेशक एवं वरिष्ठ विज्ञानी इस संगोष्ठी में आमंत्रित अभिभाषण दिया। अंतरिक्षयान प्रौद्योगिकी की नई दिशाएँ विषय पर इनका लेख केवल विचारोत्तेजक ही नहीं बल्कि कंप्यूटर में पॉवर पाइंट पर बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। □

कार्पोरेशन बैंक, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ

हिंदी संपर्क अधिकारियों की वार्षिक संगोष्ठी

आंचलिक कार्यालय, लखनऊ ने दिनांक 08-08-2003 को हिंदी संपर्क अधिकारियों की एक संगोष्ठी आयोजित

की, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ राज्यों में स्थित शाखाओं के नामित हिंदी संपर्क अधिकारियों ने भाग लिया।

संगोष्ठी का उद्घाटन लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉ. दीक्षित ने स्पष्ट तौर पर बताया कि बैंकों को अपना ग्राहक-आधार और लाभ बढ़ाने के लिए हिंदी अपनानी ही होगी क्योंकि पूरे भारत देश में जन-संपर्क की भाषा हिंदी है। कार्पोरेशन बैंक की शाखाओं में हिंदी संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के लिए डॉ. दीक्षित ने बैंक को बधाई दी तथा बैंकिंग उद्योग में हिंदी कार्यान्वयन के क्षेत्र में इस कदम की सराहना की।

इस अवकर पर वर्ष 2002-03 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए विभिन्न हिंदी संपर्क अधिकारियों को मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम के अंत में एक संगोष्ठी परीक्षण आयोजित किया गया तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वोत्तम अहिंदी-भाषी स्थान प्राप्त करने वाले हिंदी संपर्क अधिकारियों को सहायक महाप्रबंधक जी के कर कमलों द्वारा पुरस्कृत किया गया। □

आप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्टरी, देहरादून

उत्तरी क्षेत्र राजभाषा सम्मेलन

दिनांक 9-5-2003 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन में श्री एच.एल. कपूर , महाप्रबंधक ने समारोह के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष श्री वी. कुमारस्वामी, सदस्य/कार्मिक आयुध निर्माणी बोर्ड, उपस्थित महाप्रबंधकों, क्षेत्रीय निदेशक/आर.टी.आई., आयुध निर्माणी बोर्ड से पधारे अधिकारीगणों, ओ.ई. एफ. मुख्यालय, कानपुर से पधारे अधिकारीगणों, हिंदी अधिकारियों एवं राजभाषा से जुड़े कार्मिकों का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठियाँ आदि आयोजित करना किसी भी क्षेत्र में एक सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्य है जिसके परिणामस्वरूप आपसी विचार विनियम व विश्लेषण से महत्वपूर्ण विषय/विचार उभरकर सामने आते हैं तथा कठिन से कठिन समस्याओं का निराकरण आपसी सहयोग, सद्भावना से ही संभव हो जाता है।

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से उत्तर क्षेत्र की आयुध निर्माणियों में कार्यरत उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जो राजभाषा आदेशों के अनुपालन कर रहे हैं, एक दूसरे के अनुभवों को आदान-प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही राजभाषा अनुपालन के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों एवं उनके निराकरण के उपाय ढूंढ़ने में भारी मदद मिलेगी। श्री बी. कुमारस्वामी, सदस्य/कार्मिक ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए और अधिक प्रगति करने के लिए नीति तय करना है।

सदस्य/कार्मिक महोदय द्वारा आप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्टरी, देहरादून की वार्षिक पत्रिका **"आप्टो दर्पण"** का विमोचन किया गया।

सम्मेलन कक्ष के पास ही राजभाषा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्री वी. कुमारस्वामी, सदस्य/कार्मिक ने किया। प्रदर्शनी में द्विभाषी फाइल, हिंदी पुस्तकें, द्विभाषी कार्ड, फोटो, तथा शील्ड आदि प्रदर्शित की गई थीं।

उत्तर क्षेत्रीय राजभाषा चल शील्ड आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर ने जीती । आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर का स्थान प्रथम रहा। आयुध तार निर्माणी, चण्डीगढ़ ने भी उल्लेखनीय कार्य करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। □

दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र बी-42, सादुलगंज : बीकानेर (राज.)

हिंदी संगोष्ठी

29-9-2003 को दूर दर्शन अनुरक्षण केंद्र में आयोजित हिंदी संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मधुकर गुप्ता, संभागीय आयुक्त ने कहा कि "न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर रहने वाले सभी भारतीयों को हिंदी आपस में जोड़ती है उन्होंने कहा कि भाषा एक संवाद का साधन है। इसे आम

आदमी से जोड़ा जाना चाहिए, उन्होंने आगे कहा कि भाषा के मामले में अब हमें 'लिरल' होना पड़ेगा और अच्छी हिन्दी के लिये सरल शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस अवसर पर उन्होंने दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र द्वारा मनाये गये हिंदी पखवाड़े के अन्तर्गत आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किये।''

विशिष्ट अतिथि श्री एस.एल. आसेरी, प्राचार्य, श्री डूंगर महाविद्यालय ने कहा कि हिन्दी भाषी होने का गौरव देश के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिये। हिन्दी भाषा का प्रयोग विचारों के आदान-प्रदान के लिये किया जाना आवश्यक है न कि पांडित्य प्रदर्शन के लिये। उन्होंने हिंदी को भारत की अस्मिता का प्रतीक माना और कहा कि हिंदी की प्रांजलता गंगा जल जैसी है।

अध्यक्षीय उद्बोधन में जनकवि श्री हरीश भादाणी ने इस अवसर को सुख का कारण मानते हुये कहा कि भाषा के दो पक्ष—अकादमिक और लोक पक्ष होते हैं। अनुवाद के चलते मूल शब्द अजूबे बन जाते हैं। उन्होंने राष्ट्र भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में इच्छाशक्ति के अभाव को आड़े आना ठीक नहीं समझा। अंग्रेजीदा लोगों के सामने उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि ऐसे लोग अंग्रेजी की आत्मा से कितने परिचित होते हैं। उन्होंने अंग्रेजी अनुकर्ता संस्कृति को तोड़ने पर बल दिया। इस अवसर पर उन्होंने मानवमन में बढ़ रही संवेदनहीनता को उजागर करने वाली अपनी कविता—सड़कवासी राम—सुनाकर श्रोताओं का सत्कार अर्जित किया।

संगोष्ठी में आकाशवाणी के ओम मल्होत्रा 'कुसुमाकर' ने राजभाषा हिंदी की संवैधानिक आवश्यकताओं पर बल देते हुये हिंदी को मन और आत्मा से स्वीकार करने की बात कही तो जैन कन्या महाविद्यालय की उप-प्राचार्य डा. संध्या सक्सेना ने कहा कि भारत अनेक भाषा-भाषियों का दुर्लभ संगम है। हिंदी अनेक प्रादेशिक और आंचलिक बोलियों व भाषाओं का मिलाजुला स्वरूप है और गंगाजल की तरह निर्मल है व हमारे राष्ट्रीय गौरव का परिचायक है।

अंत में आगंतुक अतिथियों और वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुये दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र के केंद्राध्यक्ष श्री राजेश नाहटा ने कहा कि यदि हम तकनीकी कामकाज के छोटे-छोटे शब्दों को भी अपने दैनिक कामकाज में हिंदी में प्रयोग करते हैं तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी के गौरव को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमें इस भाषिक योगदान को बनाए रखना है। श्री नाहटा ने इस अवसर विशेष की स्मृति के लिये माननीय अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंट किये। कार्यक्रम का संयोजन श्री शान्तिलाल सुराणा, लेखापाल ने किया।

हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम-788 802 (असम)

सर्वभाषा कवि सम्मेलन

हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम (असम) के तत्त्वाधान में 27 सितम्बर 2003 को ''सर्वभाषा कवि सम्मेलन'' का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मिल के महा प्रबंधक श्री एल वी राव ने दीप प्रज्जवलित कर किया। कवि सम्मेलन का शुभारम्भ डॉ० प्रमथनाथ मिश्र की सरस्वती वन्दना से हुआ। तत्पश्चात डॉ० शैलेश पंडित (हिंदी), डॉ० विश्रांत वसिष्ठ (हिंदी), प्रोफेसर किरण शंकर राय (बंगला), श्री मदन सिंघल (हिंदी), श्री शादाब जौनपुरी (उर्दू), श्री रमणी कुमार शर्मा (असमिया), श्री कृष्ण लाल शर्मा (नेपाली), श्री अशोक कुमार राय (भोजपुरी), श्री सुधामय दे (बंगला) तथा श्री चित्तरंजन भारती (हिंदी) आदि कवियों ने अपनी-अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सम्मेलन का संचालन विख्यात कवि कथाकार एवं दूरदर्शन केन्द्र शिलचर के निदेशक डॉ० शैलेश पंडित ने किया।

आकाशवाणी पणजी

भारतीय भाषाओं के विकास और राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित हिंदी-कोंकणी-मराठी 'कवि गोष्ठी' और 'विविधा'

आकाशवाणी पणजी राजभाषा समिति द्वारा स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी पणजी प्रेक्षागृह में

13 अगस्त को हिंदी–कोंकणी–मराठी में 'कवि गोष्ठी' और विविधा' का आयोजन किया गया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में केंद्र निदेशक श्री बी.डी. मजूमदार ने कहा कि राजभाषा हिंदी के विकास के साथ ही हम कोंकणी–मराठी जैसी भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन और विकास के लिए अपने प्रसारण के द्वारा और राजभाषा समिति के आयोजनों के द्वारा जोर देते हैं। कवि गोष्ठी का संचालन सहायक केंद्र निदेशक श्री वेणी माधव बोरकार ने किया जबकि विविधा को श्री खगेश्वर प्रसाद यादव हिंदी अधिकारी ने संचालित किया। कवि गोष्ठी के प्रतिभागी कवि थे श्री नरेश शर्मा, श्री अनिल सामंत, श्रीमती नूतन साखरदांडे, श्रीमती नयना आडारकर, श्री रामानंद जोशी (उद्घोषक) और श्रीमती शकुंतला भरणे (उद्घोषिका)। विविधा कार्यक्रम के प्रतिभागी थे श्री बी.एस. मठ, श्रीमती मिलन हेगड़े, श्री रामानंद जोशी, श्री सावियो नोरोन्हा, श्री दिलीप पोहनेरकर, श्रीमती स्वाती मावजेकर, श्री सीताराम भोगले और कु. एलिन डी. कॉस्टा। राष्ट्रभक्ति, मानवीय प्रेम, प्रकृति, जीवन के प्रति दृष्टिकोण और ईश्वर के प्रति आस्था की भावना से ओत-प्रोत कवि गोष्ठी और 'विविधा' से आकाशवाणी परिवार में आनंद और प्रेरणा का संचार हुआ। □

यह सच है कि कोई भी देश अपनी मातृभाषा के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। हम दूसरी भाषा सीख सकते हैं बोल सकते हैं लेकिन नए विचार उससे पैदा नहीं होता। नए विचार केवल अपनी मातृभाषा के द्वारा ही निकल सकते हैं। इसलिए हमे भारत की सभी भाषाओं को आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है और हिंदी का तो एक विशेष स्थान है ही। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत के सभी लोग अगर हिंदी न बोल सकें तो कम से कम समझ तो सकें। मैं समझती हूँ कि यह काम आगे बढ़ रहा है।

—श्रीमती इंदिरा गांधी

पुरस्कार

हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर 2003 को वर्ष 2000-01 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार पाने वालों की सूची

300 से अधिक स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय/विभाग

प्रथम पुरस्कार—भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय

द्वितीय पुरस्कार—खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

तृतीय पुरस्कार—श्रम मंत्रालय

300 से कम स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय/विभाग

प्रथम पुरस्कार—संसदीय कार्य मंत्रालय

द्वितीय पुरस्कार—लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग

तृतीय पुरस्कार—उपभोक्ता मामले विभाग

'क' क्षेत्र में पड़ने वाले उपक्रम

प्रथम पुरस्कार—टिंहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., नोएडा

द्वितीय पुरस्कार—इंजीनियर्स इंडिया लि०, नई दिल्ली

तृतीय पुरस्कार—गैस अथारिटी आफ इंडिया लि., नई दिल्ली

'ख' क्षेत्र में पड़ने वाले उपक्रम

प्रथम पुरस्कार—भारतीय कपास निगम लि०, मुंबई

द्वितीय पुरस्कार—भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि०, मुंबई

तृतीय पुरस्कार—हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि०., मुंबई

'ग' क्षेत्र में पड़ने वाले उपक्रम

प्रथम पुरस्कार—एन.एम. डी.सी. हैदराबाद

द्वितीय पुरस्कार—हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि०, बेंगलूर

तृतीय पुरस्कार—हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि०, कोलकाता

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

क क्षेत्र—लखनऊ (का०)

ख क्षेत्र—बड़ौदा (बैंक)

ख क्षेत्र—तिरुअनंतपूरम (बैंक)

मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वर्ष 2001-02

	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुरस्कार राशि
प्रथम पुरस्कार —	पर्यावरण परिरक्षण एवं वानिकी	वी.एस.सक्सेना	20,000 रु०
द्वितीय पुरस्कार—	भुगतान प्रणाली व इलेक्ट्रॉनिकी मीडिया	डॉ० दलसिंगार यादव एवं सुब्रत दास	16,000 रु०
तृतीय पुरस्कार—	भेड़ पालन एवं प्रबंध	डॉ० सतीश कौशिश	10,000 रु०

राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना—वर्ष 2000-01 के अन्तर्गत पुरस्कार विजेता

क्र. सं.	पुरस्कार	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुरस्कार राशि
1.	द्वितीय	आधुनिक औषध विज्ञान-एक पाठ्य पुस्तक	डॉ. बिरेन्द्र प्रसाद	75,000 रु.
2.	तृतीय	परिचयात्मक पर्यावरण जैविकी एवं वानिकी	वी.एस. सक्सेना, डॉ. हरिश्चन्द्र भारतीय एवं डॉ. अरविन्द भाटिया	50,000 रु.
3.	सांत्वना	हम और हमारा पर्यावरण	डॉ. रविशंकर पाण्डेय	10,000 रु.
4.	सांत्वना	नाभिकीय ऊर्जा	डॉ. डी. डी. ओझा	10,000 रु.
5.	सांत्वना	प्राणी-कायिकी	डॉ. अरविन्द भाटिया एवं डॉ. कुलवन्त सिंह कोहली	10,000 रु.
6.	सांत्वना	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	डॉ. के. एस. कोहली	10,000 रु.

हिन्दी दिवस के अवसर पर 14 सितम्बर, 2003 को वर्ष 2001-02 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार पाने वालों की सूची

300 से अधिक स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय/विभाग

प्रथम पुरस्कार—खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

द्वितीय पुरस्कार—भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय

तृतीय पुरस्कार—गृह मंत्रालय

300 से कम स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय/विभाग

प्रथम पुरस्कार—युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग

द्वितीय पुरस्कार—सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

तृतीय पुरस्कार—उर्वरक विभाग

'क' क्षेत्र में पड़ने वाले उपक्रम

प्रथम पुरस्कार—इंजीनियर्स इंडिया लि., नई दिल्ली

द्वितीय पुरस्कार—टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नौएडा

तृतीय पुरस्कार—पी.ई.सी. लिमिटेड, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली

'ख' क्षेत्र में पड़ने वाले उपक्रम

प्रथम पुरस्कार—भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि., मुम्बई

द्वितीय पुरस्कार—भारतीय कपास निगम लि., मुम्बई

तृतीय पुरस्कार—मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर

'ग' क्षेत्र में पड़ने वाले उपक्रम

प्रथम पुरस्कार—हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता

द्वितीय पुरस्कार—एच.एम.टी. लिमिटैड, बेंगलूर

तृतीय पुरस्कार—एन.एम.डी.सी., हैदराबाद

बैंकों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
द्वितीय पुरस्कार	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
तृतीय पुरस्कार	केनरा बैंक
प्रोत्साहन पुरस्कार	1. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
	2. पंजाब नेशनल बैंक
	3. ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

क क्षेत्र—देवास (का.)

ख क्षेत्र—बड़ौदा (बैंक)

ग क्षेत्र—हैदराबाद (बैंक)

मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार

पुस्तक का नाम	पुरस्कार राशि	लेखक का नाम
प्रथम पुरस्कार—ग्रामीण ऋण और बैंकों की भूमिका	20,000 रु.	नवल किशोर शर्मा
द्वितीय पुरस्कार—अंगुलि चिह्न विज्ञान	16,000 रु.	डॉ. निशांत सिंह

□

इसरो उपग्रह केन्द्र, हवाई पत्तन मार्ग, विमानपुरा, बेंगलूर

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 22वीं अखिल भारतीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी निबंध प्रतियोगिता में केंद्र के प्रणाली विश्वसनीयता समूह के श्री जीवन कुमार पंडित, वैज्ञानिक/अभियंता-एस.डी. ने अखिल भारतीय द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूर द्वारा अपने सदस्य कार्यालयों के लिए आयोजित तकनीकी हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में केंद्र के उपग्रह जांच समूह के समूह निदेशक श्री ओ. पी. सप्रा ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में सदस्य कार्यालयों के लिए केंद्र में आयोजित हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिता में आई.आर.एस.पी.एम.ओ. की श्रीमती अनसूया भट्ट, वैज्ञानिक/अभियंता एस.डी. और प्रणाली विश्वसनीयता समूह की श्रीमती अनुराधा जी. आचार्य वैज्ञानिक/अभियंता एस.डी., ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। □

आकाशवाणी पणजी में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रध्वज तले राष्ट्रभाषा सम्मान

राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा के प्रति निष्ठा के परिचायक के रूप में आकाशवाणी, पणजी में स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र निदेशक श्री बी. डी. मजुमदार ने ध्वजारोहण कर वर्ष 2002-2003 के लिए राष्ट्रभाषा (राजभाषा) हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी टिप्पणं।

आलेखन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राष्ट्रध्वज तले नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। श्रीमती मिलन हेगड़े तथा श्री नंदा दीपक बट्टा को 800-800 रुपये के प्रथम पुरस्कार, श्री अनिल श्रीवास्तव, श्री जयंत कागलकर और श्री प्रेमनंद कदम को 400-400 रुपये के द्वितीय पुरस्कार तथा श्री पी. जी. कुडालकर, कु. चारुशिला कामत, श्रीमती रेखा बोगती, श्रीमती मावजेकर और श्री सीताराम भोगले को 300-300 रुपये के तृतीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। केंद्र निदेशक श्री बी. डी. मजुमदार तथा केन्द्र अभियंता श्री दीपक जोशी ने आकाशवाणी परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देकर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा के प्रति हमेशा सम्मान रखने का आह्वान किया। समारोह का संचालन श्री खगेश्वर प्रसाद यादव हिंदी अधिकारी ने किया।

केनरा बैंक

अंचल कार्यालय, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अन्तर बैंक हिंदी एकल अभिनय प्रतियोगिता आयोजित

केनरा बैंक अंचल कार्यालय लखनऊ में दिनांक 15-10-2003 को हिंदी एकल अभिनय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें निर्णायक मंडल के रूप में श्री योगेश पंत रंग मंडल प्रमुख, भारतीय नाट्य अकादमी, लखनऊ और डॉ. करुणा शंकर दुबे, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, आकाशवाणी लखनऊ और मंडल प्रबंधक डॉ. देवेन्द्र पाठक सम्मिलित रहे। प्रतियोगिता का आयोजन बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लखनऊ के तत्वावधांन में किया गया। श्री बी. शिवरामन, सहायक महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय लखनऊ ने प्रतियोगिता का उद्‌घाटन करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से कर्मचारियों में हिंदी के प्रति कार्य करने की रुचि बढ़ती है और हिंदी का वातावरण बनता है। प्रतियोगिता में श्री राजीव सक्सेना, केनरा बैंक प्रथम स्थान पर रहे जबकि दूसरे स्थान पर श्री संजय मिश्रा, पंजाब नेशनल बैंक, तीसरे स्थान पर श्री श्यामल कुमार मजूमदार भारतीय स्टैट बैंक और सांत्वना पुरस्कार श्री कमलेश्वर धर, यू.को. बैंक और राजेन्द्र

श्रीवास्तव इलाहाबाद बैंक ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक श्री रमेश चंद द्वारा किया गया एवं डॉ. उपेंद्र नारायण सेवक पांडेय ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री ओम प्रकाश तिवारी, नरेश कुमार सोलंकी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और डॉ. रजनी गुप्ता यूको बैंक प्रेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। भारतेन्दु नाट्य अकादमी से पधारे श्री योगेश पंत ने केनरा बैंक द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित अन्तर बैंक हिंदी एकल अभिनय प्रतियोगिता की भूरि-भूरि प्रशंसा की और सुझाव दिया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा में निखार लाने के लिए ऐसे प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है। □

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति करनाल द्वारा लघु उद्योग सेवा संस्थान, करनाल के प्राँगण में करनाल नगर के केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/निगमों/उपक्रमो के कार्यालयों के कर्मिकों के बच्चों एवं करनाल स्थित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए बाल दिवस के अवसर पर निबंध लेखन, सुलेख, वाद-विवाद, कवितापाठ, समूहगान, नाटक इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

सभी विजेताओं को प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार उपायुक्त श्री आर.एस. दून एवं अध्यक्ष नराकास एवं निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, श्री सुरेश यादवेन्द्र ने प्रदान किए। बच्चों को सम्बोधित करते हुए उपायुक्त महोदय ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और बुद्धिमान हैं। विद्यार्थियों के शिक्षकों को प्यार से समझाना चाहिए क्योंकि ज्यादा कड़ा दण्ड प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत भारतीय स्टेट बैंक के श्री के.पी. अग्रवाल ने एवं मुख्य अतिथि, स्कूलों के अध्यापक एवं बच्चों का धन्यवाद लघु उद्योग सेवा संस्थान, करनाल के श्री सुभाष चौधरी ने पेश किया।

□

दुनिया भर में शायद ही ऐसी विकसित साहित्य भाषा हो जो सरलता में और अभिव्यक्ति की क्षमता में हिंदी की बराबरी कर सके

—फादर कामिल बुल्के

प्रशिक्षण

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपुर हरिद्वार
पाँच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

सघन तकनीकी कार्यप्रणाली वाले नवरत्न संस्थान बीएचईएल, हरिद्वार में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु किए जाने वाले अनेकों सतत् प्रयासों के अंतर्गत मानव संसाधन विकास केंद्र में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से 03 से 07 नवंबर, 2003 तक पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

□

नेशलन थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, पोस्ट—विंध्यनगर, जिला सीधी (म.प्र.)

एनटीपीसी के सबसे बड़े संयंत्र विंध्याचल स्टेशन के स्थानीय कर्मचारी विकास केन्द्र विंध्यनगर में 21 जुलाई से 25 जुलाई तक पाँच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय , नई दिल्ली से पधारे श्री इंद्रजीत चावला एवं केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, कोलकाता से श्री सतीश कुमार पाण्डेय ने किया। इसमें संयंत्र के 24 कर्मचारियों ने भारी उत्साह एवं जोश के साथ भाग लिया।

□

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय सदन, 5वां तल, डी-विंग, कोरमंगला, बेंगलूर-34

विगत 30 सितंबर, 2003 को भविष्य की हिंदी और हिंदी का भविष्य पर केंद्रित एक परिसंवाद का आयोजन अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, बेंगलूर में संपन्न हुआ। उक्त तारीख को केंद्र द्वारा संचालित 72वें त्रैमासिक गहन अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह तथा केंद्र में आयोजित हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के उपलक्ष्य में परिसंवाद रखा गया था।

□

> ***यदि भारतीय लोग कला, संस्कृति और राजनीति में एक रहना चाहते हैं तो इसका माध्यम हिंदी ही हो सकती है।***
>
> ***—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी***

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 21 जुलाई, 2003 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12024/8/2003-राभा (का. 2)

विषय :—**नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राजभाषा विभाग ने निम्नानुसार एक नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन का निर्णय लिया है। समिति के अध्यक्ष के नाम एवं पते तथा बैठकें आयोजित करने के माह के संबंध में विवरण निम्नलिखित हैं :—

समिति का नाम	अध्यक्ष का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पता	बैठकों के आयोजन हेतु निर्धारित माह
बिजापुर	मेजर एम.ए. खान दूरसंचार जिला महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि., एम.जी. रोड, बिजापुर-586 101 (कर्नाटक)	जून/दिसंबर

2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से अनुरोध है कि अपने नगर में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के प्रशासनिक अध्यक्षों के नाम/पदनाम एवं पतों की अद्यतन सूची (दूरभाष/फैक्स व पिनकोड सहित) तैयार करके उसकी एक प्रति राजभाषा विभाग को भिजवा दें।

3. समिति की बैठकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति प्रति बैठक रु. 1500/- (रु. 3000/- वार्षिक अधिकतम) की दर से की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में खर्च/उपयोग प्रमाणप्रत्र प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के प्रभारी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा की जाएगी।

4. समिति के अध्यक्ष से अनुरोध है कि समिति की बैठकें निर्धारित माहों में आयोजित करवाने की व्यवस्था करें। बैठक के आयोजन की सूचना नियत तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व राजभाषा विभाग (मुख्यालय), नई दिल्ली एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें ताकि बैठक में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। समिति के गठन के उद्देश्य एवं कार्यकलापों से सम्बन्धित एक स्वत: स्पष्ट टिप्पण इसके साथ आपकी जानकारी के लिए संलग्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अन्य किसी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए राजभाषा विभाग (मुख्यालय) अथवा सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से सम्पर्क करें।

ए. एस. गोदरे, निदेशक, भारत सरकार

☐

(भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3 के उपखंड(ii) में प्रकाशनार्थ)

सं. ई.-11016/1/98-हिंदी

भारत सरकार

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई, 2003

अधिसूचना

का.आ. ... केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो के बेंगलूर कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारी-वृंद ने हिंदी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

प्रशांत मेहता, संयुक्त सचिव, भारत सरकार

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
2-ए, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली-110011

कार्यालय ज्ञापन

समस्त मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/बैंक/ निगम/निकाय/लोक उद्यम/संगठन आदि के प्रबंधक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिंदी अधिकारियों के लिए

05 पूर्ण कार्य दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन, वर्ष 2004

****

भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के सहायक निदेशकों (राजभाषा)/हिंदी अधिकारियों द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में अपनी सफल भूमिका सक्षमतापूर्वक निभाने की दृष्टि से वर्ष 1999 से 2003 तक कुल 28 (अट्ठाईस) अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान पाया गया है कि कार्यक्रमों के लिए नामित अनेक अधिकारी प्रशासनिक/व्यक्तिगत या आकस्मिक कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण की अनिवार्यता स्वीकार करते हुए प्रशिक्षण दिए जाने का अनुरोध किया है। कुछ कार्यालयों ने अगले सत्र में प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया है। वर्ष 2004 में चलाए जाने वाले अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की सूची को अद्यतन बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालय/ बैंक/उपक्रमों/निगमों/बीमा कंपनियों/लोक उद्यमों आदि में प्रशिक्षण के लिए शेष सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिंदी अधिकारियों, उप/सहायक प्रबंधक (राजभाषा) को पुनः नामित करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004 में दो अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का निश्चय किया गया है। कार्यक्रम 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एण्ड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली-110011 स्थित कार्यालय में 9.30 बजे पूर्वाहन से 6.00 बजे सायं तक (पांच पूर्ण कार्य दिवसीय) चलाए जाएंगे।

3. अनुरोध है कि जो सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिंदी अधिकारी अब तक उपरोक्त कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए हैं, उनके नाम, पदनाम तथा कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नम्बर सहित 15 जनवरी, 2004 तक भिजवाने का कष्ट करें, जिससे प्रवेश पाए जाने की पुष्टि और सूचनाएं आपको तथा संबंधित अधिकारी को यथा शीघ्र भेजी जा सके। आवास, खान-पान, यातायात, आदि की व्यवस्था प्रतिभागी/अधिकारी का कार्यालय ही करेगा। प्रवेश 'प्रथम आएं, प्रथम पाएं' के आधार पर दिया जाएगा। अतः अनुरोध है कि कृपया प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों की अद्यतन सूची भेजने का कष्ट करें।

□

हिंदी का पौधा दक्षिणवालों ने अपने त्याग से सींचा है

—शंकरराव कप्पीकेरी

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती, अंक, जनवरी–मार्च, 2003, पढ़ने का सुअवसर प्राप्त कर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि आपकी पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख स्तरीय एवं सारगर्भित हैं। उक्त पत्रिका में राजभाषा हिंदी के संबंध में विविध दिलचस्प विषयों पर गुणात्मक एवं ज्ञानवर्धक लेखों का संपादन कर सुंदर ढंग से प्रकाशित कराने के लिए संपादन समिति के सभी सदस्यों तथा पत्रिका के संपादन से जुड़े सभी अधि–कारियों एवं कर्मचारियों को मैं अपनी ओर से और अपनी संस्था की ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ।

पत्रिका में प्रकाशित डॉ. जी.डी. सुहाने शैलेन्द्र का लेख आज की शिक्षा एवं मानवीय मूल्य बहुत अच्छा रहा है। उक्त लेख में कहे गए अनुसार आजकल मानव मूल्यों को हर एक स्तर पर फिर से पुनश्चरण करने/पढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर मानवीय मूल्य एवं विद्या मूल्य आदि भी पढ़ाया जाता है। श्री विश्वंभर प्रसाद गुप्त जी तथा श्री राजीव उनियाल के लेखों से हिंदी की विलक्षण और वैज्ञानिक विकास–यात्रा का परिचय मिलता है,जो ज्ञानवर्धक है।

राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार–प्रसार में राजभाषा भारती की भूमिका अत्यंत सराहनीय कहने में कोई संकोच नहीं है। दक्षिण में स्थित सभी विश्वविद्यालयों तथा महा विद्यालयों के हिंदी विभागों एवं ग्रन्थालयों को हिंदी के प्रचार–प्रसार में विलक्षण और वैज्ञानिक तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार से संबंधित अद्यतन सामग्री वाली श्रेष्ठ पत्रिका **राजभाषा भारती** निश्चय ही अत्यंत आवश्यक है। अत: मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि दक्षिण में स्थित सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के हिन्दी विभागों एवं ग्रन्थालयों को उक्त पत्रिका भेजने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। दक्षिण में स्थित सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के हिंदी विद्यार्थियों/हिन्दी प्राध्यापकों और हिन्दी प्रेमियों को राजभाषा भारती जैसी अनमोल पत्रिका पढ़ने का सुनहरा मौका प्रदान करें।

—पी.के. जयलक्ष्मी,
रीडर तथा विभागाध्यक्ष
हिंदी महिला सैंट जोसेफ कालेज,
ज्ञानपुरम, विशाखापट्टनम–530004.

राजभाषा भारती के दिसंबर, 2002 के सुसम्पादित अंक हेतु कृपया अभिनंदन स्वीकार करें। इसमें साहित्य, इतिहास, संस्कृति, चिकित्सा, आध्यात्म एवं विज्ञान से संबंधित लेखों का चयन करके मनोरंजन के साथ–साथ ज्ञानवद्धक सामग्री उपलब्ध करायी गई है।

—डा. कृष्ण नारायण पाण्डेय,
उप निदेशक (राजभाषा)
आकाशवाणी महानिदेशालय,
आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली–110001

आपके कार्यालय से प्रकाशित प्रत्रिका ''राजभाषा भारती'' अंक 99 (अक्तूबर-दिसम्बर, 2002) की एक प्रति प्राप्त हुई, एतदर्थ धन्यवाद।

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ रोचक एवं पठनीय हैं, तथापि डॉ. रुस्तम राय का लेख ''आचार्य शुक्ल के आलोचनात्मक मूल्य और तुलसी, जायसी, सूर और कबीर का मूल्यांकन'', डॉ. शिव मंगल सिंह की आमंत्रित एवं पुन: प्रकाशित रचना ''संघ की राजभाषा के स्वर्ण जयन्ती वर्ष की प्रतिष्ठा में एक विहंगावलोकन'', डॉ. अतुल टंडन का लेख ''आध्यात्मिक कामधेनु है गीता'' तथा श्री राजकुमार कुम्भोज की ''तीन कविताएं'' विशेष रूप से प्रशंसनीय एवं उल्लेखनीय रचनाएं हैं।

पत्रिका के प्रकाशन में सम्पादक मण्डल द्वारा किया गया प्रयास श्लाघनीय है।

पत्रिका के सर्वांगीण विकास हेतु शुभकामनाएं।

(अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ग्वालियर)
एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
मध्य प्रदेश, ''लेखा भवन'',
ग्वालियर-474002

11-12 दिसम्बर, 2003 को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय सम्मेलन (उत्तर एवं दिल्ली क्षेत्र), इलाहाबाद में महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्रीयुत विष्णुकांत शास्त्री अभिभाषण करते हुए।

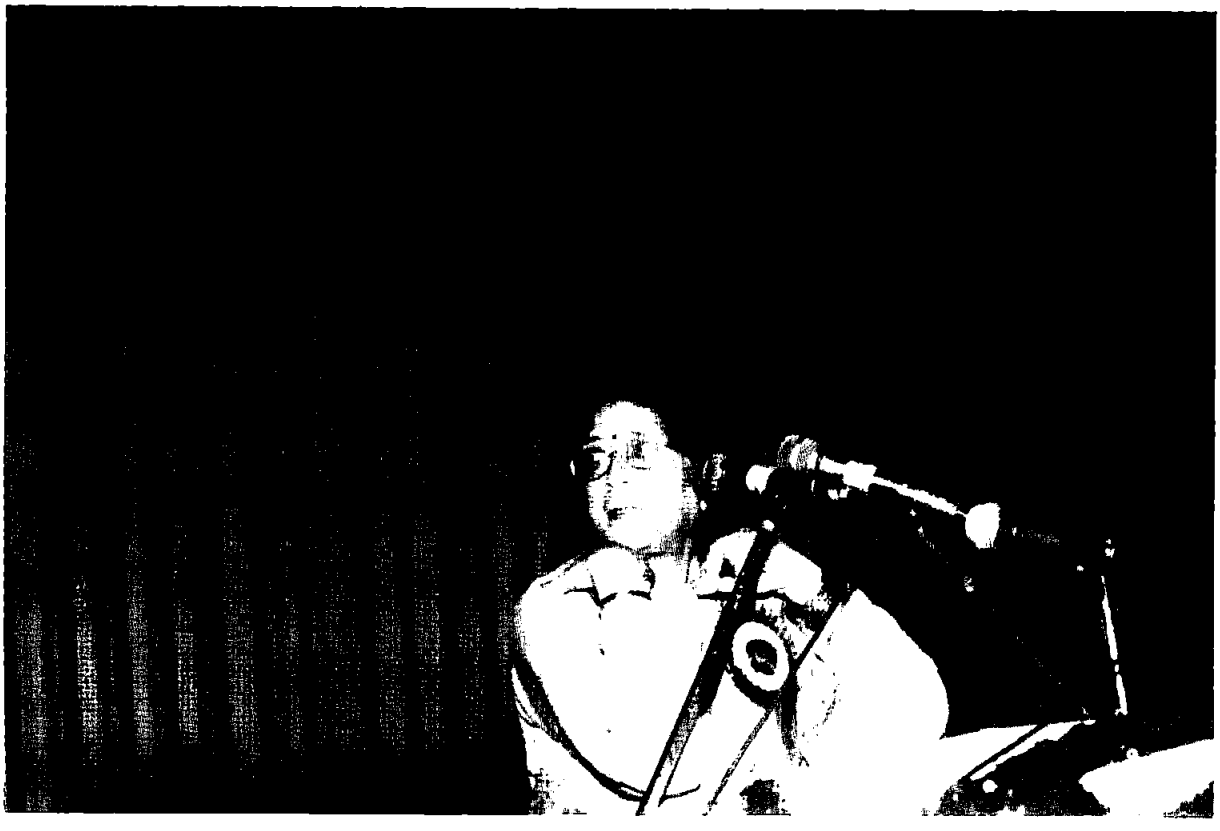

11-12 दिसम्बर, 2003 को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय सम्मेलन (उत्तर एवं दिल्ली क्षेत्र), इलाहाबाद में सचिव, राजभाषा विभाग श्रीमती नीना रंजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

सत्यमेव जयते

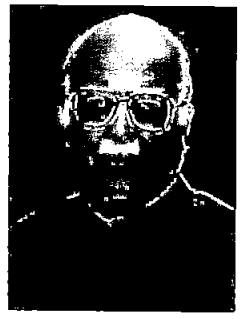

लाल कृष्ण आडवाणी

उप प्रधानमंत्री

<u>संदेश</u>

प्रिय देशवासियो,

हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं !

14 सितम्बर, 1949 को राष्ट्र ने हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था। इसके कार्यान्वयन के लिए विधि-विधान और अधिनियम बनाये गये। सद्भावना और सौहार्द्र की नीति पर चलते हुए हमने इस ओर प्रगति की है। अपनी गति को बढ़ाते हुए हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे।

सुशासन, सुरक्षा और जन-जन की खुशहाली हमारा ध्येय है। अपने प्रजातंत्र को मजबूत करते हुए चहुंमुखी आर्थिक विकास की ओर हम अग्रसर हैं। जन सहयोग से हमें शक्ति मिलती है। इसके लिए सरकारी नीतियों और विकास की योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाना है। इसके लिए भारत संघ की राजभाषा हिंदी का भरपूर प्रयोग लाभकारी है। भारत विश्व मंच पर सशक्त आर्थिक व्यवस्था संपन्न देश के रूप में उभर रहा है। ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिक-से-अधिक प्रसार हो, इसके लिए हिंदी का प्रयोग बढ़ाना है। इससे भारतीय प्रतिभाओं को फलने-फूलने के हम ज्यादा अवसर उपलब्ध करा सकेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करते हुए हमने हिंदी सीखने के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं। आज से इन्हें निःशुल्क सर्वसाधारण के प्रयोग के लिए वर्ल्ड-वाइड वैब पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं हिंदी सीख सकता है। आवश्यकता होने पर वह पाठ्यक्रम संबंधी समस्या के बारे में मार्गदर्शन भी ले सकता है। यह एक इन्टर-एक्टिव कार्यक्रम है।

इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। लेखकगण हिंदी में स्तरीय पुस्तकें लिखकर ज्ञान और कौशल के प्रसार के लिए आगे आयें। हिंदी में जितनी ज्यादा पुस्तकें लिखी जायेंगी उतनी ज्यादा गति से हम आगे बढ़ेंगे। इससे हिंदी का राजकाज में प्रयोग भी बढ़ सकेगा।

केंद्रीय सरकार के सभी कार्मिकों से मेरा आग्रह है कि अपना अधिक से अधिक कार्य मूल रूप से हिंदी में करें। आवश्यकता है राजभाषा हिंदी को अधिनियम और नियमों की सीमाओं से मुक्त करने की। आवश्यकता है एक सच्चे संकल्प की जिससे हम अपनी राजभाषा में काम करें। मेरा विश्वास है कि व्यवहार से हम हिंदी को मूर्तरूप देने में सफल होंगे।

वंदे मातरम्

लाल कृष्ण आडवाणी

(लाल कृष्ण आडवाणी)

नई दिल्ली
14 सितम्बर, 2003

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064